पंचम माला, खंड 18, अंक 14 शुक्रवार, 18 अगस्त, 1972/27 श्रावण, 1894 (शक)

Fifth Series, Vol. XVIII, No. 14 Friday, August 18, 1972/Sravana 27, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र
Fifth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 14, शुक्रवार, 18 अगस्त, 1972/27 श्रावण, 1894 (शक)

No. 14, Friday, August 18, 1972/Sravana 27, 1894 (Saka)

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
261. प्रत्यक्ष करों की बकाया राशि	Arrears of Direct Taxes	..	1—8
262. तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods	..	8—10
263. अमरीका, मध्य अमरीका और दक्षिण अमरीका में भारतीय पर्यटक केन्द्रों की संख्या	Number of Indian Tourist Centres Operating in United States, Central America and South America	..	10—12
264. गोयनका कम्पनी समूह द्वारा की गयी अनियमितताएं	Malpractices committed by Goenka Group of Companies	..	12—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
265. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिए गए ऋण	Agricultural Finance Provided by Nationalised Banks	..	18—20
266. कोयली पेट्रोरसायन उद्योग समूह की नैफ्था क्रेकर परियोजना के विभिन्न 'डाउन स्ट्रीम' यूनिटों को चालू करना	Commissioning of various 'Down Stream' Units of Naphtha Cracker Project of Koyali Petro Chemical Complex	..	20
267. बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाना	Replacement of Sales-tax by Excise Duty	..	20

*किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
268. भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये कार्यवाही	Steps to attract Foreign Tourists to India ..	20—21
269. सिन्दरी-उर्वरक कारखाने को हुई हानि	Loss suffered by Sindri Fertilizer Factory ..	21—22
270. एक्सल और मशीनी तेलों के आयात के लिये रूमानिया के तेल संगठन के साथ करार	Agreement with Rumanian Oil Organisation for importing Axle and Lubricating Oils ..	22
271. ब्रिटेन में विमान प्रदर्शनी में नेट आदि विमान के प्रदर्शन पर होने वाला व्यय	Expenditure to be involved in Display of Gnat etc. at Air Show in UK	22
272. समाचार पत्रों पर लगाये गये उत्पादन शुल्क को वापस लेना	Withdrawal of Excise Duty on News-papers ..	22—23
273. 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर संसद सदस्यों को निमंत्रणपत्र देने का मानदण्ड	Criteria for issuing Invitation Cards to MPs on the Occasion of 15th August and 26th January ..	23
274. विशाखापट्टनम स्थित नौसेना गोदी परियोजना की प्रगति	Progress of Naval Dockyard Project at Visakhapatnam	23—24
275. सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों के लिये सुविधाओं में वृद्धि करना	Increasing Facilities for the Sainik School Employees ..	24
276. बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Bihar ..	24
277. हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Fertilizer Plant at Nalagarh in Himachal Pradesh ..	25
278. भारत-नेपाल विमान सेवा सम्बन्धी समझौता	Indo-Nepal Air Pact	25
279. चीन द्वारा अपनी युद्ध नीति में किए जा रहे परिवर्तन	Changes being made by China in her Defence Strategy ..	25—26
280. राज्यों को ऋण देने के लिये स्वायत्तशासी वित्त संस्था	Autonomous Finance Body to grant Loan to States ..	26

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
2580. जनसाधारण द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली औषधियों के बाजार मूल्य	Market Rates of Medicines Consumed by Common Man	..	26
2581. मध्य प्रदेश में रीवा क्षेत्र के किसानों को स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋण दिया जाना	Loans advanced by SBI to Farmers of Rewa Region, Madhya Pradesh	..	26—27
2582. मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण	Loans to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Adivasis by Nationalised Bank in Madhya Pradesh	..	27
2583. रीवा (मध्य प्रदेश) में एक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव	Proposal to Construct an Aerodrome at Rewa (Madhya Pradesh)	..	27
2584. सेवा मुक्त फौजी अधिकारियों को पुनः बसाना	Resettlement of Released Army Officers	..	27—28
2585. सैनिक स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी	Students who passed from Sainik Schools and joined National Defence Academy		28—29
2586. दुर्व्यवहार किए जाने के कारण सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों द्वारा पद त्याग	Resignation by Employees of Sainik Schools due to Maltreatment		29
2587. केरल में पांचवीं योजना में पर्यटन के विकास के लिए आरम्भ की जाने वाली परियोजनाएं	Projects to be taken up for Development of Tourism in Kerala during Fifth Plan	..	29—30
2588. आधुनिक होटलों के निर्माण के लिए प्राइवेट उद्यमकर्ताओं के प्रस्ताव	Proposals from Private Entrepreneurs for Construction of Modern Hotels	..	30
2589. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व देने के बारे में भारत पर्यटन विकास निगम को निदेश	Directive to ITDC to give due Representation to persons belogning to SC and ST	..	30—31
2590. सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा शुल्क उपदान	Tuition Fee subsidy to the Children of Government Employees	..	31—32

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2591. मुद्रा स्फीति के बारे में सेन्ट्रल बैंक के कस्टोडियन द्वारा की गई टिप्पणी	Observation made by Custodian of Central Bank regarding Inflation ..	32
2592. भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं द्वारा परिवार पेंशन के लिए अभ्यावेदन	Representation for grant of Family Pensions from Widows of Ex-servicemen ..	32
2593. ज्वायंट स्टाक तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां	Joint Stock Private Limited Companies ..	33
2594. आसाम में ए०ओ०सी० के राष्ट्रीयकरण के लिए मांग	Demand for nationalisation of AOC in Assam ..	33
2595. गत भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान आसाम राईफल्स और आसाम रेजीमेंट के मारे गए तथा बन्दी बनाए गए सैनिक	Persons of Assam Rifles and Assam Regiment killed and taken prisoner during the last Indo-Pak Conflict ..	33
2596. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या	Number of SC & ST Employees in ONGC	34—35
2597. कमीशन प्राप्त अधिकारियों से वसूल किए जाने वाले भोजन शुल्क और अन्य शुल्क	Messing and other charges Recoverable from Commissioned Officers	35
2598. अल्प सेवा तथा आपात कमीशन के संवर्गों से कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया	Procedure for appointment of Commissioned Officers from Short Service and Emergency Commission Cadres	35—36
2599. मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के हाल में नियुक्त किए गए कमीशन प्राप्त अधिकारियों से मैस शुल्क की वसूली	Mess charges recovered from newly appointed Commissioned Officers of Madras Engineering Groups	36
2600. चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में गैर योजना व्यय में पूरा न होने वाला अन्तर	Uncovered gap in Non-plan Expenditure of MP during Fourth Plan ..	36
2601. हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा कर का अपवंचन	Evasion of Taxes by 'Hindustan Times' ..	36—37

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2602. खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Foodgrains and Essential Commodities ..	37—38
2603. दिल्ली में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids of Income Tax Authorities in Delhi ..	38—39
2604. चिट फंड कम्पनियां	Chit Fund Companies	39
2605. विश्व बैंक द्वारा संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा	Promotion of Joint Ventures by World Bank ..	39—40
2606. कच्छ सीमा की पश्चिमोत्तर दिशाओं में छिद्रण कार्य	Drilling in North West directions of Kutch Border ..	40
2607. छोटे सिक्कों की प्रतिशतता	Percentage of Small Coins	40
2608. जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में आग	Fire in Jabalpur Vehicle Factory ..	40—41
2609. जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में निधि का घोटाला	Bungling of Funds in Jabalpur Vehicle Factory ..	41
2612. छोटे सिक्कों की कमी	Shortage of Small Coins ..	41
2613. मथुरा में तेल शोधक कारखाना लगाने के बारे में कुछ राज्य सरकारों द्वारा विरोध	Protest by State Government for locating oil Refinery at Mathura	41—42
2614. पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाली विद्यार्थियों को प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएं	Training facilities to Nepali Students under PL 480 Pragramme	42
2615. राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम द्वारा किसानों को दिया गया ऋण	Loans advanced by Nationalised Banks and LIC to Farmers ..	42—43
2616. सरकारी उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार हेतु समिति	Committee for Improvement in efficiency of Public Undertakings ..	43
2617. सरकारी उपक्रमों में सर्वोच्च प्रबंध अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी नीति	Policy for recruitment of Top Management Personnel in Public Undertakings	44
2618. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपने मूल कार्यालयों को वापस भेजे जा रहे अधिकारियों को खपाना	Absorption of Officers of Public Sector Undertakings being reverted to their Parent Offices ..	44—45

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2619. सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर नियंत्रण	Control over Industries in Public Sector ..	45
2620. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by Public Sector Undertakings	45
2621. विदेशी तेल कम्पनियों का कार्यकरण तथा उसमें लगी पूंजी	Functioning of Foreign oil Companies and capital invested therein	45—46
2623. टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा शेयर पूंजी की वृद्धि	Public subscription of Tata Iron and Steel Company	46
2624. सलादीपुरा (राजस्थान) में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of a Fertiliser Factory at Saladipura (Rajasthan)	46
2625. वायु सेना के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना	Accidents of Air Force Planes	46—47
2626. गुजरात राज्य उर्वरक निगम	Gujarat State Fertilisers Corporation	47
2627. मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए मार्गदर्शी परियोजना	Pilot project for construction of Aerodromes in Madhya Pradesh	47
2628. विदिशा तथा रीवा स्थित इंजीनियरिंग कालेजों में एन०सी०सी० के प्रशिक्षण के बारे में भेदभाव	Discrimination re. NCC training in the Engineering College located Vidisha and Rewa	47—48
2629. सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय फोरम द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted to President by Government Employees National Forum	48—49
2630. जीवन बीमा निगम द्वारा कम्पनियों को ऋण देने की कसौटी	Criteria for disbursement of loan to Companies by LIC	49—50
2631. 40 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में सेना से सेवा निवृत व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग	Utilisation of service to retired per sonnel of the Armed Forces in the age group of Forty and Fifty years	50
2632. बोनस के सम्बन्ध में अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर	Agreement signed by All India Life Insurance Employees Association regarding Bonus	51
2633. राजस्थान में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कार्यवाही	Steps to develop Tourist sport in Rajasthan	51—52

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2634. रक्षा निर्माण ठेकेदारों की संख्या तथा 1970-71 और 1971-72 में दिए गए ठेके	Number of Defence Construction Contractors and Contracts given out during 1970-71 and 1971-72	52
2636. विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत एयर इंडिया द्वारा मार्च, 1971 से यात्रियों को अपनी विमान सेवाओं की ओर आकर्षित करने संबंधी प्रगति	Progress regarding passengers attracted by Air India since March 1971 under Foreign Travel Scheme	52
2637. कृषि पर कर लगाना	Imposition of Tax on Agriculture	52—53
2638. छठे वित्त आयोग द्वारा राज्यों को गैर योजना धन देना	Grant of non-Plan to states by Sixth finance Commission ..	53
2639. सेंच्यूरी स्पिनिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी तथा बिड़ला ग्रुप के बीच अन्तर्सम्बन्ध	Inter connection between Century Spinning and Manufacturing Company and Birla Group	53
2640. यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा यूनिटों की विक्री	Sale of units by Unit Trust of India	54
2641. इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड में वित्तीय कुप्रबंध की जांच	Enquiry into financial mismanagement in Indian Iron and Steel Company Limited ..	55
2642. एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग	Monopolies and Restrictive Trade Practice Commission ..	55
2643. बिहार के छोटा नागपुर और पालामऊ जिलों में बैंकों की शाखाओं का कार्यकरण	Functioning of branches of Banks in Chhotanagpur and Palamau District Bihar ..	56
2644. अखिल भारतीय कर अधिकारियों का सम्मेलन	Conference of All India Tax Executives ..	57
2645. बिहार राज्य में जवानों की उन विधवाओं की संख्या जिन्हें सरकार द्वारा वायदे के अनुसार सुविधायें नहीं दी गई हैं	Number of Widows of Jawans in Bihar State not provided with facilities promised by Government	57—58
2646. युद्ध में वीरता दिखाने वाले सैनिकों को राज्यों में अनुग्रह अनुदान न दिया जाना	Non-payment of ex-gratia grants to war Heroes in States ..	58

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

2647. देश में पोटाशियम एथिल सोन्नथेट की आवश्यकता	Requirements of Potassium Ethylxonthate in the country ..	58—59
2648. गया (बिहार) में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण सम्बन्धी आवेदन पत्र	Loan applications received by Nationalised Banks in Gaya (Bihar) ..	59
2649. अन्तर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के उपयोग के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines for utilisation of assistance under UNDP	59—60
2650. केरल में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा दायर की गई याचिका	Petition filed by LIC employees in Kerala	60
2651. मादक द्रव्य विभाग के क्षेत्रीय परिषद की बैठक	Meeting of Regional Council of Narcotics Department	60
2652. अफीम की खेती के नियमों का उल्लंघन	Violation of rules for cultivation of Opium ..	60—61
2653. घाटे की अर्थव्यवस्था	Deficit Financing	61
2654. दिल्ली हवाई अड्डे पर खाद्य पदार्थों का उपलब्ध होना	Non availability of food articles at Delhi Airport ..	61—62
2655. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं का विस्तार	Extension of Banking facilities in rural areas ..	62
2656. औद्योगिक विकास के लिए रूस से सहायता	Assistance from USSR for Industrial Development ..	62
2658. रक्षा सम्बन्धी सामग्री के उत्पादन और सप्लाई के फर्मों को दिये गये ठेके	Contracts for production and supply of defence equipment given to firms	62—63
2659. पटना हवाई अड्डे का विस्तार	Expansion of Patna Aerodrome	63
2661. ग्लोब मोटर कम्पनी लिमिटेड	Globe Motor Company Limited	64
2662. नागर विमानन में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या	Number of Temporary Employees in the Civil Aviation Department	64
2663. पंजाब में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों का आरक्षण	Reservation of Posts to Ex-servicemen in Punjab	64—65

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2664. हिन्दी के "सैनिक समाचार" का परिचालन	Circulation of 'Sainik Samachar' in Hindi	65
2665. रक्षा प्रतिष्ठानों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि	Surplus Land with Defence Establishments ..	65
2666. आयात कर के असम्बलीज और सब असम्बलीज का बैंक बनाना	Building up of a Bank of Assemblies and Sub-Assemblies by Import	65—66
2668. त्रिपुरा में तेल का पता लगाया जाना	Finding of Oil at Tripura	66
2669. कच्चा माल तथा कल पुर्जों का आयात करने के लिये विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank for Import of Raw Material and Components ..	66
2670. रूस तथा अन्य पूर्वयूरोपीय देशों से अशोधित पेट्रोलियम	Petroleum Crude from USSR and other East European Countries	67
2671. नेपाली गांजे का पकड़ा जाना	Seizure of Nepali Hemp	67—68
2672. गत तीन मास में इंडियन एयरलाइन्स की वायु सेवाओं में पड़ा व्यवधान	Dislocation in Air services of Indian Airlines during the last three months ..	68—69
2673. बैंक सेवा में सुधार	Improvement in Bank Services ..	69
2674. आयकर विभाग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी न होना	Non Payment of Overtime Allowance to Employees of Income tax Department Delhi	70
2675. आयकर आयुक्त नई दिल्ली के कार्यालय में आयकर निरीक्षकों की तालिका	Panel for Income Tax Inspectors in the Office of Commissioner Income Tax Delhi ..	70
2676. राज्य वित्त निगम अधिनियमों में संशोधन	Amendment to the State Finance Corporation Acts ..	71
2677. भारतीय रिजर्व बैंक,द्वारा मध्यम स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण	Training to Middle Level Employees by Reserve Bank of India ..	71
2678. कलकत्ता के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank for Improvement of Calcutta	71
2679. इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी द्वारा ड्यूटी आफीसरों के पदों के लिए विज्ञापन	Advertisement for the Post of Duty Officer by International Airport Authority ..	71—72

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2680. रूस द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of additional Kerosene Oil by USSR	72
2681. निगमित क्षेत्र में गैर बैंककारी कम्पनियां	Non banking companies in corporation sector	72—73
2682. कोयाली में पेट्रो रसायन उद्योग समूह में गैर सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में ली गई परि-योजना	Projects in the Petro Chemical Complex in Koyali taken over from Private to Public Sector ..	73
2683. जून 1972 में पाकिस्तान द्वारा सशस्त्र आक्रमण	Armed attack by Pakistan in June, 1972 ..	74
2684. गत दो वर्षों में हुई इंडियन एयर-लाइंस और एयर इंडिया की विमान दुर्घटनायें	Number of Aeroplanes of Indian Air Lines and Air India which crashed during the last two years	74
2685. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जिलों में कार्य कर रही राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	Branches of Nationalised Banks functioning in Sultanpur and Pratapgarh Districts (U.P.)	74
2686. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और आजमगढ़ जिलों में कार्य कर रही राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	Branches of Nationalised Banks functioning in Gorakhpur and Azamgarh Districts (U.P.)	75
2688. खम्भात की खाड़ी के उथले जल में 'एलियाबेट ईस्टस्ट्रक्चर' की ड्रिलिंग योजना का त्यागना	Abandoning the Drilling Plan of Aliabet East Structure in the Shallow Waters of Gulf of Cambay	75—76
2689. दक्षिणी राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Southern States ..	76
2691. आई० एन० एस० नीलगिरि	INS Nilgiri	76
2692. महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर एयर इंडिया द्वारा होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव	Proposal to enter into Project of building Hotels by Air India at important Airports	77
2693. इंडियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए विदेशी सहयोगकर्ताओं के साथ करार	Agreements with Foreign Collaborators for setting up New Projects by IPCL ..	77
2694. ग्रेटर बम्बई के जल संसाधनों को बढ़ाने के लिये विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank for augmenting water Resources of Greater Bombay ..	77—78

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2695. रक्षा उत्पादन में लगे विदेशी विशेषज्ञों की भूमिका कम करने की योजना	Plan to curtail Foreign Experts involvement in Defence Production ..	78
2696. एवरो-748 विमान उड़ाने से इन्कार करने वाले विमान चालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई	Legal Proceedings against Pilots who refused to fly Avro 748 Planes ..	78
2697. छोटे किसानों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से अग्रिम लेने की मांग में कमी	Lesser Demand for Advances by small Farmers from Nationalised Banks ..	79
2698. सूरजमल नागरमल ग्रुप कलकत्ता के नियंत्रण में कम्पनियां	Concerns under Soorajmul Nagarmull Group Calcutta ..	79—80
2699. मैसर्स सिक्योरिटी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड	M/s Security Printers Private Limited	80
2700. कलकत्ता हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा बनाने का नया प्रस्ताव	Fresh Proposal to make Calcutta Air port as a Prominent Airport	80—81
2701. दुर्गापूजा पर्व के अवसर पर पर्यटकों को कलकत्ता की ओर आकर्षित करने की योजना	Scheme for attracting Tourists to Calcutta on Durga Puja Festivals ..	81
2702. गत भारत पाक युद्ध के दौरान नजरबंद किए गए गैर सैनिक पाकिस्तानियों की संख्या	Number of Pakistanis other than Armed Personnel Detained during last Indo-Pak War ..	81—82
2703. ईरानी आयल कम्पनी को ऊंचे मूल्यों की अदायगी	Payment of Higher prices to Irani Oil Company ..	82
2704. कानपुर स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा अन्य किस्म के विमान निर्माण कार्य को प्रारम्भ करना	Switch over to the assembly of another make of Aircraft by HAL Kanpur	82—83
2705. राष्ट्रीय विपदा निधि	National Calamity Fund ..	83
2706. औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की सहायता के फलस्वरूप बन्द पड़े एककों का पुनः चालू होना	Closed units Reopened as a Result of Assistance by Industrial Reconstruction Corporation ..	83—84
2707. पिछड़े जिलों में औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता देना	Financial Assistance to Industrial Units in Backward Districts ..	84

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2708. मनाली तेल शोधनशाला (मद्रास) में आग	Fire in Manali Refinery (Madras)	85
2710. दिग्विजय सीमेंट कम्पनी में कदाचार की शिकायतें	Complaint about Malpractices in Digvijai Cement Company	85—86
2711. राष्ट्रीय आय की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत का दर्जा	Ranking of India in regard to National Income in the International Community ..	86
2712. राष्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का अनुपात	Proportion of Direct and Indirect Taxes to National Income ..	86—87
2713. राष्ट्रीय आय और धन की सप्लाई में वृद्धि की दर	Rate of Increase in National Income and Money Supply	87—89
2714. भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा सहायता	Assistance by Industrial Credit and Investment Corporation of India ..	89
2715. पुराने नौसेनिक जहाजों का बदलना	Replacement of Old Naval Ships ..	90
2716. इन्डेन गैस की एजेन्सियों के लिए युद्ध में हुए शहीदों की विधवाओं के आवेदन पत्रों को परस्पर प्राथमिकता का निर्धारण	Determination of inter se priority among war widows applying for Indane Gas Agencies ..	90—92
2717. पर्यटकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए की गई कार्यवाही	Steps to meet Tourist Requirements	92
2718. अहमदाबाद में शक्तिशाली कम्प्यूटर प्रणाली लगाना	Installation of Powerful Computer system at Ahmedabad	92—93
2719. रोजगार के अवसर जुटाने और दक्षता सुधारने के उद्देश्य से आयुध कारखानों में आठ-आठ घंटों की तीन पारियों को चलाना	Three hour shifts in Ordnance Factories for creating Employment and Improving efficiency ..	93
2720. स्थायी घोषित न किये गये वायु सेना में काम कर रहे असैनिक कर्मचारी	Civilian Employees employed in Air Force not declared Permanent	93—94
2721. आयुध कारखानों में अत्याधुनिक शस्त्रों का निर्माण	Manufacture of Sophisticated Weapons in Ordnance Factories	94
2722. सामान्य बीमा कम्पनी, पटना के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जाना	Holding of a Rally by Employees of General Insurance Company, Patna ..	94—95

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2724. चार्टर की जाने वाली विमान सेवाओं के सम्बन्ध में भारत-ब्रिटिश समझौता	Indo-British Agreement on Air Charter Services	95
2725. आसाम द्वारा अपरिष्कृत तेल के लिए अधिक रायल्टी की मांग	Demand of Higher Royalty for Crude Oil by Assam	95
7226. तमिलनाडु के तिरनेलवैली जिले में हवाई अड्डा बनाये जाने के लिये चयन किया गया स्थल	Place selected for construction of an Airport in District Tirunelveli (Tamil Nadu) ..	96
2727. कर अपवंचन को रोकने के उपाय	Steps to check Evasion of Taxes	96
2728. निर्यातोन्मुख सूती कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिये ऋणों के आवेदन	Loan application for Modernisation of Export Oriented Cotton Textile Mills ..	96—97
2729. महिला विमान चालक संघ को दिये गये अनुदान	Grant given to Women Pilots Association	97
2730. व्यवसायी विमान चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल	School for imparting training to Commercial Pilots ..	97—98
2731. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने की नई नीति	New Policy of advancing loans by Nationalised Banks ..	98
2733. भारतीय तेल निगम के बोर्ड का पुनर्गठन	Reconstitution of Indian Oil Corporation Board ..	99
2734. श्री एन० पी० सेन की अध्यक्षता वाली इंडियन एयरलाइन्स पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशें	Recommendations of Indian Airlines Review Committee headed by Shri N. P. Sen	99
2735. कृषि उद्योग निगम, पश्चिमी बंगाल के कहने पर स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋणों की स्वीकृति	Loan granted by SBI under the initiative of Agro-industries Corporation, West Bengal ..	99—100
2736. दक्षिण पूर्व एशिया में रुपये की विनिमय दर के सम्बन्ध में भ्रांति	Confusion over exchange rate of rupee in South East Asia ..	100
2737. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों की हड़ताल का व्यापार और वाणिज्य पर पड़ा प्रभाव	Effect of Strike by RBI Employees on Trade and Commerce ..	100—101

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2738. बैंकों की उदासीनता के कारण गुजरात के छोटे कारखानों के सामने कठिनाइयां	Difficulties experienced by small scale units on account of Banks' Apathy in Gujarat ..	101
2739. भारत में विदेशी विमान सेवाओं पर कदाचार ग्रस्त होने के आरोप	Allegations of Malpractices Indulged in by Foreign Airlines Operating in India ..	101—102
2740. विदेशी पर्यटकों के लिए होटलों में स्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए उपाय	Steps to meet the requirements of Hotel Accommodation for Foreign Tourists ..	102—103
2741. इंडियन टोबैको कम्पनी द्वारा तीन होटल चलाने का प्रस्ताव	Proposal to set up Three Hotels by Indian Tobacco Company ..	103
2742. समुद्री तट पर गश्त लगाना	Patrolling along the Coasts ..	103
2743. पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से सम्बद्ध व्यक्तियों को इन्डेन गैस की एजेंसियां देना	Dealership of Indane Gas to persons connected with the Ministry of Petroleum and Chemicals ..	103—104
2744. लाइसेंसधारी नागरिकों को छोटे हथियारों की बिक्री के लिए अनुमति	Permission of Sale of small Arms to Citizens holding Licences	104
2745. उर्वरकों के उपयोग में आने वाले कच्चे माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का व्यय	Foreign Exchange utilised on Import of raw Materials for Fertilisers	104—105
2746. एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को सौंपे गये मामले	Cases refered to Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission ..	105
2747. वर्ष 1972-73 में विकसित किए जाने वाले पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres Planned to be Developed in 1972-73 ..	105—106
2748. बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में फिल्म कलाकारों के घरों पर छापे	Raids on Houses of Film Stars in Bombay, Madras and Calcutta ..	106
2749. गैर परियोजना सहायता में कमी	Short fall in Non-Project Aid	107
2750. सरकारी क्षेत्र में नई गोलाबारूद फैक्टरी की स्थापना	Setting up of a new Explosive Factory in Public Sector ..	107

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2751. देश के भीतर भ्रमण के प्रोत्साहन देने संबंधी योजना	Scheme to Encourage Travel within the country	107—108
2752. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड में लगाई गई पूंजी	Capital Invested in Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	108
2753. लेखा परीक्षा कार्य का विकेन्द्रीकरण	De-concentration of Audit work ..	108—109
2754. मद्रास के शल्य उपकरण कारखाने पर व्यय की गई धनराशि	Amount invested in the Surgical Instruments Factory Madras	109
2755. राज्य वित्त निगमों और वाणिज्यिक बैंकों में समन्वय के बारे में रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना	Submission of Report regarding Coordination between staff Finance Corporations and Commercial Banks ..	109—110
2756. पणजी के निकट नौसैनिक विमान के दुर्घटना ग्रस्त होने की जांच	Enquiry into the Crash of a Naval Plane Near Panaji	110
2757. बैंकों में जमा राशि बढ़ाने के बारे में आर्थिक समृद्धि संस्था (इंस्टीट्यूट आफ इकानामिक ग्रोथ) की सिफारिशें	Recommendations made by Institute of Economics Growth Regarding Raising of Bank Deposits ..	110
2758. इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा विमानों में पुनर्नवीकरण की गई बैटरियों का प्रयोग	Use of "Rejuvenated" Batteries in Aircraft by Indian Airlines ..	110—111
2759. भारत में विदेशी विमान सेवाओं के कार्यकरण की जांच करने का प्रस्ताव	Proposal to Enquire into the working of Foreign Airlines in India ..	111
2760. प्राथमिकता वाले क्षेत्र और निर्बल वर्ग को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण	Credit to Priority Sector and Weaker Sections by Public Sector Banks ..	111
2761. आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति नामक स्थान पर एक पर्यटक होटल के निर्माण के लिए स्वीकृत ऋण	Loan Sanctioned for Construction of a Tourist Hotel in Tirpathi District Chitoor, Andhra Pradesh ..	111—112
2762. बुन्देलखण्ड के गौगांव स्थित प्रतिरक्षा भवनों का उपयोग	Utilisation of Defence Buildings at Naugaon, Bundelkhand (MP)	112

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

2763. राष्ट्रीयकृत बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर	Additional Employment General in Nationalised Banking Sector ..	112
2764. मध्य प्रदेश में आयकर का अपवंचन	Evasion of Income Tax by Individuals in Madhya Pradesh ..	112
2765. मध्य प्रदेश में प्रमुख व्यक्तियों और फर्मों पर बकाया आयकर	Arrears of Income-tax against top Individuals and Firms in Madhya Pradesh	112
2767. मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों के विकास पर खर्च की गई धनराशि	Amount Spent on the Development of Aerodromes in Madhya Pradesh ..	113
2769. डमडम हवाई अड्डे से आरम्भ होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की वार्षिक संख्या	Number of International Flights Originating Annually from Dum Dum Airport	113
2770. आसाम के काजीरंगा संरक्षित वन के ढंग पर पश्चिम बंगाल में जलदापाड़ा संरक्षित वन का पर्यटक स्थल के रूप में विकास	Development of Jaldepara Sanctuary in West Bengal as a Tourist spot on the pattern of Kaziranga sanctuary in Assam ..	113—114
2771. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) के कर्मचारियों द्वारा आधुनिक विमान बनाने की फैक्टरी लगाने की मांग	Demand of Employees of the HAL Barrackpore (West Bengal) for Modern Aircraft Factory ..	114
2772. मैसूर के उत्तरी कनारा फैक्टरी जिले में कास्टिक सोडा फैक्टरी की स्थापना में प्रगति	Progress in the Establishment of Caustic Soda Factory in District North Kanara (Mysore)	115
2773. पेट्रोलियम उत्पादों और रसायन का निर्माण करने वाले उद्योगों पर प्रतिबन्धों को ढीला करना तथा हटाना	Steps to relax and eliminate restrictions on Industries Manufacturing Chemicals	115
2774. निकट भविष्य में पूरी होने वाली पेट्रो-रसायन परियोजनाएं	Petro Chemicals Projects to be completed in the near future ..	115—116
2775. राष्ट्रीयकृत बैंकों में चैक भुनाने में होने वाली देरी को दूर करने के लिए "टेलर व्यवस्था" आरंभ किया जाना	Introduction of "Teller System" in Nationalised Banks to Overcome delays in encashment of cheques	116

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2776. गोहाटी में पूर्वांचल बैंक की स्थापना	Setting up of a Purbanchal Bank in Gauhati ..	116
2777. मद्रास स्थित अवाडी कारखाने के विवाद का निपटारा	Solution of dispute in Avadi Factory Madras	117
2778. बारामुरा (त्रिपुरा) में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खुदाई	Starting of drilling at Baramura (Tripura) by ONGC ..	117
2779. मुजफ्फरपुर-दिल्ली के बीच विमान सेवा	Air Service from Muzaffarpur to Delhi and back ..	117—118
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance—	
महाराष्ट्र में विद्युत चालित करघा उद्योग में कथित संकट	Reported Crisis in Powerloom industry in Maharashtra .	118—125
श्री धामनकर	Shri Dhamankar ..	118
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	118—125
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	125—127
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee ..	127
पंद्रहवां प्रतिवेदन	Fifteenth Report ..	127
सभा का कार्य	Business of the House ..	128—129
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill	129—131
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	130
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan ..	129—130
खण्ड 2 से 25 और 1	Clauses 2 to 25 and 1 ..	130—131
पारित करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to pass as reported by the Select Committee ..	131
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan ..	131
पंजाब नई राजधानी (परिवृत) नियंत्रण (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक	Punjab New Capital (Periphery) Control (Chandigarh Amendment) Bill ..	132—136
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider .	132
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya	132

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	132—133
श्री भान सिंह भौंरा	Shri B. S. Bhaura	133—134
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	134
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik	134
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	134
खण्ड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1	135—136
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	136
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya	136
दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक	Dentists (Amendment) Bill	136—137
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	136
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya	136
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy	137
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya	137
संविधान (संशोधन) विधेयक—	Constitution (Amendment) Bill—	
नये अनुच्छेद 23क, 23ख और 23 ग का अन्तः स्थापन प्रो० मधु दण्डवते द्वारा	(Insertion of new articles 23A, 23B and 23C) by Prof. Madhu Dandavate	138—148
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	138
डा० जी० एस० मेलकोटे	Dr. G. S. Melkote ..	138—139
श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma ..	139—141
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	141—142
श्री ए० एम० चेलाचामी	Shri A. M. Chellachami	142—143
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya ..	143—144
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik ..	144—145
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra ..	145
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	145—147
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	147

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक (धाराओं 2, 10 आदि का संशोधन) प्रो० मधु दंडवते द्वारा	Payment of Bonus (Amendment) Bill Amendment of Sections 2, 10 etc. by Prof. Madhu Dandavate	..	148—153
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider		148
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	..	148—150
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	..	150—151
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	..	151—152
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee		152—153
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy		153
भारतीय तेल निगम द्वारा इंडो-बर्मा पेट्रोलियम के कार्य संचालन पर किये जा रहे नियंत्रण के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion Re. Control being exercised by IOC over the functioning of Indo-Burma Petroleum	..	153—159
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu		153—156
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	..	156—159

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 18 अगस्त, 1972/27 श्रावण, 1894 (शक)

Friday, August 18, 1972/ Sravana 27, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रत्यक्ष करों की बकाया राशि

+
*261. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1972 को प्रत्यक्ष करों की कुल कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) बकाया राशि को शीघ्र वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में करों की बकाया राशि के वसूल करने में कोई सुधार हुआ है ; और यदि हां, तो कितना ; और

(घ) करों की बकाया राशि की वसूली में सुधार करने के लिए सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 30 जून 1972 को प्रत्यक्ष-करों की कुल बकाया रकम के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। प्रत्यक्ष करों की बकाया के संबंध में जो अन्तिम आंकड़े उपलब्ध हैं, वे 31 मार्च, 1972 तक के हैं और वे इस प्रकार हैं :—

	(करोड़ रुपयों में)
आयकर (शुद्ध बकाया)	438.60
धन-कर	16.01
दान-कर	2.59
सम्पदा शुल्क	73.75

(ख) और (ग). सदन की मेज पर एक विवरण-पत्र रखा गया है।

(घ) वांचू समिति ने करों की बकाया को कम करने और उसे वसूल करने के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

विवरण

1. कर्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन की योजना शुरू करना, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक कार्य रेंज में एक या एक से अधिक आयकर अधिकारी केवल वसूली का कार्य ही देखते हैं।

2. वसूली का कार्य राज्य सरकार से अपने हाथ में ले लेना और उसे आयकर विभाग के उन कर-वसूली अधिकारियों के सुपुर्द करना जो कर वसूली आयुक्तों के अधीन कार्य करते हैं और इस प्रयोजन के लिए, कर-वसूली कर्मचारियों (अधिकारियों, अपर आयुक्तों तथा आयुक्तों) की संख्या में वृद्धि करना।

3. कठोर प्रवर्त्तन नीति, जिसके अन्तर्गत ऋणों तथा बैंक में जमा रकमों का अभिग्रहण और चल तथा अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण तथा बिक्री आते हैं।

(4) ऐसी अपीलों का निपटान शीघ्र करना जिनमें बहुत अधिक रकमें विवादग्रस्त हों, जिससे अपील में निर्धारित अन्तिम करों की वसूली की जा सके।

5. बकाया बेबाकी पखवाड़े मनाना जिससे कि पूरा ध्यान तथा शक्ति अपीलीय आदेशों तथा भूल-सुधार आदेशों को कार्यान्वित करने और अन्तिम रूप से देय करों की वसूली में लगाई जा सके।

6. आयकर कार्यालयों में विशेष प्राप्ति कांउटरों पर रेखित चेक स्वीकार करके निर्धारितियों को कर अदा करने की सुविधा प्रदान करना।

7. करों तथा उनकी बकाया की वसूली के कार्य का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने के लिए अपर आयकर आयुक्तों तथा कर वसूली आयुक्तों जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती।

8. एक लाख रु० से अधिक के करों की बकाया के मामलों का आयकर आयुक्त द्वारा, 5 लाख रु० से अधिक के मामलों का निदेशक (गवेषणा, सांख्यिकी तथा प्रकाशन) द्वारा और 25 लाख रु० से अधिक की बकाया के मामलों में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना।

विभिन्न प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित सकल बकाया में (समायोजन, अपील प्रभाव तथा नकद वसूलियों के द्वारा) हुई घटौतियों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	आयकर	धन-कर	दान-कर	सम्पदा-शुल्क
1970-71	328.45	3.37	0.53	1.48
1971-72	303.64	3.33	0.65	2.15

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : उपलब्ध जानकारी के आधार पर मंत्री महोदय इस बात पर सहमत हैं कि कर की काफी बकाया राशि वसूल की जानी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि निगमित क्षेत्र को कितनी बकाया राशि का भुगतान करना है और ऐसे कौन से औद्योगिक गृह हैं जिनपर काफी

बकाया राशि है और क्या सरकार ने उन औद्योगिक गृहों में से किसी गृह के विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही की है जो करों की अदायगी में निरंतर चूक कर रहे हैं। मैं इन औद्योगिक गृहों के नाम भी जानना चाहूंगा।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य के प्रथम प्रश्न के उत्तर में मैं कह सकता हूं कि हमने समय-समय पर बताया है कि करों की यह बकाया राशि सदा बनी रहती है। चालू वर्ष में कतिपय मांगें की जाती हैं और कुछ वसूली की जाती है, कुछ बकाया राशि पिछले वर्षों की रहती है परन्तु हमने यह भी कहा है कि बकाया राशि में काफी कमी हुई है और इसी वर्ष में हमने लगभग 61 करोड़ रुपये वसूल किये हैं।

उनके दूसरे प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में, मेरे पास इस समय कुल बकाया राशि में से निगमित क्षेत्र के नाम बकाया राशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि हमने इस सभा में 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये इत्यादि की बकाया राशि के लम्बे विवरण दिये हैं। यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट औद्योगिक गृह के बारे में जानना चाहते हैं तो वह एक पृथक प्रश्न कर सकते हैं और मैं उसका उत्तर दे सकूंगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : कड़ी कार्यवाही करने के बारे में क्या उत्तर है ?

श्री के० आर० गणेश : चाहे औद्योगिक गृह हो अथवा कोई अन्य उपक्रम कड़ी कार्यवाही तो की ही जायेगी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : उत्तर के साथ संलग्न विवरण के अन्तिम भाग में, गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान समायोजन, अपीलों के प्रभावों तथा नकद वसूलियों के परिणामस्वरूप कुछ घटौतियों का उल्लेख किया गया है। अभी अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि इस वर्ष की नकद वसूली 61 करोड़ रुपये थी। विवरण में वर्ष 1971-72 में हुई घटौतियों के जो आंकड़े दिये गए हैं वे आयकर के मामले में 303.64 करोड़ रुपये के हैं। इस वर्ष तथा गत दो वर्षों के दौरान करों की बकाया राशि में से कितनी राशि बट्टे खाते डाल दी गई ?

श्री के० आर० गणेश : जहां तक बट्टे खाते डाली गई राशि का सम्बन्ध है, उसके लिये मुझे आंकड़े एकत्र करने होंगे। परन्तु माननीय सदस्यों के लाभ के लिये मैं कहना चाहता हूं कि किसी राशि को बट्टे खाते डालने के लिये बहुत विस्तृत प्रक्रिया है और ऐसी मांगें जो वसूल करने योग्य नहीं रहती हैं, वे निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत आती हैं :

(1) अपने पीछे कोई भी आस्तियां नहीं छोड़ कर स्वर्गवास हुए कर-दाता।

(2) परिसमापित कर-दाता कम्पनियां।

(3) दिवालिये हुए कर-दाता।

(4) कर-दाताओं का पता न लगना।

(5) कर-दाताओं द्वारा कोई निश्चित आस्तियां न छोड़ी गईं।

(6) कर-दाताओं के साथ फैसले के परिणामस्वरूप राशि बट्टे खाते डाल दी गई।

(7) बाद की जानकारी, जैसे दोहरी मांगों आदि के कारण बकाया न पाई गई मांगें।

ऐसा केवल कड़ी जांच के आधार पर ही होता है, जहां अन्य कोई पद्धति संभव नहीं होती। एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति है और यह उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा ही किया जाता है और एक विशिष्ट राशि से ऊपर के मामले वित्त मंत्री के पास आते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री चन्द्रप्पन के इस विशिष्ट प्रश्न को कि निगमित क्षेत्र की ओर करों की कितनी राशि बकाया है और कौन से बड़े औद्योगिक गृहों की ओर अब भी राशि बकाया है, मंत्री महोदय ने बहुत ही चतुराई से टाल दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न के बाद वाले भाग का उत्तर दे दिया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : परन्तु उन्होंने बड़े व्यापार गृहों के नामों का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि मैं उस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : बड़े व्यापार गृहों पर कितने मामलों में राशि बकाया है और बड़े व्यापार गृहों के विरुद्ध कितने मामलों में कार्यवाही की गई थी ?

श्री के० आर० गणेश : मैं पहले ही कह चुका हूं कि 436 करोड़ रुपये की बकाया राशि है और 436 करोड़ रुपये की बकाया राशि का अर्थ है कुछ हजार कर-दाता।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : 75 बड़े व्यापार गृहों में से कितने गृहों की ओर राशि बकाया है ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य अपने राजनीतिक ज्ञान के साथ शायद यह महसूस नहीं करते हैं कि बड़े एकाधिकार गृहों को पकड़ना बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जानकारी नहीं है···(**व्यवधान**)। मैं 500-600 कर-दाताओं के बारे में इस सभा में आंकड़े दे चुका हूं—जिन लोगों के नाम पांच लाख, दस लाख और एक लाख रुपये की राशि बकाया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जिन कर-दाताओं की ओर 1 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की राशि बकाया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

श्री के० आर० गणेश : यदि आप 75 बड़े व्यापार गृहों के बारे में अलग प्रश्न पूछें तो उसका उत्तर देने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय ने बताया कि आयकर की राशि लगभग 500 करोड़ रुपये है, यद्यपि हम अधिकाधिक कर लगाते जा रहे हैं, तथापि हमने 500 करोड़ रुपये की आयकर की राशि वसूल नहीं की गयी है। अधिक आय-वर्ग के कुछ लोग हैं जो कर अपवंचन के तरीके जानते हैं और उसके परिणामस्वरूप, आयकर की बकाया राशि बढ़ रही है। ये सभी लोग सरकार के साथ धोखा करने के तरीके जानते हैं। यहां तक कि कभी-कभी तो वे न्यायालयों से संरक्षण पाना चाहते हैं···।

श्री पीलू मोदी : श्रीमन्, वह यह भूल गए हैं कि वह इस समय कांग्रेस में हैं।

श्री के० लकप्पा : उन्होंने कहा कि कुछ लोग दिवालिया घोषित कर दिये हैं, कुछ लोगों का स्वर्गवास हो गया है तथा कुछ लोग चले गए हैं आदि। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों के नाम से लेन-देन करते हैं, कुछ अपने सम्बन्धियों के नाम से करते हैं, इस प्रकार सम्पत्तियों के ऐसे बेनामी सौदे होते हैं तथा आयकर अधिकारी उन अपराधियों को छूता तक नहीं है। इस प्रकार वे सरकार को

धोखा दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि वांचू समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने में कितना समय लगेगा ? ऐसे धोखेबाजों को पकड़ने और बड़े व्यापार गृहों की धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिये सरकार ने कहां तक कदम उठाये हैं ?

श्री के० आर० गणेश : इस प्रयोजन के लिये तथा इस बात का पता लगाने के लिये कि इन बातों को समाप्त करने के लिये कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय कैसे किये जायें, वांचू समिति गठित की गई थी। वांचू समिति की सिफारिशें पर सरकार गंभीर रूप से विचार कर रही है तथा हम इन मामलों में शीघ्रता करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न लम्बा हो तो यह आवश्यक नहीं है कि उत्तर भी बहुत लम्बा हो।

श्री के० आर० गणेश : हम जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो कर अपवंचन के लिये कतिपय तकनीकी उपायों का प्रयोग करते हैं। वित्त मंत्री ने राज्य सभा में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि एक विशेष कक्ष नियुक्त किया जा रहा है जो इस मामले की गहराई से जांच करेगा तथा इन बड़े व्यापार गृहों के मामलों में कार्यवाही करेगा। 86 प्रतिशत मांगों के मामले में, वर्ष 1947-48 से 1971-72 के बीच 9694 करोड़ रुपये वसूल किये गए हैं। यद्यपि यह गंभीर समस्या है तथापि यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि भारत सरकार इसे सुलझा नहीं सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री पीलू मोदी : दो कारणों से कर वसूल नहीं होते। कर-निर्धारण इस ढंग से किये जाते हैं कि आपको दलीलें तथा अभ्यावेदन देने पड़ते हैं जिसके फलस्वरूप कर वसूली में विलम्ब होता है और दूसरा कारण यह है कि लोग कर न देने की सुविधायें प्राप्त करने के लिये व्यापारियों से पैसा लेते हैं।

श्री के० लकप्पा : स्वतंत्र दल को भी कर का अपवंचन करने दिया जाता है।

श्री पीलू मोदी : यदि मेरे माननीय मित्र चाहें तो मैं यह भी जोड़ दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी प्रक्रिया बनायी है जिससे कर-निर्धारण शीघ्र ही किया जा सके ताकि कर की करोड़ों रुपये की राशि वसूल की जा सके ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई योजना है जिससे पार्टियों से पैसा लेना रोका जा सके ताकि उन्हें कर छोड़ना न पड़े…।

एक माननीय सदस्य : ये आरोप लगाये गये हैं।

श्री के० आर० गणेश : मैं केवल एक राजनैतिक उत्तर दे सकता हूं परन्तु उसमें इनका नाम भी सम्मिलित होगा। निश्चय ही यह इस विशेष प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री पीलू मोदी : वह परेशान हो गये हैं और उत्तर नहीं दे सकते। पहला प्रश्न पूर्णतः तकनीकी है और इन्हें एक तकनीकी जानकार की तरह ही उत्तर देना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु खड़े हुए —

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में पहले ही काफी समय लग गया है। मुझे लगता है कि मैं सूची के अनुसार नहीं चल सकता। श्री हुकम चंद कछवाय।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब बड़े आदमी खड़े हुए थे तो आपने मुझे बैठने के लिये कहा था। अब छोटा आदमी खड़ा हो रहा है, कृपया उसे अवसर दें।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister said just now that there are 600 persons against whom amounts of more than Rs. one lakh are outstanding, which also include the cases under consideration for the last 5, 10 or 15 years. Is he going to evolve a procedure for the quick disposal of cases which are under consideration for a long time ? Is he also going to frame rules for the disposal of cases within a particular time limit.

My second question is : Is there any difference of opinion among recovery officers ? Some of them are direct recruits and others are promotees. The promotees handle heavy work whereas direct recruits handle comparatively less work. Is it also a reason for the delay in this work ?

श्री के० आर० गणेश : पहला सुझाव मूल्यवान है। वांचू समिति ने भी इस पर विचार किया और माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायेगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर 'नहीं' में है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The second part of my question has not been replied to.

Mr. Speaker : He has said : 'No'.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि उत्कल कांग्रेस के कांग्रेस में मिलने से पहले श्री बीजू पटनायक के जिम्मे कर की कितनी राशि बकाया थी ? इसकी आज क्या स्थिति है ? मैं एक विशेष मामले के बारे में यह सूचना पूछ रहा हूं। दूसरे, श्री आर० पी० गोयनका और उनके ग्रुप के जिम्मे कितनी राशि बकाया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक प्रश्न है। मूल प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है।

श्री पीलू मोदी : और उनके कुछ सहयोगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय के पास सूचना है और वे उत्तर देने को तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री के० आर० गणेश : मुझ सूचना एकत्र करनी होगी। मैं इस समय अपेक्षित सूचना नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ओहो—

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया ऐसा न करें।

श्री के० आर० गणेश : जहां तक श्री बीजू पटनायक और श्री आर०पी० गोयनका का सम्बन्ध है उनके बारे में मैं अभी अपेक्षित सूचना नहीं दे सकता। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि प्रयत्न किये जा रहे हैं। विभिन्न कारणों से हमारी कुछ कठिनाइयां हैं। जहां तक श्री बीजू पटनायक का सम्बन्ध है, कलकत्ता उच्च न्यायालय में उनकी 75 रिटें दायर हैं। मैं पहले कह चुका हूं और आप अनुमति दें तो मैं पुनः कहता हूं कि कुछ न्यायिक प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन करने होंगे और विधि आयोग की भी यही सिफारिश है, जो सरकार के विचाराधीन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री आर० पी० गोयनका के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया। मंत्री महोदय ने इश्तहारों के अपने गारंटी करने वाले श्री बीजू पटनायक के बारे में कुछ कहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है जो मूल प्रश्न के साथ नहीं जुड़ सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह बताने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं कि जब श्री दीनेन भट्टाचार्य ने 75 बड़े बड़े गृहों के जिम्मे बकाया राशि जाननी चाही तो उनके प्रश्न को एक बहुत ही

सामान्य प्रश्न कहा गया । लेकिन मैंने दो विशिष्ट उदाहरण दिये हैं । यदि अध्यक्षपीठ का आदेश यह है कि यह भी मूल प्रश्न से नहीं जुड़ सकता, तो मेरी समझ नहीं आता कि हम क्या करें ···

अध्यक्ष महोदय : चूंकि मंत्री महोदय के पास अभी सूचना नहीं है, इस लिये वे इसे माननीय सदस्य को बाद में दे देंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : घर में रहना आनन्ददायक होता है लेकिन हमें अपने कर्तव्य निभाने हैं और अध्यक्ष के नाते आप हमारे संरक्षक हैं और उस कर्तव्य को निभाने के लिये आपको हमें अनुमति देनी होती है । मंत्री महोदय श्री आर० पी० गोयनका के जिम्मे बकाया राशि सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर दें । यदि वे नहीं देते तो हम यही कहेंगे कि उनके जिम्मे बहुत बकाया है और मंत्री महोदय उन्हें बचा रहे हैं ।

श्री प्रबोध चन्द्र : ऐसे बड़े गृह बहुत हैं जो आय-कर अधिकारियों से बातचीत करके अथवा समझौता करके कर अपवंचन करते हैं और जो पार्टियां कर देने योग्य होती हैं, वे कर नहीं देतीं । इस प्रकार बातचीत तथा समझौते द्वारा कर अपवंचन होता है ।

श्री के० आर० गणेश : प्रत्यक्ष-कर बोर्ड मामलों को जटिल बनाने के विरुद्ध है । लेकिन न्यायिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना ही पड़ता है और फिर न्यायिक याचिकाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है । लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक सम्भव होता है, वित्त मंत्रालय की नीति मामलों को जटिल करने की नहीं है और मंत्रालय इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि जिन्हें दंडित किया जा सकता है, उन्हें दंडित किया जाये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : बट्टे-खाते में डाली गयी राशि से संबंधित अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कुछ ऐसी परिस्थितियां पढ़ी जिनके अनुसार ये राशियां एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति की जांच के बाद बट्टे-खाते में डाली जाती हैं । एक परिस्थिति यह थी कि सम्बन्धित व्यक्ति मर गया और उसकी फर्म की परिसमाप्ति हो गयी । क्या उन्हें श्री राम रतन गुप्त के मामले की जानकारी है जिन के मामले में कानपुर में 21 लाख रुपये बट्टे-खाते में डाले गये ? वे न तो मरे हैं और न ही उनकी फर्म की परिसमाप्ति हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले का क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक वैयक्तिक मामला है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : वह यही तो चाहते थे ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस समय कैसे पूछा जा सकता है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले की पुनः जांच हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने इसका संकेत दे दिया है । इतना ही काफी है ।

श्री के० आर० गणेश : मैं आश्वासन तो नहीं देता, लेकिन जहां तक मुझे याद है, श्री राम रतन गुप्त से सम्बन्धित 25 लाख रुपये की यह राशि बट्टे-खाते में नहीं डाली गयी है । यदि मैं गलत कह रहा हूं तो उसे मैं ठीक कर लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि यह एक वैयक्तिक मामला है । लेकिन यदि इस मामले में इनकी स्मरणशक्ति ठीक है तो श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा पूछे गये मामलों के बारे में क्यों नहीं ; आप मुझे कठिन स्थिति में क्यों डालते हैं ?

श्री के० आर० गणेश : आपकी अनुमति से मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह इस मामले को जानकारी स्मरणशक्ति के आधार पर दे रहे हैं, तो श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाये गये मामलों में भी उनकी स्मरण शक्ति उनका साथ दे सकती है ।

श्री के० आर० गणेश : श्री राम रतन गुप्ता का मामला 'बट्टे-खाते डालने' से सम्बन्धित था, बकाया राशि से सम्बन्धित नहीं था । इसीलिए मैंने उसका उत्तर दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : एक पहले प्रश्न के सम्बन्ध में हमने यह रुख अपनाया था कि मूल प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है और उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष से सम्बद्ध प्रश्न नहीं पूछा जा सकता । स्वयं आपने कहा था कि ऐसे प्रश्नों के लिए अलग से नोटिस दिया जाना चाहिए । मैंने आपके मत के समर्थन में विनिर्णय दिया था । अब आपने श्री बनर्जी द्वारा उठाये गये मामले का उत्तर दे दिया है जिससे विनिर्णय का महत्व ही समाप्त हो गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : चूंकि एक मामला उन्हें याद था और दूसरा नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान, हम आपके कृतज्ञ हैं ।

श्री के० आर० गणेश : मैंने यह समझ कर इसका उत्तर दिया था कि श्री राम रतन गुप्त से सम्बद्ध मामला, जिसमें 25 लाख रुपये की राशि बट्टे-खाते डालने की बात है, श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाये गये मामलों से भिन्न है । मेरे पास यह जानकारी है कि शेष राशि को वसूल करने के लिए कानूनी कार्यवाही की जा रही है । दूसरे, प्रश्न में यह पूछा गया था कि बकाया राशि क्या है । इसका मैं सामान्य उत्तर दे चुका हूं । चूंकि उन्होंने उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी मांगी थी इसलिए मैंने प्रश्न विशेष का उत्तर दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने श्री बीजू पटनायक और श्री आर० पी० गोयनका के बारे में पूछा था ।

श्री के० आर० गणेश : श्री गोयनका के बारे में मैं बता चुका हूं । यदि वह कोई विशिष्ट प्रश्न पूछेंगे, तो मैं उत्तर दूंगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उन्होंने यह विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि श्री आर० पी० गोयनका की ओर कुल कितनी बकाया राशि है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्त, शान्त ! यह प्रश्न 25 मिनट ले चुका है । यह जानकारी वह आपको बाद में देंगे (**व्यवधान**) । प्रायः प्रतिदिन आप प्रश्न पर अधिक समय लेते हैं । सदस्यगण इस बात की शिकायत करते हैं । प्रश्न पर एक दो या तीन पूरक प्रश्न हो सकते हैं किन्तु सम्पूर्ण प्रश्न-काल में एक ही प्रश्न नहीं चलना चाहिए ।

तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना

*262. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 6 महीनों के दौरान देश में किन-किन स्थानों से तस्करी की वस्तुएं पकड़ी गई हैं ;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसी तस्करी की वस्तुओं की विक्री एवं निपटान से सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभाग को कुल कितना धन प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पिछले छः महीनों में विभिन्न स्थानों पर निषिद्ध माल को पकड़ने के लिए बहुत सारे मामलों को देखते हुए, सूचना बहुत विस्तृत होगी और उसे इकट्ठा करने में काफी समय लगेगा। लेकिन, निषिद्ध माल को पकड़ने के अधिकांश मामले भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित विभिन्न स्थानों तथा बन्दरगाहों पर हुए। माल पकड़ने के कुछ मामले देश में अन्य बड़े शहरों में भी हुए। जिन स्थानों से निषिद्ध माल पकड़ा गया, उनमें से अधिक महत्वपूर्ण स्थान ये हैं :

बम्बई (शहर तथा बन्दरगाह), मद्रास (शहर तथा बन्दरगाह), कलकत्ता (शहर तथा बन्दरगाह), दिल्ली, अहमदाबाद, बलसाड़, राजकोट, सूरत, दमन, बंगलौर तथा मैसूर।

(ख) इस प्रकार के सभी मामलों में, तस्करी के माल को जब्त करने के लिये और सम्बन्धित व्यक्तियों पर दण्ड लगाने के लिये सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन विभागीय न्यायनिर्णय की कार्यवाही शुरू की जाती है। इसके अलावा, उपयुक्त मामलों में, न्यायालयों में मुकदमें भी चलाये जाते हैं।

(ग) वर्ष 1970 और 1971 के दौरान तस्करी के माल की विक्री से प्राप्त रकम 16.88 करोड़ रुपये थी।

श्री रणबहादुर सिंह : क्या कुछ ऐसा माल वाराणसी में भी पकड़ा गया था ?

श्री के० आर० गणेश : यह जानकारी एकत्र करके मैं उन्हें भेज दूंगा।

श्री राम सहाय पांडे : यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार के लिए अशोभनीय है कि वह तस्करी को रोकने में असफल रही है। करोड़ों रुपये का माल चोरी छिपे लाया जाता है। सोना, नायलान, बिस्कुट, पाउडर और लैवेंडर आदि विदेशों से यहां लाये जा रहे हैं। हर बड़े शहर में पटरियों पर ऐसा माल बहुतायत में मिलता है। मुझे यह बताया गया था कि तस्करी को रोकने के लिए समुद्रों में जलयान या हेलीकोप्टर से निगरानी रखी जाएगी। करोड़ों रुपये के मूल्य के सामान की सभी सम्भव साधनों के माध्यम से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री के० आर० गणेश : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि तस्करी की समस्या एक गम्भीर समस्या है। **(व्यवधान)** तस्करी की समस्या न केवल भारत के सामने है बल्कि यह विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है और तस्करी के लिए आजकल अत्याधुनिक साधनों को प्रयोग में लाया जाता है। सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की है। तेज गति वाले विमानों की व्यवस्था की जा रही है जिससे इसे रोका जा सके। प्रशासनिक और कानूनी उपाय भी इस उद्देश्य से किए जा रहे हैं कि तस्करी कम से कम हो।

श्री राम सहाय पांडेय : समिति से काम नहीं चलेगा। ऐसा करना समस्या से दूर भागना है। यह बताया जाये कि तस्करी को रोकने के लिए क्या नये उपाय किए गए हैं क्योंकि जलयान और हेलीकोप्टर के प्रयोग की योजना बहुत पहले विचाराधीन थी। डुबाई और सिंगापुर दो स्थान भारत के बहुत समीप हैं। डुबाई और सिंगापुर से माल आ रहा है...**(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : यह उनके लिए एक अच्छी खबर है ।

डा० सरदीश राय : गत दो वर्षों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये तथा कितनों को सजा हुई ?

श्री के० आर० गणेश : वर्ष 1970 में 2107 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । 264 के विरुद्ध मामले छोड़ देने पड़े, 265 व्यक्तियों की दोष सिद्धि हुई तथा 203 को रिहा कर दिया गया । वर्ष 1971 में, 2399 व्यक्ति पकड़े गये थे, 124 मामलों में कार्यवाही त्याग दी गई, 350 की दोष-सिद्धि हुई तथा 125 रिहा किए गये ।

Shri Panna Lal Barupal: May I know whether the Government have detected the ways and means by which this smuggling business is done ? Is it a fact that when the ships belonging to private companies go abroad for repairs etc., they are loaded with these goods there and then covered; and those goods are taken out when these ships reach their yards ? May I know whether any Vigilance Commission or an Inquiry Commission will be appointed to look into it ?

श्री के० आर० गणेश : यह तो कार्यवाही के लिए एक बहुत ही अच्छा सुझाव है ।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : विशाखापत्तनम तथा मद्रास में हमारे सीमा शुल्क अधिकारियों को तेज चलने वाली नौकायें उपलब्ध कराने के लिए वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि तस्करों के पास हमारे सीमा शुल्क अधिकारियों की नौकाओं से अधिक तेज चलने वाली नौकायें हैं ? यदि हमारे सीमा शुल्क अधिकारियों के पास भी कुछ लाख रुपये खर्च करके तस्करों की नौकाओं से ज्यादा तेज चलने वाली नौकायें हो जायें तो वे कुछ करोड़ रुपये एकत्रित कर सकेंगे ।

श्री के० आर० गणेश : मैं माननीय सदस्या से सहमत हूं । ऐसी नौकायें बनाने के आदेश देने सम्बन्धी निर्णय अब होने ही वाला है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने आज सब के साथ सहमति प्रकट की है ।

जब दो-तीन अनुपूरक प्रश्न पूछे जा चुके हों तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे खड़े न हों । मैंने देखा है कि यद्यपि आधा समय बीत चुका है फिर भी माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए खड़े हो जाते हैं ।

अमरीका, मध्य अमरीका और दक्षिण अमरीका में भारतीय पर्यटक केन्द्रों की संख्या

+

*263. **श्री डी० पी० जदेजा** :
श्री वेकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, मध्य अमरीका और दक्षिण अमरीका में कितने भारतीय पर्यटक केन्द्र हैं ;

(ख) उन केन्द्रों में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, उन सम्बद्ध क्षेत्रों से कितने-कितने पर्यटक भारत आये ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) चार (तीन संयुक्त राज्य अमरीका में तथा एक मैक्सिको में) ।

(ख) 28 ।

(ग) पर्यटकों की संख्या

वर्ष	यू० एस० ए० से	मध्य तथा दक्षिणी अमरीका से
1969	52,836	3,989
1970	58,793	5,099
1971	54,982	3,441

(मध्य अमरीका तथा दक्षिणी अमरीका के लिए पृथक-पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।)

श्री डी० पी० जदेजा : दक्षिण अमरीकी देशों से आने वाले पर्यटकों की इतनी कम संख्या को, तथा दक्षिण अमरीकी पर्यटकों द्वारा विश्व-व्यापी यात्रा में वृद्धि को देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि दक्षिण अमरीकी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मेरे विवरण से स्पष्ट है, गत एक-दो वर्षों से दक्षिण अमरीकी पर्यटकों की संख्या में वस्तुत: कमी हुई है। मैक्सिको में हमारा कार्यालय है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि दक्षिण अमरीका के पर्यटकों के आकर्षण हेतु कोई विशेष विकास नहीं हो पाया है और इस में अभी काफी समय भी लगेगा। हमारा मैक्सिको स्थित कार्यालय इस समय दक्षिण अमरीका में पर्यटन संवर्द्धन कार्य में जुटा हुआ है। हम स्पेनी भाषा में कुछ साहित्य तैयार कर रहे हैं ताकि उसे दक्षिण अमरीका भेजा जा सके। परन्तु फिर भी मुझे निकट भविष्य में भी यह आशा नहीं है कि दक्षिण अमरीकी विदेशी पर्यटकों के कोई लाभप्रद स्रोत बन सकें।

श्री डी० पी० जदेजा : मैंने विशेष रूप से विश्व-व्यापी पर्यटन का जिक्र किया था क्योंकि दक्षिण अमरीकी देशों तथा एशिया के बीच कोई सीधी विमान-सेवा नहीं है। उन्हें सदा यूरोप के रास्ते से जाना पड़ता है। क्या मंत्री महोदय एयर इण्डिया से कहेंगे कि वह भारत से अफ्रीका होकर दक्षिण अमरीका तक अपनी विमान सेवा चलाये ?

डा० कर्ण सिंह : आर्थिक दृष्टि से यह व्यवहार्य नहीं है क्योंकि दक्षिण अमरीकी मार्गों पर कड़ी प्रतियोगिता है। वहां लोगों का यातायात बहुत ही कम है। हमने समय-समय पर इसकी संभाव्यता पर विचार किया है परन्तु निकट भविष्य में ऐसा होना सम्भव नहीं दिखाई देता।

Shri Vekaria : Once I was coming here from Ahmedabad and on my way I met an American. He was returning here from a tour of Gujarat. He said that he wanted to go to Africa to see the lions there. I asked him why he did not see the lions in Gujarat also ? He replied that our Tourist Officers in America did not tell him that there were lions in India. I want to know the reasons why such an important information is not given to the tourists although a very heavy expenditure is incurred on these tourist offices ? Proper information is also not given to them when they come here ; so, how such an expenditure is justified ? May I know whether the employees of our tourist offices would be fully educated about the tourist centre in India ?

Dr. Karan Singh : I won't say anything about the conversation which went on between the hon. Member and the said American. But it is certain that full information is given by our tourist offices abroad. We have specifically prepared a lot of literature which refers to all the tourist centres here—(**interruptions**). Information about lions is also there. It is our endeavour to provide maximum information to foreign tourists.

श्री समर गुह : क्योंकि दक्षिण-पूर्व ऐशियाई देश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टि से भारत के बहुत समीप हैं, इसलिये उन देशों से पर्यटकों को भारत आने का प्रोत्साहन देने हेतु वहां पर्यटक-केन्द्र, पर्यटन सूचना केन्द्र खोलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

डा० कर्ण सिंह : भारत सरकार ने टोकियो, सिंगापुर तथा सिडनी में भी अपने पर्यटक कार्यालय खोल रखे हैं ।

श्री समर गुह : इसके अतिरिक्त इण्डोनेशिया, मलयेशिया, थाईलैंड आदि अनेक अन्य देश हैं, वहां की क्या स्थिति है ?

डा० कर्ण सिंह : टोकियो तथा सिंगापुर के कार्यालय ही इस सारे क्षेत्र को संभाल लेते हैं तथा पर्यटन सम्बर्द्धन का कार्य करते हैं । परन्तु हमें याद रखना चाहिये कि विदेशों में पर्यटन कार्यालय खोलने का अर्थ बहुत धन खर्च करना होता है, परन्तु यदि आवश्यक हुआ तो हम निश्चय ही और अधिक कार्यालय खोल देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बीरेन्द्र सिंह राव ।

श्री बीरेन्द सिंह राव : प्रश्न संख्या 264 ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गोयन्का नामक दो ग्रुप हैं उन्होंने दोनों में से किसका जिक्र किया है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार बाधा मत डालिये । उन्हें उत्तर पढ़ने दीजिए ।

गोयनका कम्पनी समूह द्वारा की गयी अनियमितताएं

*264. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गोयनका कम्पनी समूह द्वारा की गयी विभिन्न अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग का प्रस्तावित गठन क्या होगा तथा इसके निर्देशपद क्या होंगे ; और

(ग) यह आयोग सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक देगा ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य के विचार में श्री रामनाथ गोयनका से सम्बद्ध कम्पनियों का समूह है । इस समूह की बारह कम्पनियों का निरीक्षण किया जा चुका है । नेशनल कम्पनी लि० कलकत्ता, तथा आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लि० मद्रास की बाबत केन्द्रीय जांच ब्यूरो को प्रथम सूचना रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गई थीं । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्रथम सूचना रिपोर्टें पंजीकृत करके जांच-पड़ताल प्रारम्भ की । नेशनल कम्पनी लिमिटेड से संम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट की जांच से सम्बन्धित विषय, नेशनल कम्पनी लि० द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत कलकत्ता उच्च न्यायालय में ले जाया गया था । एक-मात्र न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी एवं उच्च न्यायालय के खंड पीठ ने अपील की सुनवाई की । यह अवबुद्ध है कि यह फैसला अनिर्णीत है । आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लि० के विरुद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की बाबत, मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लिखित याचिका प्रस्तुत कर दी थी । यह लिखित याचिका एक-मात्र

न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई। एक-मात्र न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अनिर्णीत है।

निरीक्षण की गई कम्पनियों की निरीक्षण रिपोर्टें परीक्षान्तर्गत हैं। जांच आयोग की नियुक्ति के प्रश्न पर, गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न नहीं होते।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : गोयनका कम्पनी समूह के बारे में यह एक विशिष्ट प्रश्न है। अब क्या मंत्री महोदय वह जानकारी देंगे कि गोयनका नामक दोनों ग्रुपों के अधीन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा क्या उनमें से एक कम्पनी कांग्रेस के प्रचार के लिए पोस्टर छपवाने की उत्तरदायी थी ···(**व्यवधान**)। मंत्री महोदय इसका उत्तर दें···(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछें।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या पोस्टर छापने वाली कम्पनी इन दोनों ग्रुपों में से किसी एक ग्रुप की थी ? दूसरे, इन कम्पनियों ने किस प्रकार के कदाचार किये ? क्या इनमें आयकर अदा न करना तथा आय को छिपाना भी शामिल है ? यदि हां, तो इस कम्पनी समूह की ओर कितनी धनराशि बकाया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जब कल सायं यह प्रश्न मेरे मंत्रालय को स्थानान्तरित किया गया तो हम समझे थे कि यह प्रश्न रामनाथ गोयनका से संबंधित है। इस प्रश्न में स्पष्ट रूप से कोई संकेत नहीं है कि यह प्रश्न किस विशिष्ट ग्रुप से संबंधित है, और मेरे विचार से तो श्री रामनाथ गोयनका वाला ग्रुप भी दूसरे ग्रुप से किसी प्रकार कम दोषी नहीं है ···(**व्यवधान**)। अब सूचना देने के सम्बन्ध में···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रकार उनके उत्तर के बीच बाधा उत्पन्न करेंगे तो फिर मंत्री महोदय कैसे उत्तर देंगे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड के बारे में कम्पनी कार्य विभाग ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सहयोग से जो प्रथम जानकारी एकत्रित की है, वह धारा 120 ख, 420, 477 क के अधीन अपराधों के बारे में है···।

श्री पीलू मोदी : यह उत्तर प्रश्न से सर्वथा असंबंधित है। एक कुछ पूछ रहा है तो दूसरा कुछ और बता रहा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister is evading the question. Let him reply to what has been asked.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यही कारण था कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता था कि यह प्रश्न गोयनका के कौन से ग्रुप से सम्बन्धित है। परन्तु श्रीमन्, आपने मुझे बिठा दिया···(**व्यवधान**)

Shri S. D. Singh : That side is time and again repeating it. That practice should be stopped. I find ten persons standing at a time. This practice should be checked... (**interruptions**).

श्री पीलू मोदी : मुझे एक और शिकायत है। यह बात बहुत ही स्पष्ट की गई है कि इस प्रश्न का सम्बन्ध पोस्टर वाले गोयनका से है और अन्य गोयनका से नहीं, परन्तु फिर भी अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में वे अन्य गोयनका की बात किए जा रहे हैं। वह केवल अपनी फाइल से पढ़ रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । श्रीमान, पीलू मोदी उत्तेजित न हों । (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप हमें संरक्षण देंगे जिससे कि हमें समुचित उत्तर प्राप्त हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : आप जो भी उत्तर दें वह श्री राव के प्रश्न के संबंध में होना चाहिए । जो भी आप कहना चाहें वह सदस्य द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में होना चाहिए ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्री राव द्वारा गोयनका समूह की कम्पनियों के बारे में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में जो सूचना मेरे पास है, मैं बताऊंगा । यदि माननीय सदस्य को और आगे सूचना चाहिए तो वह अलग प्रश्न पूछ लें । यह ज्ञात नहीं था कि वह किस गोयनका कम्पनी समूह के बारे में प्रश्न है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यह प्रश्न गोयनका कम्पनी समूह द्वारा किए गए विभिन्न कदाचारों की जांच के बारे में आयोग नियुक्त करने के बारें में है । दो या तीन समूह हो सकते हैं । मेरा उससे कोई संबंध नहीं है । यदि वह गोयनका समूह के अन्तर्गत कम्पनियों के नाम नहीं जानते तो वह उनके द्वारा किए गए कदाचारों की बात कैसे बता रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि इस बारे में कोई शक था कि किस गोयनका समूह के बारे में प्रश्न है तो प्रश्न के बारे में हमारे सचिवालय से पूछा जा सकता था और हम सदस्य से स्पष्टीकरण प्राप्त करते । अब आपने प्रश्न स्वीकार कर लिया है । यही तो कठिनाई की बात है । इस अवस्था पर आप यह कह रहे हैं कि आप यह नहीं जानते कि प्रश्न किस गोयनका समूह के बारे में है, यदि आपको स्थिति स्पष्ट नहीं थी तो आपने प्रश्न हमें वापस भेज दिया होता ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह प्रश्न हमें कल शाम स्थानान्तरित किया गया था । इस सदन के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए मैंने सोचा कि मुझे प्रश्न का उत्तर यथासम्भव देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो मैं इसे स्थगित कर सकता हूं ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरे पास जो जानकारी है, वह मैं दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप और समय चाहें तो दिया जा सकता है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यदि आप चाहेंगे कि मैं और जानकारी दूं तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा । मैं जो जानकारी मेरे पास है वह दूंगा । परन्तु मेरे पास सारी जानकारी नहीं है । पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं था । मैंने समझा कि निर्देश रामनाथ गोयनका समूह की ओर है । कुछ समय पूर्व रामनाथ गोयनका कम्पनी समूह के बारे में जांच आयोग नियुक्त करने का प्रश्न राज्य सभा में उठाया गया था । मैंने सोचा कि सदस्य के मन में वही बात होगी ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : जैसा कि आपने बताया है, शायद इस प्रश्न पर बाद में विचार करना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि माननीय मंत्री ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा है कि उन्होंने समझा था कि प्रश्न रामनाथ गोयनका कम्पनी समूह के बारे में है । एकाधिकार आयोग के अनुसार, गोयनका कम्पनी समूह रामनाथ गोयनका का नहीं वरन् श्री आर० पी० गोयनका का है । अतः यदि हम इस पर इस समय विचार करेंगे तो यह प्रश्न के साथ न्याय नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्थगित करता हूं । यह प्रश्न गोयनका समूह के बारे में होगा जैसा श्री राव ने पूछा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : सभी गोयनका समूह कम्पनियों के बारे में ।

अध्यक्ष महोदय : इस स्थिति में, मैं इसे स्थगित नहीं कर सकता।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दोनों में कोई सम्बन्ध हैं। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात बदल दी है। मैं अब इसे स्थगित नहीं करना चाहता। मैं अब इसे स्थगित नहीं कर रहा। यदि यह प्रश्न सभी गोयनका समूह कम्पनियों के बारे में है तो मंत्री महोदय ठीक थे ...(**व्यवधान**)। मैं इसे स्थगित नहीं कर रहा।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : गोयनका समूह की सभी कम्पनियों के नाम क्या हैं ? मैंने एक गोयनका समूह की बात नहीं की है। मैं सभी गोयनका समूहों के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। आपका प्रश्न गोयनका समूह की कम्पनियों के कदाचारों के बारे में है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : दो गोयनका समूहों में सम्बन्ध हो सकता है। (**व्यवधान**) यह स्वतन्त्र कैसे हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह सभी गोयनकाओं के बारे में है तो इसे स्थगित नहीं किया जायेगा ? मंत्री महोदय उत्तर दें (**व्यवधान**)।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : उन्होंने मेरा प्रश्न नहीं समझा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मंत्री को उत्तर देने दें।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक मैं समझता हूं, रामनाथ गोयनका और के० पी० गोयनका भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यहां पर सभी सदस्य बातें करते रहते हैं। अतः मेरे लिए काम करना कठिन हो जाता है। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप की सहायता की आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : के० पी० गोयनका कम्पनी समूह के बारे में ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उत्तर सुनना नहीं चाहते तो मैं इस प्रश्न को छोड़ सकता हूं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : के० पी० गोयनका कम्पनी समूह के बारे में, मैं आपके विचार के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं। मेरे पास जो जानकारी है, मैं सदन को बता दूंगा। यदि उन्हें और जानकारी अपेक्षित होगी तो उन्हें विशिष्ट रूप से कृपया अलग से प्रश्न पूछना होगा। इस समय मेरे पास सारी जानकारी नहीं है।

कम्पनी कार्य विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने के० पी० गोयनका समूह की पांच निम्नलिखित कम्पनियों के विरुद्ध आयात और निर्यात (नियत्रंण) अधिनियम, 1947 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के मामले दर्ज किए हैं :

1. बीरपाटा चाय कम्पनी लिमिटेड, जलपाईगुडी ;
2. केरन चाय कम्पनी लिमिटेड, जलपाईगुडी ;

3. किल्लकोट चाय कम्पनी लिमिटेड, जलपाईगुडी ;

4. फसकोवा चाय कम्पनी लिमिटेड, जलपाईगुडी ; और

5. उन्कन ब्रादर्स लिमिटेड, कलकत्ता ।

उपरोक्त कम्पनियों के अतिरिक्त, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एशियन केबल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई सहित उन अनेक केबल निर्माता कम्पनियों के विरुद्ध भी, जिनके साथ श्री के० पी० गोयनका सम्बद्ध हैं, शिकायतें दर्ज की हैं। इन उपरोक्त कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें विदेश व्यापार मंत्रालय और औद्योगिक विकास मंत्रालय ने दर्ज की हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मैसर्स एशियन केबल्स कारपोरेशन के कार्यकरण की जांच पूरी कर ली है और सम्बद्ध मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। धारा 209 (4) के अन्तर्गत इस कम्पनी की किताबों और लेखों की जांच की गई थी परन्तु इसे 1970-71 तक ही सीमित करना पड़ा, क्योंकि उस अवधि से पूर्व की पुस्तकें केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक शिकायत के सिलसिले में जब्त कर रखी थीं, जिसकी जांच हो रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट सम्बद्ध मंत्रालय को कार्यवाही के लिए प्रस्तुत कर दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनके पास जानकारी उपलब्ध थी ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या वह कम्पनी जिसने चुनाव के दौरान पोस्टर छपवाये और जिस विषय पर सदन में चर्चा हुई (**व्यवधान**) ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह ठीक प्रश्न है। अब वह नहीं बच सकते (**व्यवधान**)।

श्री के० मनोहरन् : बहुत से गोयनका होंगे (**व्यवधान**)। वह स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि क्या यह वही गोयनका हैं जिन्होंने पोस्टर छपवाये थे (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह बता दूं कि इस प्रकार शोर कर के आप प्रश्न समाप्त कर नहीं सकते...(**व्यवधान**)। मैं जानता हूं कि यह आवाजें क्या हैं । मैं इसे पसन्द नहीं करता। उनके प्रश्न पर आपका उत्तर क्या है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : उन्हें प्रश्न पूछने दें ।

अध्यक्ष महोदय : पोस्टर का उल्लेख करने के स्थान पर आप उनका नाम क्यों नहीं लेते ? पोस्टर का मामला आप अनावश्यक रूप से बीच में ला रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : आर० पी० गोयनका।

श्री के० लकप्पा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : सदन में स्पष्टरूप से कह दिया गया था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा छपवाये गये पोस्टरों के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का श्री आर० पी० गोयनका अथवा श्री के० वी० गोयनका से कोई संबंध नहीं है (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : संसद शांतिपूर्ण चर्चा के लिए हैं, एक दूसरे के विरुद्ध चीखने-चिल्लाने के लिए नहीं है । यदि आप यह समझते हैं कि चीखने-चिल्लाने से मामले समाप्त हो सकते हैं तो आप गलती पर हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम यह जानना चाहते थे कि वह गोयनका कौन हैं, जिसने धन की अदायगी नहीं की है ।

श्री पीलू मोदी : माननीय मंत्री ने बताया था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पोस्टरों से कोई संबंध नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा है। उन्होंने पहिले ही इसका उल्लेख किया है।

श्री के० मनोहरन् : कृपया मेरी बात सुनें। माननीय सदस्य श्री उन्नीकृष्णन् ने कुछ कहा। मैं अपने मित्र श्री उन्नीकृष्णन् से यह कहना चाहता हूं कि वह मेरी बात सुनें क्योंकि यह उनके बारे में है। इस पर सदन में चर्चा हुई थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि श्री आर० पी० गोयनका ने पोस्टरों के लिए गारंटी दी थी। अब वह इसे अस्वीकार कर रहे हैं। इन्हीं माननीय सदस्य ने उस समय इसे स्वीकार किया था।

श्री वयालार रवि : उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री पीलू मोदी : उनका नाम लेकर पुकारा जाना चाहिये।

श्री के० मनोहरन् : भ्रष्ट लोगों को प्रश्रय न दें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका बहुत ही दुःख है। इससे आगे मैं नहीं जा सकता।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मेरा एक अन्य प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुःख है कि प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो हम चार प्रश्नों से आगे नहीं पहुंच सकेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : बहुमत दल को जो प्रश्न अच्छा नहीं लगता, उसे यदि वह रोकें तो उस समय आपको हमारी सहायता करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : बहुमत अथवा अल्पमत की बातें करना व्यर्थ है। सभी को उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार करना चाहिये।

श्री के० मनोहरन् : हमारे हितों का संरक्षण करना आप का कार्य है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक अव्यवस्था पूर्ण व्यवहार चलता रहेगा, चाहे वह इस पक्ष द्वारा हो अथवा विपक्ष द्वारा, मैं किसी को संरक्षण नहीं दे सकता। आखिरकार आपका भी तो कुछ उत्तर-दायित्व है। अल्पमत के नाम का सहारा न लें।

श्री बी० वी० नायक : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। इस समय किसी विषय पर चर्चा नहीं हो रही।

श्री बी० वी० नायक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस बारे में है। आज केवल चार प्रश्नों पर ही चर्चा की गई है। हम हमेशा उनसे सहयोग करना चाहते हैं। हम हमेशा अध्यक्ष से भी सहयोग करना चाहते हैं। परन्तु हमने एक बात समझ ली है कि हमारे लिए केवल चीखने-चिल्लाने का ही रास्ता खुला है। यही दूसरे पक्ष वाले चाहते हैं। हम नए सदस्य हैं। हमने यही जाना है कि हमें चीखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई उत्तरदायित्व-पूर्ण ढंग नहीं है। हमें इस सदन में अनुशासन रखना

है। दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिये । मैं किसी भी ऐसे सदस्य को संरक्षण नहीं दे सकता जो रुकावटें डाले ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : आपने मेरे प्रश्न को अनुमति नहीं दी है । हमें संरक्षण मिलना चाहिये । आपको मेरी सहायता करनी होगी । मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप पहिले ही दो से अधिक प्रश्न पूछ चुके हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मुझे एक प्रश्न और पूछना है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । मुझे अफसोस है । प्रश्न काल समाप्त हो चुका है । इस प्रकार आप के कार्य की ही क्षति होगी । आपके ही प्रश्नों के लिए समय नहीं मिलेगा । कृपया इसे ध्यान में रखें । प्रश्न काल भी वाद-विवाद काल बन गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिए गए ऋण

*265. **श्री बालकृष्ण वेन्कन्ना नायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1972 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि हेतु दिये गए ऋण की कुल राशि कितनी है ;

(ख) कृषि वित्त के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक कितना ऋण ले सकता है ;

(ग) क्या किसी मामले में ऋण की अधिकतम सीमा से अधिक ऋण भी दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कितने मामलों में ; और

(ङ) कृषि हेतु अभी तक दिए गए ऋण की अधिकतम राशि कितनी है और यह ऋण किसे दिया गया ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कृषि ऋणों की बकाया रकमों के सबसे हाल के उपलब्ध आंकड़े मार्च, 1972 के अन्त में 150.23 करोड़ रुपये थे ।

(ख) किसी विशेष मामले में ऋण की मात्रा के सम्बन्ध में पहले से कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है । ऋण की रकम प्रयोजन और आवश्यकता के अनुरूप अवश्य होनी चाहिए ।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (ख) को देखते हुए ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

(ङ) किसी बैंक द्वारा किसी विशेष पार्टी के लिए स्वीकृत अधिकतम राशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, एक विवरण संलग्न है जिसमें उन ऋणकर्ताओं की संख्या के बारे में राज्यवार सूचना दी गयी है, जिन पर दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि में 50,000 रुपये या इससे अधिक रकम बकाया थी ।

बैंकों में प्रचलित प्रथा के अनुसार तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1955, स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1950 और बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अनुसार भी किसी खाते-दार के खाते के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी जा सकती।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण-कर्ताओं के कतिपय वर्गों को दिये गये कृषि वित्त (प्रत्यक्ष) का राज्यवार वितरण का और दिसम्बर 1970 के अन्तिम शुक्रवार को बकाया रकमों का विवरण।

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र	वे ऋणकर्ता जिन पर 50,000 रुपये या इससे अधिक रकम बकाया थी।	
	संख्या	रकम (लाख रुपयों में)
आंध्र प्रदेश	261	150.86
असम	3	3.16
बिहार	3	1.78
गुजरात	176	95.80
हरियाणा	6	11.51
हिमाचल प्रदेश	1	1.00
जम्मू और कश्मीर	2	3.00
केरल	257	193.96
मध्य प्रदेश	26	22.01
महाराष्ट्र	73	68.37
मैसूर	42	27.63
उड़ीसा	7	6.55
पंजाब	18	26.29
राजस्थान	35	17.53
तमिलनाडु	40	70.68
उत्तर प्रदेश	69	71.00
पश्चिम बंगाल	12	11.07
सभी संघीय राज्य क्षेत्र	20	20.40
जोड़	1051	802.60

कोयला पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की नैफ्था क्रेकर परियोजना के विभिन्न 'डाउन स्ट्रीम' यूनिटों को चालू करना

*266. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की नैफ्था क्रेकर परियोजना के विभिन्न 'डाउन स्ट्रीम' यूनिटों को शीघ्र चालू करने के लिए तकनीकी सहयोग के छः प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो मंजूर किए गए प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इन प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) विदेशी सहयोग के ये प्रस्ताव, प्रक्रिया जानकारी की व्यवस्था, मूल-इंजीनियरिंग विस्तृत इंजीनियरिंग का पर्यवेक्षण, वैकल्पिक प्राप्ति सेवाओं, निर्माण एवं कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण से सम्बन्धित हैं ।

Replacement of Sales-Tax by Excise Duty

*267. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :**
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the general demand for the abolition of Sales-tax and its replacement by Excise Duty and for its proper distribution among the States ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Representations were received from trade organisations for extension of the scheme of levy of additional excise duty in lieu of sales tax applicable to textiles (other than silk fabrics) tobacco and sugar, to as many excisable commodities as possible.

(b) The Fifth Finance Commission who received similar representations made the following recommendation ;

"In view of the general opposition of the States, there is obviously no scope for extending the arrangements to other items or commodities in the foreseeable future."

This recommendation of the Commission has been accepted by the Government.

भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कार्यवाही

*268. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री वी० मायावन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश की स्थिति के कारण और दिसम्बर युद्ध के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में जो कमी आ गई थी, उसमें सुधार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना सुधार हुआ है ; और

(ग) भारत में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जनवरी-जून, 1972 के दौरान पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 2,551 या 1.7% अधिक पर्यटक आये ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०-टी०-3422/72**]

सिन्दरी उर्वरक कारखाने को हुई हानि

*269. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी उर्वरक कारखाने को प्रतिदिन एक लाख रुपये से अधिक हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अब तक हुए घाटे को पूरा करने के लिये और भविष्य में इस प्रकार के घाटे को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने में 1971-72 में 347 लाख रुपये की हानि हुई थी । इस हानि के मुख्य कारण हैं :– कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि, संयंत्र तथा मशीनों में तीव्र गति से ह्रास के कारण उत्पादन में कमी और कोक-भट्टी की बैटरियों की बुरी स्थिति जैसा कि पुराने संयंत्र के लिए स्वाभाविक है, भाड़े की दरों में वृद्धि ; बिजली पर अतिरिक्त शुल्क ; देख-रेख पर होने वाली लागत में वृद्धि, संयंत्रों की आयु भी इसका कारण है, घटिया क़िस्म के जिप्सम तथा कोयले जैसे कच्चे माल की अधिक खपत ।

इस कारखाने के कार्यकरण की लाभप्रदता में सुधार करने के लिए यथासम्भव उपाय, चाहे दीर्घकालिक हों अथवा अल्पकालिक, अपनाये जाते हैं । इस बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय अपनाए गए हैं :–

(1) संयंत्र तथा मशीनों के कुछ खण्डों का नवीकरण जैसा कि कोक-भट्टी बैटरियां; और

(2) ट्रिपल सुपर फास्फेट के निर्माण के लिए योजना, जिसमें और बातों के साथ साथ उपोत्पाद जिप्सम को बिना किसी लागत पर वर्तमान अमोनियम सल्फेट संयंत्र के लिए नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चित हो जाएगी ।

इस संयंत्र के पुराने हो जाने के कारण, उपरोक्त उपायों, जो लघुकारी क़िस्म के हैं, से किसी सीमा से आगे कारखाने के कार्यकरण की लाभप्रदत्ता में सुधार किए जाने की आशा नहीं की जा सकती । सिन्दरी की समस्याओं का समाधान इसके बड़े पैमाने पर विस्तार तथा संयंत्र के आधुनिकी-

करण में निहित है । इस प्रयोजन के लिए, वर्तमान कोक/कोक-भट्टी गैस, जिसकी सप्लाई तथा किस्म सम्बन्धी स्थिति उत्तरोत्तर अनिश्चित हो रही है, को बदलने के लिए सम्भरण सामग्री के रूप में हैवी पेट्रोलियम फ्रैकशन्ज से एक आधुनिकीकरण योजना तथा आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने के लिए सरकार विचार कर रही है ।

'एक्सल' और मशीनी तेलों के आयात के लिये रूमानिया के तेल संगठन के साथ करार

*270. **श्री हरि सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूमानिया से 'एक्सल' तथा मशीनी तेलों के आयात के लिये भारत सरकार और रूमानिया के तेल संगठन के मध्य 14 जून, 1972 को बम्बई में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो ये तेल कब तक भारत में पहुंच जाएंगे ; और

(ग) इनका भुगतान किस रूप से किया जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) भारतीय तेल निगम ने रूमानिया के मैसर्स पेट्रोल-एक्सपोर्ट के साथ एक्सल आयल और MVI नेफ्थैनिक आयल के आयात के लिये 15 जून, 1972 को एक ठेका किया था। लांग टर्म ट्रेड एग्रीमैंट (दीर्घावधि व्यापार करार) के अनुसार यह ठेका भारत सरकार और रूमानिया सरकार के बीच सम्पन्न हुआ था ।

(ख) पहली खेप के भारत में सितम्बर, 1972 के पहले सप्ताह में पहुंचने की आशा है । चालू वर्ष के अन्त तक आयात के कार्यक्रम को पूरा किया जाना है ।

(ग) इन आयातों का भुगतान भारतीय रुपया मुद्रा में किया जायेगा ।

ब्रिटेन में विमान प्रदर्शनी में नैट आदि के प्रदर्शन पर होने वाला व्यय

*271. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री ब्रिटेन में विमान प्रदर्शनी में नैट विमान रखे जाने के बारे में 26 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 7635 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिटेन में विमान प्रदर्शनी में नैट आदि विमान के प्रदर्शन पर कितना व्यय होगा ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्यमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड का फार्नबरो में हवाई प्रदर्शन तथा प्रदर्शनी में सम्मिलित होने का अनुमानित खर्च 12 लाख रुपए है जिसमें 4.71 लाख रुपये का विदेशी मुद्रा उपकरण भी सम्मिलित है ।

समाचार पत्रों पर लगाए गये उत्पादन शुल्क को वापस लेना

*272. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी के अध्यक्ष ने यह कहा है कि बंगला देश के शरणार्थियों के अपने देश लौट जाने के पश्चात् समाचार पत्रों पर लगाये गये उत्पादन शुल्क की अब कोई आवश्यकता नहीं रही ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) वित्त मंत्री द्वारा 21-3-1972 को इस सदन में दिये गये वक्तव्य में सरकार की प्रतिक्रिया बता दी गयी है जिसके अनुसार यह उत्पादन शुल्क वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये जारी रहेगा।

15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर संसद्-सदस्यों को निमंत्रण-पत्र देने का मानदण्ड

*273. **श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय समारोहों पर संसद्-सदस्यों को निमन्त्रण-पत्र देने के लिए सरकार ने क्या मान-दण्ड अपनाया है ;

(ख) क्या सरकार को संसद्-सदस्यों से रक्षा मन्त्रालय द्वारा उनका स्वागत करने और उन्हें बैठाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). 15 अगस्त को ध्वजारोहण समारोह देखने के लिए सभी संसद सदस्यों (उनके पति, पत्नी सहित, यदि कोई हो) को आमन्त्रित किया जाता है। परकोटा पर बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण, संसद में विरोधी गुटों के नेताओं और कुछ वरिष्ठ सदस्यों को परकोटा पर स्थान दिया जाता है ; शेष संसद सदस्यों को परकोटा के नीचे 'एम' बाड़े में स्थान दिया जाता है।

26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस परेड के अवसर पर, यह प्रक्रिया रही है कि सभी संसद सदस्यों से लिखित रूप में यह अनुरोध किया जाता है कि क्या वे गणतन्त्र दिवस परेड के अवसर पर उपस्थित होंगे अथवा नहीं। गणतन्त्र दिवस परेड के लिए निमन्त्रण-पत्र ऐसे संसद सदस्यों को जारी किए जाते हैं जो समारोह में उपस्थित होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। गणतन्त्र दिवस परेड में जिन संसद सदस्यों को निमन्त्रित किया जाता है, उन सब को 'बी-1' बाड़े में बैठाया जाता है। जबकि संसद में विरोधी गुट के नेताओं और कुछ वरिष्ठ संसद सदस्यों के लिए स्थान उनके नाम से आरक्षित किए जाते हैं। शेष संसद सदस्यों के लिए उन बाड़े में एक ब्लाक की व्यवस्था की जाती है।

संसद सदस्यों के स्वागत तथा बैठाने के सम्बन्ध में असन्तोषजनक प्रबन्ध के बारे में उनसे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विशाखापटनम स्थित नौसेना गोदी परियोजना की प्रगति

*274. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाद निकालने के कार्य में रुकावट आ जाने के कारण विशाखापटनम में नौसेना गोदी परियोजना की प्रगति रुक गई है ;

(ख) क्या गाद निकालने के कार्य के लिए उत्तरदायी विदेशी ठेकेदारों ने अपना कार्य रोक दिया है और संविदा संबंधी विवाद के कारण काम छोड़ कर चले गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो गतिरोध को शीघ्र दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) और (ग). गाद निकालने का कार्य नेवल परियोजना के महानिदेशक द्वारा जुलाई, 1969 में रोक दिया गया था क्योंकि गाद निकालने का क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो सका। ठेकेदार को भी चले जाने की आज्ञा दे दी गई थी। गाद निकालने का कार्य दिसम्बर, 1972 में पुनः आरम्भ कर दिए जाने की योजना है ।

सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों के लिये सुविधाओं में वृद्धि करना

*275. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित, और अधिक सुविधायें देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

*276. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह आदेश दिए हैं कि वे बिहार के पिछड़े जिलों में और विशेषकर छोटा नागपुर क्षेत्र में अपनी शाखाएं खोलें ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख). राष्ट्रीयकरण के बाद से सरकारी क्षेत्र के बैंक, नीति के तौर पर, उन राज्यों की जिनमें अब तक बैंकों की कम शाखाएं रही हैं और किसी एक राज्य में उन जिलों और क्षेत्रों की जिनमें बैंकों की बहुत कम शाखाएं हैं और पिछड़े हुए हैं, आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते रहे हैं। इस प्रकार जून, 1969 के अन्त से मार्च, 1972 के अन्त तक की अवधि के दौरान जबकि सम्पूर्ण देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या में 5,043 अर्थात् 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अकेले बिहार में खोले गये कार्यालयों की संख्या में 254 अर्थात् 93 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बिहार में भी खोले गये 254 नये कार्यालयों में से 51 कार्यालय छोटा नागपुर क्षेत्र के पांच जिलों में खोले गये थे और इस प्रकार उस क्षेत्र में चल रहे बैंक कार्यालयों की संख्या बढ़ कर 147 हो गयी जबकि इसकी तुलना में सारे बिहार राज्य में काम कर रहे बैंक कार्यालयों की संख्या 527 थी। 31 मार्च, 1972 को छोटा नागपुर क्षेत्र में 75,000 लोगों के लिए एक बैंक कार्यालय था जबकि इसकी तुलना में सम्पूर्ण बिहार राज्य में 1,07,000 लोगों के पीछे एक कार्यालय था ।

हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव

*277. **श्री हरि किशोर सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ में संयुक्त क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई सहायता दी है ;

(ग) इस की उत्पादन क्षमता क्या होगी ; और

(घ) यह कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-नेपाल विमान-सेवा सम्बन्धी समझौता

*278. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा नेपाल ने किसी विमान-सेवा सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार और नेपाल की शाही सरकार के शिष्ट मण्डलों के बीच नई दिल्ली में 20 से 25 जुलाई, 1972 तक विचार विमर्श हुआ जिसके फलस्वरूप भारत और नेपाल की विमान कम्पनियों द्वारा विमान सेवाओं के सम्बन्ध में एक नया समझौता स्वीकार किया गया । संशोधित समझौते में रायल नेपाल एयरलाइंस द्वारा भारत में दिल्ली, पटना और कलकत्ता के अतिरिक्त, जिनके लिये इसकी विमान सेवाएं पहले से ही परिचालित की जा रही हैं, वाराणसी के लिये भी विमान सेवा परिचालन की व्यवस्था की गयी है । इसके अलावा, रायल नेपाल एयरलाइन्स को कलकत्ता और दिल्ली से गुजरने वाली कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवायें परिचालित करने का भी अवसर प्राप्त होगा । पारस्परिक आधार पर भारतीय विमान कम्पनियों द्वारा काठमाण्डू से होकर अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवायें परिचालित करने की भी व्यवस्था की गई है ।

चीन द्वारा अपनी युद्ध नीति में किए जा रहे परिवर्तन

*279. **श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ :**
श्री पीलू मोदी :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया

गया है कि चीन अपनी युद्ध नीति में कुछ आधारभूत परिवर्तन कर रहा है तथा अपनी आयुध शक्ति को सामरिक महत्व के परमाणु हथियारों से सुदृढ़ कर रहा है तथा अपनी वायु सेना को विशेष लड़ाकू बमबार विमानों द्वारा शक्तिशाली बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) इन तमाम रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जाता है और अपनी रक्षा तैयारी का आयोजन करते समय इनको ध्यान में रखा जाता है ।

Autonomous Finance Body to grant Loan to States

*280. **Shri R. R. Sharma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to set up an autonomous Finance body for granting loans on merits to State Governments for their development ; and

(b) if so, the time by which it will be set up ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Market Rates of Medicine Consumed by Common Man

2580. **Shrimati V. R. Scindia :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the names of the first 30 medicines together with market rates which are consumed most by the common man ;

(b) whether Government have any scheme to arrange for the sale of the said medicines on concessional rates for the benefit of middle class and poor class people ; and

(e) if so, the main features thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) Since every drug or medicine could be considered as essential for a particular ailment for which it is prescribed ; it is not possible to identify the first 30 medicines. However, a number of drugs have been declared as essential under the Drugs (Prices Control) Order 1970.

(b) and (c). The prices of all drugs and the formulations based thereon are controlled under the aforesaid Order, the main obje ctive of which is to see that all drugs and medicines are available at reasonable prices. No separate scheme is under consideration of Government for supply of medicines at concessional rates.

मध्य प्रदेश में रीवा क्षेत्र के किसानों को स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा ऋण दिया जाना

2581. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में रीवा क्षेत्र के किसानों को स्टेट बैंक अथवा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी राशि के ऋण दिये गये ; और

(ख) इससे कितने किसानों को लाभ पहुंचा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण

2582. **श्री मार्तण्ड सिंह : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 1971-72 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आदिवासियों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कितने लोगों को ऋण दिये गये ; और

(ख) राज्य में छोटे कृषकों को अधिकतम कितनी राशि का ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बैंक आंकड़े रखने के मामले में, एक ओर अनुसूचित जातियों - और अनुसूचित आदिम जातियों के ग्राहकों और दूसरी ओर शेष ग्राहकों में कोई भेद नहीं करते, इसलिए माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) मध्य प्रदेश में छोटे कृषकों को दिए गए प्रत्यक्ष वित्त की राशि में से, दिसम्बर, 1971 के अन्तिम शुक्रवार को, लगभग 45 लाख रुपये की राशि बकाया थी ।

रीवा (मध्य प्रदेश) में एक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव

2583. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रीवा (मध्य प्रदेश) में एक हवाई अड्डा बनाने का है ; और

(ख) इसके सेवा के लिये कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Resettlement of released Army Officers

2584. **Shrimati V. R. Scindia :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the office of the Director General of Resettlement, Ministry of Defence, Government of India was functioning at the time of the last Sino-Indian war, but it has not been successful in resettling the released army officers so far ; and

(b) the special efforts proposed to be made by Government to resettle such officers ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). Re-settlement Directorate was functioning at the time of last Sino-India war. The resettlement Dirctorate has further been re-organised with effect from 1st August 1972 for improving its functioning. The resettle-

ment of released Army officers is a continuous process and the schemes for their resettlement are constantly under review. Brief outline of the existing schemes for the re-settlement assistance to released Army officers is given below :—

Released Commissioned Officers seeking re-settlement assistance after retirement, register themselves with Defence Services Liaison Officers in Directorate General Resettlement. The Director General, Resettlement maintains their screened dossiers and depending on their qualifications and experience, sponsors their names for suitable jobs in Para-Military Organisations, Central/State Governments and Public and Private Sector Undertakings. The number of officers who get re-employment depends upon the availability of jobs in the afore-said avenues of employment. Re-orientation courses are also arranged for limited number of retiring or retired officers to facilitate their absorption in civil jobs. Further, released officers are also entitled to all the re-settlements measures which are available to ex-servicemen in general like allotment of tractors, purchase of surplus vehicles of the Defence Ministry and allotment of commercial vehicles. They are also entitled to receive loans from the Special Fund either individually or through cooperative societies for self-employment schemes. Besides, released ECOs/SSCOs are re-settled through the reservation of posts made in All India/Central Services. The State Bank of India as well as some other Nationalised Banks having an element of direct recruitment in their officers' cadre have reserved/agreed to reserve certain percentage of the vacancies filled by direct recruitment for ECOs/SSCOs.

सैनिक स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी

2585. **श्री वयालार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत स्थित विभिन्न सैनिक स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी तथा उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला प्राप्त किया ;

(ख) क्या सैनिक स्कूलों के शिक्षकों में व्याप्त असंतोष है जिससे स्कूलों के शिक्षा स्तर पर बुरा असर पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) अध्यापन-कर्मचारियों के बीच व्याप्त किसी असंतोष की सरकार को जानकारी नहीं है । इन स्कूलों में शिक्षा के स्तर में कोई गिरावट नहीं आयी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा तथा एन० डी० ए० एन्ट्रेंस परीक्षा परिणामों का विवरण ।

आई० एस० सी०/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा परिणाम

वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित हुए उनकी कुल संख्या	पास होने वालों की कुल संख्या
नवम्बर-दिसम्बर 1969	485	450
नवम्बर-दिसम्बर 1970	580	557
मार्च-अप्रैल 1972	673	642

इकतालिसवें से छियालिसवें कोर्स के परिणाम।

एन० डी० ए० कोर्स	कोर्स के चालू होने की तारीख	संघ लोक सेवा आयोग में सम्मिलित हुए	सर्विस सलैकशन बोर्ड में पास हुए	निम्न स्वास्थ्य वर्ग के कारण दाखिल नहीं किए गये	एन० डी० ए० में वास्तविक रूप से दाखिल किए गये
41वां	जनवरी 1969	616	379	21	106
42वां	जुलाई 1969	856	626	32	120
43वां	जनवरी 1970	760	411	18	90
44वां	जुलाई 1970	981	596	21	126
45वां	जनवरी 1971	618	404	25	84
46वां	जुलाई 1971	511	230	14	56

दुर्व्यवहार किए जाने के कारण सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों द्वारा पद त्याग

2586. **श्री वयालार रवि :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत स्थित विभिन्न सैनिक स्कूलों के बड़ी संख्या में शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को सैनिक स्कूलों के अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के कारण पद त्याग करने के लिए बाध्य होना पड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में सैनिक स्कूलों के कार्यकरण के संबंध में जांच करवाने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में पांचवीं योजना में पर्यटन के विकास के लिये आरम्भ की जाने वाली परियोजनायें

2587. **श्री वयालार रवि :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन के विकास के लिये कोई व्यापक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में योजना के एक भाग के रूप में केरल में आरम्भ की जाने वाली मुख्य परियोजनाओं के नाम तथा उनका विवरण क्या है और उन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पांचवीं योजना की स्कीमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि कोवालम के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एक समुद्रतटीय बिहार स्थल के रूप में समेकित विकास का कुछ भाग अवशिष्ट रह जायेगा जो पांचवीं योजना के दौरान पूरा किया जायेगा ।

आधुनिक होटलों के निर्माण के लिये प्राइवेट उद्यमकर्ताओं के प्रस्ताव

2588. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक होटलों के निर्माण के लिये प्राइवेट उद्यमकर्ताओं से प्राप्त अनेक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971 के दौरान और इस वर्ष ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और ये प्रस्ताव रखने वाली भारतीय पार्टियों तथा विदेशी सहयोगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनमें से कितने प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया और अन्य प्रस्तावों पर कब तक अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) विदेशी पर्यटकों के लिये उपयुक्तता के दृष्टिकोण से होटल प्रायोजनाओं के अनुमोदन के लिये प्राइवेट पार्टियों से पर्यटन विभाग में लगातार आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं । आयोजन स्तर पर अनुमोदित की गयी ऐसी प्रायोजनाओं की संख्या इस समय 93 है । विभाग अनुमोदन के लिये अपेक्षित ब्यौरों के संबंध में 33 अन्य प्रायोजनाओं के प्रवर्तकों से सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं ।

(ख) और (ग). होटल प्रायोजनाओं में विदेशी सहयोग के लिये 1971 तथा 1972 में पांच आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले दो आवेदन-पत्रों का अनुमोदन किया जा चुका है । ये सहयोग प्रस्ताव क्रमशः अद्यार गेट होटल प्रा० लि०, मद्रास तथा होलीडे इन्स इन्कारपोरेटेड यू० एस० ए० के बीच ; तथा उत्तर प्रदेश होटल्स एण्ड रेस्टोरैंस लि०, वाराणसी और रामाडा इन्सइन्कारपोरेटेड यू० एस० ए० के बीच हैं । अन्य तीन में से दो ने कुछ मूल अपेक्षाएं पूरी नहीं की हैं, तथा तीसरे से कुछ अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त होनी है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व देने के बारे में भारत पर्यटन विकास निगम को निदेश

2589. **श्री रामसहाय पाण्डे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बहुत थोड़े लोग काम कर रहे हैं और यदि हां, तो उनकी वर्तमान कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस निगम में कर्मचारियों की भर्ती के समय इन जातियों के लिये पदों का आरक्षण नहीं किया जाता है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या भविष्य में कर्मचारियों की भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व देने के बारे में भारत पर्यटन विकास निगम को सरकार द्वारा कोई निदेश दिये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम में कुल 3858 कर्मचारियों में से 691 कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं तथा 36 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति के हैं।

(ख) जी, हां। शिकायतों की जांच की गयी है तथा 8-11-1971 को कारपोरेशन को एक निदेश जारी किये जाने के परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार होने की आशा है।

(ग) जी, हां, 8-11-1971 को ।

सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा शुल्क उपदान

2590. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली के सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं कक्षा में तथा उससे अगली कक्षाओं में पढ़ने वाले उनके बच्चों के लिए शिक्षा शुल्क उपदान दिया जाता है ;

(ख) क्या भुगतान दर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के लिए अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो किन वास्तविक दरों पर भुगतान किया जाता है और भेदभाव के क्या कारण हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि भुगतान दर एक समान हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) दिल्ली प्रशासन के सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में शिक्षा शुल्क की निर्धारित दरें नीचे दी गई हैं :—

श्रेणी	लड़कों के स्कूल		लड़कियों के स्कूल	
	प्रथम ग्रेड	द्वितीय ग्रेड	प्रथम ग्रेड	द्वितीय ग्रेड
	रु०	रु०	रु०	रु०
IX	8.00	6.00	4.00	3.00
X	9.00	7.00	5.00	3.50
XI	10.00	8.00	6.00	4.00

शिक्षा शुल्क की व्यय-पूर्ति की जो सामान्य योजना केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लागू है उसके अनुसार, प्रत्येक राज्य में सरकारी स्कूलों में निर्धारित शुल्क अथवा अदा किये गये वास्तविक शुल्क इन दोनों में जो भी दर कम होती है, उसके मुताबिक पूर्ति की जाती है। इस प्रकार, व्ययपूर्ति

की दर प्रत्येक मामले में वास्तविक अदायगी की सीमा के अधीन होने से भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं उठता।

मुद्रा स्फीति के बारे में सेन्ट्रल बैंक के कस्टोडियन द्वारा की गई टिप्पणी

2591. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान घाटे की अर्थव्यवस्था की नीति के कारण देश में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दिनांक 24 जुलाई 1972 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित सेन्ट्रल बैंक के कस्टोडियन के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है कि बजट संबंधी कार्रवाइयों का भी मूल्यों पर कुछ दबाव पड़ा है और इसलिए सरकार राजस्व तथा मुद्रा संबंधी अनुशासन और उत्पादन को बढ़ाने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और व्यापक बनाने के उपायों को सबसे अधिक महत्व देती है।

भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं द्वारा पेंशन के लिए अभ्यावेदन

2592. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **रक्षा** मंत्री 21 अप्रैल, 1972 को लोकसभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3592 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1964 से पूर्व सर्विस पेंशन पर सेवानिवृत होने वाले तथा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात अथवा सेवा निवृति की तिथि से 5 वर्ष बाद मरने वाले और जिनके मामलों में 1964 में लागू की गई परिवार पेंशन योजना आमतौर पर लागू नहीं होती उन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं से सीधे तथा संसद सदस्यों के माध्यम से परिवार पेंशन के लिये कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) भाग (क) में उल्लिखित मामलों में से कितने मामलों में 1964 में लागू की गई परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत इस बीच परिवार पेंशन मंजूर कर दी गई है ; और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितने मामलों में परिवार पेंशन अभी तक मंजूर नहीं की गई है और प्रत्येक मामले में परिवार पेंशन कब तक मंजूर कर दी जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (ग). सूचना को एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणामों के समपरिमाण में न होगा।

1964 में लागू की गई परिवार पेंशन योजना के अधीन 1-1-64 की सेवा में लगे या जो उसके पश्चात् सेवा में आए सशस्त्र सेनाओं के सभी मृत कार्मिकों की विधवाएं ऐसे मारे गये कार्मिकों की मरने के समय आयु का विचार किए बिना सारा जीवन साधारण परिवार पेंशन पाने की हकदार हैं। तथापि, यह योजना इन भूतपूर्व सैनिकों के बारे में लागू नहीं होती जो 1-1-1964 से पूर्व सेवा निवृत हो गए थे।

ज्वायंट स्टाक तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां

2593. **श्री रोबिन काकोटी :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम, मेघालय, मणीपुर, त्रिपुरा राज्यों तथा मिजोराम और अरुणाचल संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1971-72 के अन्त में, पृथक-पृथक, कुल कितनी ज्वायंट स्टाक तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां कार्य कर रही थीं ; और

(ख) उनके पंजीकृत मुख्य कार्यालयों के स्थान कौन से हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). सूचना संग्रह की जा रही है व वह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

आसाम में ए० ओ० सी० के राष्ट्रीयकरण के लिए मांग

2594. **श्री रोबिन काकोटी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में ए० ओ० सी० का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में विभिन्न सरकारी तथा श्रमिक संगठनों द्वारा मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) सरकार के पास हाल में ऐसी कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गत भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान आसाम राइफल्स और आसाम रेजीमेंट के मारे गए तथा बन्दी बनाए गए सैनिक

2595. **श्री रोबिन काकोटी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत भारत-पाक युद्ध के दौरान आसाम राइफल्स और आसाम रेजीमेंट के मारे गये, बन्दी बनाये गये अथवा लापता सैनिकों की कुल संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सूचना इस प्रकार है :—

रेजीमेंट	सैनिकों की संख्या		
	मारे गए	युद्ध बन्दी बनाए गए	लापता
आसाम रेजीमेंट	56	133	18
आसाम राइफल्स	शून्य	शून्य	शून्य

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या

2596. **श्री अर्जुन श्रीपत कस्तूरे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1972 को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी थी तथा उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटे के अनुसार इन जातियों के लोग रखे गए हैं ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 1.1.1972 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की श्रेणीवार स्टाफ की स्थिति तथा उसमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

श्रेणी	1.1.72 को कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की संख्या
श्रेणी I	1537	26	4
श्रेणी II	1349	18	1
श्रेणी III	13577	598	92
श्रेणी IV	5055	863	147

(ख) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए पदों का आरक्षण किया जाता है और आरक्षित रिक्त पदों, जिन्हें ऐसे (अर्थात् अनुसूचित जातियों आदि के) अभ्यर्थियों की नियुक्ति द्वारा नहीं भरा जा सकता है, को भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार आगे लाया जाता है ।

तथापि बहुत केसों में आरक्षित रिक्त पदों को भरना संभव नहीं रहा है क्योंकि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के वे उम्मीदवार, जिन्हें उन पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभाव प्राप्त हों, उपलब्ध नहीं थे ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने स्वयं भी इस संबंध में कई उपाय अपनाएं हैं । यह निर्णय लिया गया है कि जहां पर पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं एवं अनुभव पर बल दिया जाता है ; वहां पर आरक्षित पदों के चयन के संबंध में साक्षात्कार के लिए आने वाले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों का एक शिथिल मानक द्वारा विचार किया जाना चाहिए ।

इस संबंध में और यह निर्णय लिया गया है कि जब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के एक उम्मीदवार के, एक क्लास III अथवा ऊंचे पद के साक्षात्कार में, शिथिल मानक द्वारा विचार

किए जाने पर भी, उत्तीर्ण नहीं होती है, किन्तु सलेक्शन बोर्ड महसूस करता है कि यदि उसे अल्प अवधि के लिए शिक्षण अथवा कार्य-प्रशिक्षण दिया जाए, तो वह शिथिल मानक के अनुसार उत्तीर्ण हो सकता है, तब सलेक्शन बोर्ड यह सिफारिश कर सकता है कि सम्बद्ध उम्मीदवार को 2-3 महीनों अथवा कम समय के लिए शिक्षण/कार्य-प्रशिक्षण दिया जाए। इस प्रशिक्षण अवधि में उम्मीदवार को प्रतिमास 150/- रुपये का एक वजीफा दिया जायेगा। ऐसे शिक्षण/कार्य-प्रशिक्षण की समाप्ति पर, उम्मीदवार को सलेक्शन बोर्ड के समक्ष पुनः साक्षात्कार के लिए आना पड़ेगा और यदि वह शिथिल मानक के अनुसार उत्तीर्ण हो जाता है, तो वह नियुक्त के लिए चयन किया जायेगा।

कमीशन प्राप्त अधिकारियों से वसूल किए जाने वाले भोजन-शुल्क और अन्य शुल्क

2597. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पीस' स्टेशनों पर तैनात कमीशन प्राप्त अधिकारियों से वसूल किये जाने वाले भोजन और अन्य शुल्क सामान्य सामान्यता उनके वेतन से अधिक हो जाते हैं और वह साधारणतयः कर्जदार रहते हैं जबकि गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भोजन शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त है और उनके वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मामला तीसरे वेतन आयोग अथवा अन्य किसी समिति को सौंपा गया है ; यदि हां, तो किस विशिष्ट निर्देश के साथ ; और

(ग) क्या कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भोजन शुल्क की अदायगी से छूट देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है, जो उन्हें उनकी 'फील्ड' स्टेशनों पर तैनाती के समय प्राप्त होती है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पीस स्टेशनों में तैनात अफसरों के भोजन तथा वसूल किए जाने वाले अन्य प्रभार उनके वेतन से अधिक नहीं होते हैं। गैर कमीशन प्राप्त अफसर निशुल्क भोजन, आवास, जल तथा विद्युत प्राप्त करते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां । यह विचाराधीन है ।

अल्प सेवा तथा आपात कमीशन के संवर्गों से कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया

2598. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प सेवा कमीशन तथा आपात कमीशन के संवर्गों से स्थाई कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया क्या है ; और

(ख) क्या प्रक्रिया में हाल में परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो नई प्रक्रिया की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आपात कमीशन प्राप्त अफसरों तथा अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अफसरों को जो आचरण तथा सत्य निष्ठा, स्वास्थ्य वर्गीकरण, तथा स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने के लिये आयु की पात्रता शर्तों को पूरा करते थे उनका निर्धारण सर्विसेज सिलेक्शन

बोर्ड साक्षात्कार के द्वारा किया जाता था जो साक्षात्कार में सफल होते थे, तथा अन्यथा योग्य थे उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान कर दिया गया था ।

(ख) जी हां । केवल अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अफसरों के मामलों में इस परिवर्तित प्रक्रिया के अनुसार अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अफसरों को अब स्थायी कमीशन प्रदान करने का निर्धारण उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों, विभिन्न प्रशिक्षण कोर्सों में निष्पादन तथा अर्जित किये पुरस्कारों तथा अलंकरणों पर अब आधारित होगा । सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा साक्षात्कार को बन्द कर दिया गया है ।

मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के हाल में नियुक्त किये गये कमीशन प्राप्त अधिकारियों से मैस शुल्क की वसूली

2599. **श्री डी० के० पंडा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में मद्रास में मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के हाल में नियुक्त किए गए कैप्टेन रैंक से नीचे के कमीशन प्राप्त अधिकारियों से कितना औसत मैस शुल्क वसूल किया गया है ; और

(ख) उनके औसत मूल वेतन की तुलना में यह शुल्क कितना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

Uncovered Gap in non-Plan expenditure of M. P. during Fourth Plan

2600. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the extent of gap in non-Plan expenditure of Madhya Pradesh likely to remain uncovered during the Fourth Five Year Plan period ; and

(b) the total amount given so far by the Central Government to cover the gap and the amount proposed to be given during the remaining period of the Fourth Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). At the time of the formulation of the Fourth Five Year Plan, it was estimated that Madhya Pradesh might have a gap in resources of the order of Rs. 34.75 crores on non-Plan account during the Fourth Plan period. Actual release of special accommodation towards the gap in resources each year was, however, to be based on assessment of the resources position of the State Government annually. Special accommodation by way of loan of Rs. 1.50 crores was given to the State Government in 1969-70 on this basis. Subsequent assessments, however, showed that because of buoyancy in their revenues, the State Government did not have any gap in resources on non-Plan account and as such did not need any special accommodation from the Centre. The State Government are also not likely to have any non-Plan gap in the current year and in the next year and thus will not require any special accommodation.

Evasion of Taxes by 'Hindustan Times'

2601. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount earned by the 'Hindustan Times' through Classified Advertisements during the last three years ;

(b) whether the 'Hindustan Times' have concealed a very large amount out of it and thus evaded Government taxes to the tune of lakhs of rupees ;

(c) if so, whether Government have taken any action in this regard ; and

(d) if so, what ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The receipts from classified advertisements as shown in the audited statements of accounts of M/s Hindustan Times Ltd., during the financial years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 are as follows :

(i) Year ending March, 1969	Rs. 1,62,68,709
(ii) Year ending March, 1970	Rs. 2,12,04,705
(iii) Year ending March, 1971	Rs. 2,43,52,610

(b) The income-tax assessment has been completed only for the first year and no suppression of receipts from classified advertisements was detected.

(c) and (d). Do not arise for the present.

खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य

2602. **श्री निहार लास्कर :**
डा० रानेन सेन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों में मूल्यों के अध्ययन से पता चला है कि देश में और विशेषकर राजधानी में खाद्यान्नों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत 2 वर्षों के मूल्यों की तुलना में 31 जुलाई, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य क्या थे और उनमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्यों में कमी लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) पिछले दो महीनों में खाद्य वस्तुओं और कृषि पर आधारित कुछ औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है वह वर्ष के इसी अवधि में इन वस्तुओं की कीमतों में होने वाली सामान्य वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। यह बात दिल्ली पर तथा समूचे देश पर लागू होती है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 29 जुलाई, 1972 को समाप्त हुए सप्ताह में अत्यावश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों के सूचकांक तथा पहले के दो वर्षों के थोक मूल्यों के सूचकांक की तुलना में इस वर्ष के सूचकांक में हुई घट-बढ़ का ब्यौरा दिया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3423/72]**

देश में कुछ कृषि वस्तुओं के उत्पादन में कमी होने के कारण पिछले दो वर्षों में कीमतें अधिक बढ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर 1968-69 और 1969-70 दोनों वर्षों में तेलहनों का उत्पादन, 1967-68 की अपेक्षा कम था। 1970-71 में कपास के उत्पादन में भारी कमी हुई और

1971-72 में मोटे अनाजों और चीनी के उत्पादन में उल्लेखनीय कमी हुई। इन वस्तुओं के उत्पादन में कमी होने के अलावा बंगला देश से भारी संख्या में शरणार्थी आ गये तथा पाकिस्तान के साथ एक और युद्ध छिड़ गया जिसके परिणामस्वरूप सरकार को भारी व्यय करना पड़ा। औद्योगिक उत्पादन में भी चौथी आयोजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृद्धि नहीं हुई है। इस वर्ष मानसून के देर से आने और बाद में काफी लम्बे अर्से तक सूखा मौसम रहने के कारण खाद्य वस्तुओं तथा कृषि जन्य कच्चे माल की कीमतों पर और अधिक मौसमी दबाव पड़ा है।

(ग) देश में, मूल्य सम्बन्धी स्थिति पर बराबर नजर रखी जाती है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के विभिन्न कार्यक्रमों के अतिरिक्त, सरकार मूल्यों पर पड़ने वाले दबावों को रोकने के लिए वित्तीय, राजस्व सम्बन्धी और प्रशासनिक उपाय करती है। अनियमित मानसून के कारण उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने खरीफ की फसल को यथासम्भव बचाने और रबी की फसल में वृद्धि करके अन्न की प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिए संकटकालीन विविध कार्यक्रम शुरू किए हैं। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे यथावश्यक उचित मूल्यों की दुकानें खोलें। उन्हें यह परामर्श भी दिया गया है कि वे अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई करें इस समय, अन्न और चीनी के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

2603. **श्री के० सूर्यनारायण :**
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **वित्त मन्त्री** दिल्ली में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे के बारे में 4 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 844 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन वास्तुविदों तथा भवन इंजीनियरों के नाम क्या हैं जिनके यहां 11 जुलाई, 1972 को छापे मारे गये थे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : निम्नलिखित 10 वास्तुकारों के व्यावसायिक एवं आवास परिसरों की तलाशियां ली गईं :

1. मेसर्स आर० जी० देसाई
2. मेसर्स देसाई एण्ड टिकेकर
3. मेसर्स महेन्दु एण्ड महेन्दु और टी० आर० महेन्दु
4. श्री अनन्त सिंह
5. मेसर्स जी० सी० शर्मा एण्ड सन्स और श्री जी० सी० शर्मा
6. श्री जी० सी० शर्मा
7. मेसर्स एस० सी० मेहता एण्ड एसोशिएट्स, श्री आर० सी० मेहता और श्री एम० सी० मेहता
8. श्री एच० आर० सहगल
9. मेसर्स मेहता गांधी एण्ड एसोशिएट्स
10. मास्टर सेठे एण्ड कोठरी।

निम्नलिखित 5 वास्तुकारों के कार्यालय परिसरों पर, धारा 133ए के अधीन सर्वेक्षण कार्यवाही भी की गई :

1. आनन्द आप्टे एण्ड झाबेवाला
2. डी० आर० प्रशार
3. चौधरी गिलजार सिंह एण्ड कं०
4. मेसर्स भार्गव एण्ड एसोशिएट्स
5. चड्ढा एण्ड एसोशिएट्स ।

चिट फंड कम्पनियां

2604. **श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई राज्यों में अनेक चिट फंड कम्पनियां कार्य कर रही हैं जबकि उनमें से कुछ तो असली हैं और कुछ असली नहीं हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार की गैर-सरकारी लाटरी व्यवस्था अब भी जारी है जबकि भारतीय दंड संहिता के अधीन यह कार्य अवैध है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कुछ कम्पनियों द्वारा की गई जालसाजियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). देश के कई राज्यों में वहुत सी चिट फंड कम्पनियां काम कर रही हैं । आमतौर से चिट फण्ड इस प्रकार के हैं कि उनमें व्यक्तियों के एक दल द्वारा नियमित रूप से एक निश्चित अवधि के बाद अभिदान दिया जाता है और ऐसा प्रबन्ध किया जाता है जिसके अन्तर्गत फण्ड का प्रत्येक सदस्य चिट की रकम प्राप्त करने की आशा कर सकता है, जो लाटरी या नीलामी या निविदा के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से, जैसी भी चिट चलाने वाले व्यक्ति के साथ किये गये करार में व्यवस्था की गयी हो, प्राप्त हो सकती है । इनामी चिट चलाना, जिसके अन्तर्गत जो व्यक्ति लाटरी में सफल हो जाता है तो उसे इनाम प्राप्त होता है और जिसे भविष्य में आवधिक अभिदान नहीं देना पड़ता, सम्बद्ध राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाला, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294क के अन्तर्गत लाटरी चलाने का अपराध करने की कोटि में आता है । जब इस प्रकार का कोई मामला रिजर्व बैंक की नजर में आता है तो राज्य सरकार का ध्यान उस ओर दिलाया जाता है ।

विश्व बैंक द्वारा संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना

2605. **श्री पी० के० देव : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का विचार विकासशील तथा विकसित देशों में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने का है ; और

(ख) इससे भारत को कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने जो विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है ऐसे उद्यमों को पहले भी प्रोत्साहन दिया है और यह उपयुक्त अवसरों पर भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा । विश्व बैंक द्वारा स्वयं यह कार्य अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरकों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ संयुक्त उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की है । निगम ने अन्य विकासशील देशों में भारतीय प्रायोजकों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने में भी सहायता दी है ।

कच्छ सीमा की पश्चिमोत्तर दिशाओं में छिद्रण कार्य

2606. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कच्छ सीमा की पश्चिमोत्तर सीमाओं में बावनी-2 नाम स्थान के अतिरिक्त इस जिले में अन्वेषी छिद्रण के लिए दो और स्थानों को चुना है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) कच्छ में छिद्रण कार्य कहां तक सफल रहा है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) (i) निरोना-1.
(ii) बन्नी-11

(ग) प्रथम स्थल (बन्नी-2) में व्यधन कार्य केवल 18.6.1972 को प्रारम्भ किया गया था । कुएं को 3000 मीटर की गहराई तक व्यधन करने का विचार है और इस व्यधन की सफलता के संबंध में किसी प्रकार का पूर्वानुमान इतना पहले लगाना कठिन है ।

Percentage of small Coins

2607. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether the percentage of small coins in comparison to the total currency was 3.9 per cent in 1956 and if so, the total currency available in 1972 and the percentage of small coins as compared thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The percentage of small coins to the value of the total currency with the public was 3.9 per cent in 1956. The value of the total currency with the public was Rs. 4822.45 crores as on 31.3.1972 and that of the small coins was only Rs. 148.43 crores, which formed 3.08 per cent of the total currency with the public as on that date.

Fire in Jabalpur Vehicle Factory

2608. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the local employees of the Jabalpur Vehicle Factory tried to put out the fire which broke out suddenly in the Factory in June last ;

(b) whether these local workers and employees were prevented by high officials of the factory from extinguishing the fire ; and

(c) if so, the action taken by Government against those officials ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). A memorandum was received from certain Unions/Associations of the Vehicle Factory Jabalpur to the effect that some employees who tried to extinguish the fire were detained by the factory authorities which prevented them from extinguishing the fire. A Court of Enquiry has been appointed to investigate into the incident of fire. Its report has not yet been received. The report is expected to cover the allegations made in the memorandum as well. The question of taking action against any official will be examined after the report has been received.

Bungling of Funds in Jabalpur Vehicle Factory

2609. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there was bungling of funds to the tune of lakhs of rupees in Jabalpur Vehicle Factory and whether a fire incident occurred there last year before the investigations were going to be made into the matter by the Defence Department ; and

(b) the number of officials of the Factory suspended in connection with the fire incident and action taken against them ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No report has so far come to notice regarding bungling of funds. Therefore, the question of investigation does not arise. Last year, minor fires occurred reportedly due to either short circuits or dry grass catching fire. Since these fires were small and put out immediately, there was no loss of factory property. No investigation was ordered into any one of them.

(b) Does not arise.

छोटे सिक्कों की कमी

2612. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे सिक्कों की कमी त्रुटिपूर्ण टक्साल-मशीनों तथा तकनीकी जानकारी के आयात के कारण है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मथुरा में तेल शोधक कारखाना लगाने के बारे में कुछ राज्य सरकारों द्वारा विरोध

2613. **श्री राम कंवर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने मथुरा में तेल शोधक कारखाना लगाने के बारे में अपना तीव्र विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाली विद्यार्थियों को प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएं

2614. **श्री के० लकप्पा :**
श्री एम० एम० जोसफ :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन सभी 130 नेपाली विद्यार्थियों को प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं देने का निर्णय किया है जिनका संयुक्त राज्य पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत चयन किया गया है ; और

(ख) क्या ये 130 विद्यार्थी कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सामान्यतः शिक्षा प्राप्त करने वाले नेपाली विद्यार्थियों के अतिरिक्त होंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) भारत सरकार ने 1972-73 के वर्ष में कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत लगभग 130 नेपाली प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करने का निश्चय किया है, जिन्हें पहले संयुक्त अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के अन्य देश कार्यक्रम (थर्ड कंट्री प्रोग्राम) के अन्तर्गत भारत आना था ।

(ख) जी, हां ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम द्वारा किसानों को दिया गया ऋण

2615. **श्री सत पाल कपूर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम ने किसानों को नलकूप लगाने तथा अन्य कृषि संबर्द्धन कार्यों के लिए गत तीन वर्षों में कितना ऋण दिया है ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से स्वीकृत ऋण लेने में कोई असुविधा न हो, तत्सम्बन्धी प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को सरल करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष अग्रिमों की बकाया रकमों के आंकड़े मार्च, 1970, मार्च, 1971 और मार्च 1972 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए क्रमशः 80.44 करोड़ रु०, 127.64 करोड़ रु० और 150.23 करोड़ रु० हैं । जीवन बीमा निगम किसानों को कृषि के लिए प्रत्यक्ष अग्रिम नहीं देता ।

(ख) राष्ट्रीयकरण के बाद से, बैंकों ने ऋण देने की प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे फार्मों का सरलीकरण, फार्मों को हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में छापना, फार्मों को भरने में किसानों को सहायता देना, शाखा प्रबंधकों को ऋण मंजूर करने की उपयुक्त शक्तियां प्रदान करना और कार्यवाही के लिये बचे हुए मामलों की नियतकालिक समीक्षा करना आदि। कृषि क्षेत्र को अबाध रूप से ऋण पूर्ति की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सरकार राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी करती रही है कि वे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण दिए जाने से संबन्ध रखने वाले राज्यीय कानूनों के विषय में विषशेषयज्ञ दल द्वारा दिए गये परामर्श के अनुसार कानून बनाएं।

सरकारी उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार हेतु समिति

2616. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अकुशलता के कारणों का पता लगाने वाली समिति, जिजका अध्यक्ष तोजना आयोग का एक सदस्य है, ने यह सुझाव दिया है कि सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष-पदों पर तकनीकी विशेषज्ञ होने चाहिये ; और

(ख) इस समिति ने अन्य क्या सुझाव दिये हैं तथा सरकार ने किस-किस को क्रियान्विति के लिए स्वीकार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं। सरकारी उद्यमों सम्बन्धी कार्यवाही समिति ने ऐसी कोई आम सिफारिश नहीं की है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सर्वोच्च अधिकारी तकनीकी विशेषज्ञ हों।

(ख) सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत, छः संयंत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही समिति की रिपोर्टों की सिफारिशों में ये सिफारिशें शामिल हैं :—

(i) प्रबन्ध और तकनीकी सेवाओं को सुदृढ़ बनाना ;

(ii) संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन और निगम एवं संयंत्र स्तरों पर व्यक्तियों की नियुक्ति ;

(iii) कर्मचारी प्रबन्ध, प्रेरणा औद्योगिक संबंधों आदि में सुधार ;

(iv) अनुरक्षण, सामग्री प्रबन्ध, उत्पादन, आयोजन और नियंत्रण में सुधार ;

(v) कतिपय संतुलनकारी सुविधाओं की व्यवस्था ;

(vi) कुछ प्रक्रियाओं में काम आने वाली वस्तुओं में परिवर्तन ;

(vii) एक से क्रियाकलापों में लगे हुए निगमों के बीच अधिकाधिक एकीकरण ; और

(viii) इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए एक निश्चित अवधि में कार्य पूरा करने की योजना।

सरकारी उपक्रमों में सर्वोच्च प्रबन्ध अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी नीति

2617. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में सर्वोच्च प्रबन्ध अधिकारियों की नियुक्ति संबन्धी वर्तमान नीति असंतोषजनक सिद्ध हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई नई नीति निर्धारित करने का है ;और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). यह कहना ठीक नहीं होगा कि सरकारी उद्यमों में उच्च प्रबन्धकीय कार्मिकों की भर्ती की वर्तमान नीति असंतोष जनक पायी गयी है। फिर भी, सरकार स्वयं सरकारी उद्यमों में प्रबन्धकीय कार्मिकों से संबन्धित नीति के बारे में कतिपय नये प्रस्तावों पर विचार कर रही है। प्रस्तावों का सम्बन्ध भर्ती के अलावा प्रबन्ध संगठन, प्रबन्धकीय प्रोत्साहनों, प्रबन्ध विकास आयोजनाओं, जैसे विभिन्न पहलुओं से है और उसमें भर्ती का स्तर, समुचित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था, काम में फेर बदल, जीवन-चर्या आयोजन, प्रबन्धकीय अनुक्रमण आयोजनाएं आदि जैसी अनिवार्य बातें शामिल हैं। आशा है कि जब इन प्रस्तावों पर सरकार का अन्तिम निर्णय क्रियान्वित कर दिया जायगा तो एक बेहतर प्रबन्धकीय कार्मिक नीति तैयार हो जायगी जिससे और बातों के साथ साथ इन उपक्रमों में उच्च पदों पर की जाने वाली नियुक्ति और अधिक युक्तिसंगत हो जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपने मूल कार्यालयों को वापस भेजे जा रहे अधिकारियों को खपाना

2618. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ वरिष्ठ अधिकारयों को उनके मूल कार्यालयों से वापस जाने के लिए कहा गया था ;

(ख) क्या उनके मूल कार्यालयों ने उन्हें पुन: वापस लेने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) क्या इन अधिकारियों को अन्ततः योजना आयोग में भेज दिया गया जिसके कारण आयोग में अधिकारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) सम्भवत: माननीय सदस्य उन आदेशों का उल्लेख कर रहे हैं, जो सरकार द्वारा उन सिफारिशों के अनुसरण में जारी किये गये थे, जो प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों' के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में की थी। इन आदेशों के अनुसार सरकारी संवर्गों से केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों के लिये यह आवश्यक है कि वे जिस उद्यम में काम कर रहे हैं उसमें स्थायी रूप से रख लिए जाने या अपने मूल संवर्ग में वापस भज दिये जाने के सम्बन्ध में एक निर्दिष्ट

अवधि के भीतर अपना विकल्प दें। इन आदेशों के अनुसार, उन व्यक्तियों के अतिरिक्त, जिन्होंने उद्यम में स्थायीरूप से रख लिये जाने का विकल्प दिया है और जिसे उद्यम द्वारा मंजूर कर लिया गया है, प्रतिनियुक्ति पर आये सभी व्यक्तियों को अपने मूल सरकारी संवर्ग में लौट जाना पड़ेगा।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर नियंत्रण

2619. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर केन्द्र का कौन सा मन्त्रालय नियन्त्रण करे और यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ख) क्या इस प्रश्न की जांच पड़ताल 'टास्क फोर्स' द्वारा भी की गई है और यदि हां, तो उस पर क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय सरकार के सरकारी उपक्रम केन्द्रीय सरकार के उन विभिन्न मन्त्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखे गये हैं जो उन विषयों से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे इस्पात और खान मन्त्रालय इस्पात संयंत्रों और खनन उद्यमों की देखभाल करता है तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय तेल शोधक कारखानों तथा उर्वरक संयंत्रों आदि का काम देखता है। समय समय पर सरकार द्वारा इन उद्यमों के इस प्रशासनिक नियंत्रण के निर्धारण में परिवर्तनों की समीक्षा की जाती है। किन्तु इस समय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्योगों को एक मंत्रालय के नियंत्रण में केन्द्रित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) माननीय सदस्यों का अभिप्राय शायद सरकारी उद्यमों सम्बन्धी कार्यवाही समिति से है जिसका प्रधान योजना आयोग का सदस्य होता है। इस समिति को इस विषय में जांच करने का कोई अवसर नहीं मिला है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

2620. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1970-71 में लाभ अर्जित किया है तथा प्रत्येक ने उक्त वर्ष में कितना-कितना लाभ कमाया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : 1970-71 के दौरान जिन उद्यमों ने लाभ अर्जित किया है उनके नाम और उनके अर्जित लाभ की राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०– 3424/72**]

Functioning of Foreign Oil Companies and capital invested therein

2621. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Wiil the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of foreign oil companies functioning at present in the country ; and

(b) the broad outlines of the Indian and foreign capital invested in the companies ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) and (b). The information is being obtained and will be laid on the Table of the House.

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा शेयर पूंजी में वृद्धि

2623. **श्री वी० मायावन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को शेयर पूंजी में वृद्धि करने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कुल कितनी राशि की वृद्धि करने की अनुमति दी गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). कम्पनी को विवरणिका जारी करके नकदी के लिए सम-मूल्य पर सामान्य जनता को 15 करोड़ रुपये के ऋणपत्र जारी करने की अनुमति 31 मई, 1972 को दी गई थी। ऋणपत्रों के निर्गम से प्राप्त राशि का उपयोग, कम्पनी द्वारा हाथ में लिये जाने वाले, प्रतिस्थापन और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के वित्तपोषण के लिए किया जाना है।

सलादीपुरा (राजस्थान) में उर्वरक कारखाने की स्थापना

2624. **श्री लालजी भाई** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सलादीपुरा (राजस्थान) में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दी है जो पाइराइट और फासफेट शेल के आधार पर उर्वरक का उत्पादन करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो वह उत्पादन कार्य कब तक आरम्भ करेगा और उसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) राजस्थान में उस राज्य के पाइराइट्स और राक फास्फेट के भंडारों पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने की अभी मंजूरी नहीं दी गई है क्योंकि इस प्रस्ताव का अभी तक अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वायु सेना के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

2625. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष की प्रथम छमाही में वायुसेना के बहुत से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए और विमान कर्मचारी प्रशिक्षण उड़ानों में मारे गये ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या के क्या कारण हैं ; और

(ग) इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमन्। तथापि, वायुयान दुर्घटना की दर में कोई बढ़ोत्तरी दिखाई नहीं देती। हरेक दुर्घटना की जांच एक जांच अदालत द्वारा की जाती है। जांच अदालत की उपलब्धियों और सिफारिशों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई तथा उपचारी उपाय किए जाते हैं।

गुजरात राज्य उर्वरक निगम

2626. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य उर्वरक निगम के इक्विटी शेयरों में से आधे से अधिक शेयर खरीद लिए हैं ; और

(ख) गुजरात राज्य उर्वरक निगम के कितने प्रतिशत स्टाक सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के पास हैं ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी लिमिटेड, 1966-67 तक एक सरकारी कम्पनी थी। 1967-68 से, राज्य सरकार की हिस्सेधारिता 49 प्रतिशत रहने के कारण ये सरकारी कम्पनी नहीं रही। राज्य सरकार ने, इस कम्पनी को, इसकी हिस्सा पूंजी को 51 प्रतिशत तक बढ़ाकर, सरकारी क्षेत्र की कम्पनी में बदलने का निर्णय लिया है।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, औद्योगिक विकास बैंक और इण्डियन गारन्टी एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड के मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी लिमिटेड में 23.28 प्रतिशत साम्य और 35.52 प्रतिशत अधिमान अंश हैं।

मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों के निर्माण के लिये मार्गदर्शी परियोजना

2627. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए कुछ पायलट परियोजनाएं स्वीकृत की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा नियंत्रित पहले ही मध्य प्रदेश में भोपाल, बिलासपुर, इन्दौर, जबलपुर, खाण्डवा, खजुराहो, पन्ना, रायपुर तथा सतना में नौ विमान क्षेत्र हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदिशा तथा रीवा स्थित इंजीनियरिंग कालेजों में एन० सी० सी० के प्रशिक्षण के बारे में भेदभाव

2628. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदिशा और रीवा स्थित इंजीनियरिंग कालेजों में एन० सी० सी० के प्रशिक्षण के संबंध में कोई भेदभाव ध्यान में आया है, जहां दोनों कालेजों में समान संख्या में प्रशिक्षणार्थी हैं ;

(ख) क्या विदिशा स्थित कालेज की रेजीमेंट को भी इसलिये भंग कर दिया गया था क्योंकि इस कालेज में अलग से किसी कम्पनी की व्यवस्था नहीं की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले की संक्षिप्त बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). एन० सी० सी० प्रशिक्षण के मामले में कोई भेदभाव नहीं है, तथा विभिन्न प्रकार की यूनिटों के लिए पूरे देश में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की एक रूपता है। तथापि वास्तविक गठन तथा उसकी संरचना में एक स्थान से दूसरे स्थान में अन्तर होता है तथा यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितने पात्र विद्यार्थी भर्ती के लिए वालंटियर करते हैं तथा कितनी वित्तीय तथा प्रशासनिक सहायता जो कि संस्थान तथा राज्य सरकारें देने की स्थिति में हैं।

कम्पोजिट टेक्नीकल रेजीमेंट, एक दो कम्पनी वाली यूनिट, जो कि सम्राट अशोक टेक्नीलोजिकल इन्स्टीट्यूट, विदिशा (नं० 2 मध्य प्रदेश कम्पोजिट टेक्नीकल रेजीमेंट एन० सी० सी०) का 1969 में विघटन कर दिया गया था क्योंकि पर्याप्त संख्या में केडेट भर्ती नहीं हुए थे तथा राज्य सरकार ने इस यूनिट को अलग से कार्य करते रहना आवश्यक नहीं समझा था। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि पूर्णतया एन० सी० सी० प्रशिक्षण सुविधाओं को वापस न ले लिया जाय, इस यूनिट को मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश पर अगस्त, 1969 को (मध्य प्रदेश कम्पोजिट टेक्नीकल) रेजीमेंट एन० सी० सी० भोपाल के साथ मिला दिया गया था। 1971-72 में संस्थान केवल 82 कैडेट देने में समर्थ हो सका है तथा संस्थान में एक स्वतंत्र कम्पनी200 कैडेटों को चलाने के लिए पर्याप्त कैडेट नहीं है। अन्य स्थानों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है।

टेक्नीकल यूनिट जो गवर्नमेंट इन्जीनियरिंग कालेज, रीवा स्थित है, 7 मध्य प्रदेश इंजीनियर एन० सी० सी० कम्पनी है। 70-71 तक वह अपनी 200 कैडेटों के प्राधिकृति संख्या शक्ति कम से कम 50 प्रतिशत देने में समर्थ था और इसीलिए इसे स्वतंत्र कम्पनी के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति दी गई थी। तथापि 1971-72 में कैडेटों की संख्या शक्ति 50 प्रतिशत से कुछ कम हो गई थी तथा इस यूनिट को एक स्वतंत्र कम्पनी के रूप में कार्य चालू रखने दिया गया। 72-73 में संस्थान के द्वारा कम से कम प्राधिकृत संख्या शक्ति की 50 प्रतिशत संख्या शक्ति की व्यवस्था करने पर निर्भर करता है।

सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय फोरम द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया ज्ञापन

2629. **श्री डी० पी० जदेजा :**
डा० कर्णी सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय फोरम के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) फोरम द्वारा की गई मांगों का सम्बन्ध दिनांक 15 अगस्त, 1972 तक तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा कीमतों में असाधारण वृद्धि को देखते हुए तुरन्त पर्याप्त अंतरिम

सहायता की घोषणा करने से था। वेतन आयोग के कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त अंतरिम सहायता देने के प्रश्न के सम्बन्ध में जो स्थिति है, वह सदन को अभी अभी 4 अगस्त, 1972 को अतारांकित प्रश्न सं० 936 और 998 के उत्तर में बताई गई थी।

जीवन बीमा निगम द्वारा कम्पनियों को ऋण देने की कसौटी

2630. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न कम्पनियों और सरकारी उपक्रमों को ऋण देने के लिए क्या कसौटियां अपनाई जाती हैं ;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋणों में से 75 प्रतिशत ऋण देश के एकाधिकारी गृहों की कम्पनियों को दिये गये हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम द्वारा ऐसी किन-किन कम्पनियों को ऋण दिये गये थे और ये ऋण कितनी दर पर दिये गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जीवन बीमा निगम प्रायः अन्य पब्लिक वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से औद्योगिक कम्पनियों को उन की ऐसी परियोजनाओं के लिए मियादी कर्ज देता है जिन के लिए औद्योगिक लाइसेन्स जारी हो चुके होते हैं। उसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि परियोजना आर्थिक रूप से सुरक्षित है, व्यापारिक रूप से व्यवहार्य हैं, उसकी प्रबन्ध-व्यवस्था सन्तोषजनक है तथा निवेश लाभदायक सिद्ध होगा।

(ख) 31-3-1972 तक जीवन बीमा निगम ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को कुल मिलाकर 26 करोड़ 27 लाख रुपये के मियादी कर्ज वस्तुतः दिये थे, जिनमें से एकाधिकार औद्योगिक समूहों से सम्बन्धित कम्पनियों को वस्तुतः दिये गये कर्ज की रकम कुल 16.64 करोड़ रुपये की थी, जो कुल रकम का 63.35 प्रतिशत है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में निम्नलिखित कम्पनियों को ऋण दिये गये :

(i) एसोशिएटेड सीमेन्ट कम्पनियां लि०।

(ii) हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि०।

(iii) श्री दिग्विजय सीमेन्ट कम्पनी लि०।

(iv) सेन्चुरी ऐंका लि०।

(v) इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लि०।

(vi) स्वदेशी पोलीटेक्स लि०।

(vii) स्ट्रा प्रोडक्टस, लि०।

(viii) पोलियोलेफिन्स इंडस्ट्रीज लि०।

(ix) मद्रास ऐल्यूमीनियम कारपोरेशन लि०।

(x) प्लास्टिक रेजिन एण्ड केमीकल्स लि०।

(xi) टाटा यांदागावा लि०।

नवम्बर 1970 तक ब्याज की दर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी और उस के बाद यह $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है जिसमें से, समय पर व्याज की अदायगी तथा नियत तारीखों पर किस्तों की अदायगी के लिए 1 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

40 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में सेना से सेवा निवृत्त व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग

2631. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 40 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में सेना से निवृत्त हुए अधिकारियों तथा अन्य रैंकों की संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितने अधिकारी अच्छे रोजगार पर लगे हैं ; और

(ग) बेरोजगार प्रशिक्षित अथवा अनुशासित व्यक्तियों की सेवाओं का, राष्ट्र निर्माण कार्य में उपयोग करने के लिए, सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान 40 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में सेवानिवृत्त होने वाले अफसरों तथा अन्य रैंकों की संख्या निम्नांकित है :—

वर्ष	अफसर	जे० सी० ओज०/अन्य रैंक
1970	328	4091
1971	311	6779
1972	288	7473

(ख) 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान 196 अफसरों को अच्छे रोजगार पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, 839 अफसरों को उनके भूमि, परिवहन कार्य तथा इंडियन आयल एजेंसीज में पुनर्वास के लिए सहायता दी गई है।

(ग) (1) सेवामुक्ति से पूर्व तथा उसके पश्चात के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण योजनाएं तथा उद्यान कृषि, शहद की मक्खियां पालने, मुर्गी पालन और डेयरी जैसी अन्य प्रशिक्षण योजनाएं बनाई गई हैं ताकि सेवा और भूतपूर्व सैनिक राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में रोजगार पाने और स्वरोजगार के लिए अधिक योग्य हों।

(2) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति में सुधार करने के लिए प्रबंधकीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।

(3) भूतपूर्व सैनिकों तथा अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा उनका मार्गदर्शन, तकनीकी जानकारी और लघु उद्योग क्षेत्र में सहायता दी जा रही है जिसका देश के आर्थिक विकास में काफी महत्व है।

(4) उनके लिए आरक्षण के अनुसार उनको सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थानों पर पुनः नियुक्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है।

बोनस के सम्बन्ध में अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर

2632. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जून, 1972 को अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ ने तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ओर से प्रबन्धक वर्ग के साथ 10 प्रतिशत बोनस के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जीवन बीमा निगम ने, 20 जून, 1970 को श्रेणी III और IV के कर्मचारियों के साथ वेतन, भत्ते, बोनस आदि के सम्बन्ध में समझौते किये थे। दिनांक 26 जून, 1972 का समझौता पूर्ववर्ती समझौतों के संशोधन में हैं, और उसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं :—

(i) 1 जनवरी 1971 से मूल वेतन, विशेष वेतन और मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान।

(ii) 1 अप्रैल 1972 से छुट्टी यात्रा रियायत।

(iii) वर्तमान चिकित्सा लाभ योजना में 1 अप्रैल 1972 से सुधार।

(iv) वर्तमान सेवा-निवृत्ति लाभों के अलावा, 1 जनवरी 1972 से—
श्रेणी III के प्रत्येक कर्मचारी को 2500 रुपये की और
श्रेणी IV के प्रत्येक कर्मचारी को 2000 रुपये की अदायगी।

(v) श्रेणी IV के भवन रख-रखाव कर्मचारियों को 1-1-1972 से अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों के समान ही छुट्टियां।

ये समझौते 31 मार्च 1973 तक लागू रहेंगे।

राजस्थान में पर्यटक स्थलों के विकास के लिये कार्यवाही

2633. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है ;

(ख) क्या राजस्थान में कुछ स्थान ऐसे हैं जो पर्यटकों के लिये बहुत आकर्षक हैं लेकिन वे उचित रूप से विकसित नहीं हैं ; और

(ग) राज्य में पर्यटक स्थलों के विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार को राजस्थान में पर्यटकीय आकर्षणों की पूरी जानकारी है। पर्यटन के आधारभूत उपादानों का सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3425/72**]

रक्षा निर्माण ठेकेदारों की संख्या तथा 1970-71 और 1971-72 में दिए गए ठेके

2634. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रक्षा निर्माण ठेकेदारों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में कुल कितने मूल्य के रक्षा ठेके दिये गये ; और

(ग) इन ठेकों के क्रमश: 1970-71 तथा 1971-72 में निम्नतम निश्चित मूल्य और वास्तविक मूल्य क्या थे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत एयर इण्डिया द्वारा मार्च, 1971 से यात्रियों को अपनी विमान सेवाओं की ओर आकर्षित करने संबंधी प्रगति

2636. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से बाहर यात्रा के लिये और अधिक यात्री आकर्षित करने हेतु एयर इंडिया ने मार्च, 1971 में विदेश यात्रा योजना के अधीन कोई प्रोत्साहन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो एयर इण्डिया मार्च, 1971 से इस योजना के अधीन कितने यात्रियों को आकर्षित कर सका है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत भारत के ऐसे निवासी जो तीन वर्षों से विदेश नहीं गये, बिना 'पी' फार्म की औपचारिकता के एक बार विदेश यात्रा कर सकते हैं । वे अपनी इच्छानुसार किसी भी विमान कम्पनी द्वारा यात्रा कर सकते हैं । किन्तु एयर-इण्डिया द्वारा विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत यात्रा करने वालों को 100 अमरीकी डालरों के सममूल्य की विदेशी मुद्रा ले जाने की छूट मिल सकती है ।

(ख) मार्च 1971 से मई 1972 के दौरान विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत भारत से बाहर जाने वाले यातायात का 51.03% एयर-इण्डिया द्वारा वहन किया गया ।

कृषि पर कर लगाना

2637. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मुख्य मंत्रियों से इस बारे में सहयोग देने को कहा है कि वे कृषि पर कर लगाने में 'राजनीतिक साहस' का परिचय दें ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में कितनी सहायता दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख). 12 अक्टूबर, 1971 को हुए राज्यपालों/राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि कृषि सम्पत्ति और आय पर करों से संबंधित सभी समस्याओं की जांच एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की जानी चाहिये। तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने डाक्टर के० एन० राज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो इस समस्या के सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी और अपनी सिफारिशें सरकार को देगी।

छठे वित्त आयोग द्वारा राज्यों को गैर-योजना धन देना

2638. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से इस आशय का कोई नोट प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि किसी राज्य को गैर-योजना निधियां देते समय छठा वित्त आयोग राज्य के औद्योगीकरण की अपेक्षा उसकी सम्पूर्ण समृद्धि को ध्यान में रखे ;

(ख) यदि हां, तो नोट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया हैं ;

(ग) क्या पंजाब अथवा हरियाणा जैसे समृद्ध राज्यों में केन्द्रीय निधि का प्रति व्यक्ति आवंटन पश्चिम बंगाल की तुलना में अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) और (घ). पंजाब वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति पर, चौथी आयोजना की अवधि के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में पश्चिम बंगाल का हिस्सा पंजाब या हरियाणा से अधिक है। संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत भी पंजाब और हरियाणा को कोई सहायक अनुदान नहीं मिलता है, जब कि पश्चिम बंगाल को पर्याप्त अनुदान मिल रहा है।

सैंच्युरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी तथा बिड़ला ग्रुप के बीच अन्तर्सम्बन्ध

2639. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग ने सैंच्युरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी से कहा है कि वह उत्तर प्रदेश में अपने 'फाइबर ग्लास' कारखाने के पर्याप्त विस्तार के लिये अपने दूसरे आवेदन पत्र के संबंध में बिड़ला ग्रुप के साथ अपने अन्तर्सम्बन्धों के बारे में विस्तृत ब्यौरा दें ;

(ख) क्या इस संबंध में कम्पनी ने आवश्यक जानकारी दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो दी गई जानकारी क्या है ; और

(घ) उक्त कम्पनी के आवेदन-पत्र पर आयोग ने क्या निर्णय किया है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ). एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग, जो एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है, सैंच्युरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० के आवेदन-पत्र के विषय में अभी तक जांच-पड़ताल कर रहा है।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा यूनिटों की बिक्री

2640. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा की गई यूनिटों की बिक्री में लगातार दूसरे वर्ष भी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यूनिटों की बिक्री को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). 1969-70 में यूनिटों की 22.83 करोड़ रुपये की रिकार्ड स्तर की बिक्री के बाद उनकी बिक्री घट कर 1970-71 में 18.00 करोड़ रुपये की तथा 1971-72 में 15.00 करोड़ रुपये की हो गयी ।

यूनिटों की बिक्री में कमी मुख्यतः करों में रियायत देने की योजना में परिवर्तन होने तथा प्रतिस्पर्धी अन्य निवेशों की ब्याज दरों में वृद्धि कर दिए जाने के कारण हुई है । मार्च 1971 के अन्त तक यूनिटों से होने वाली 1000 रुपये तक की आय के संबंध में कर से छूट दी जाती थी जबकि इसके विपरीत पहली अप्रैल 1971 से यूनिटों से होने वाली आय को कुछ विशिष्ट किस्मों के निवेशों अर्थात् बैंकों में जमा रकमों, भारतीय कम्पनियों के शेयरों, राष्ट्रीय बचतपत्रों आदि से होने वाली आय के साथ मिला दिया गया । आयकर में बचत करने की दृष्टि से यूनिटों के प्रति जो विशेष आकर्षण था, वह उक्त परिवर्तन से समाप्त हो गया । साथ ही जनवरी 1971 में बैंकदर को बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिये जाने के कारण, बैंकों द्वारा स्थिर जमा रकमों पर दिये जाने वाले ब्याज की दरों में भी वृद्धि हो गयी । राष्ट्रीय बचत पत्रों के सम्बेन्ध में दिये जाने वाले ब्याज की दरों में भी वृद्धि कर दी गयी थी ।

(ग) यूनिटों की बिक्री बढ़ाने के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने चालू वर्ष में निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) पिछले वर्ष के 8 प्रतिशत लाभांश की तुलना में ट्रस्ट ने 1971-72 के लिए 8.25 प्रतिशत के लाभांश की घोषणा की है।

(ii) इस वर्ष जुलाई के महीने में ट्रस्ट ने 10.45 रुपये के रियायती मूल्य पर यूनिट बेचे जबकि पिछले वर्ष के इसी महीने में 10.60 रुपये के हिसाब से बेचे गए थे ।

(iii) ट्रस्ट ने यूनिटों के विक्रय तथा पुनः विक्रय मूल्यों के बीच के अन्तर को कम करने का निश्चय किया है ।

इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत जीवन बीमा प्रीमियमों मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों में अंशदान आदि के सम्बन्ध में करों में उपलब्ध रियायतें ट्रस्ट की यूनिट सम्बन्धी बीमा योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले अंशदानों पर भी लागू कर दी गई हैं । इससे यूनिट ट्रस्ट में फिर से रुचि पैदा हो जाने की आशा है ।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड में वित्तीय कुप्रबंध की जांच

2641. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय कुप्रबन्ध की गत पांच वर्षों के दौरान कोई जांच की गई थी ;

(ख) क्या सरकार ने भूतपूर्व प्रबन्ध के विदेशी ऋणों के लेन-देन तथा बोनस शेयरों के जारी करने का अनुमोदन कर दिया था ; और

(ग) क्या अन्य उन संस्थाओं की भी कोई जांच करने का विचार है, जिनमें मैसर्स मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी जो पहले प्रबन्ध एजेन्ट थे और अब सेक्रेटरी हैं तथा जो वित्तीय रूप से विपत्तिजनक स्थिति में हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 1970-71 के मध्य इस कम्पनी की लेखा बहियों का, कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (4) के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया था।

(ख) विश्व बैंक द्वारा इस कम्पनी को दिये गये चार ऋणों में से, कम्पनी ने 1967 में दो ऋण पूर्ण रूप से चुका दिये। 19.5 मिलियन डालर की राशि के तृतीय ऋण में से, कम्पनी ने 17.43 मिलियन डालरों की सीमा तक उधार राशि का प्रयोग किया है। इस प्रयुक्त राशि में से, कम्पनी ने 14.915 मिलियन डालर चुका दिए हैं। और शेष राशि क्रमशः फरवरी व 1 अगस्त, 1973 तथा 1 फरवरी, 1974 तक लौटाना निश्चित हुआ है। 30 मिलियन डालर के चतुर्थ ऋण में से, पुनर्निमाण एवं विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने 28.26 मिलियन डालर की राशि निरस्त कर दी जिसका एक कारण यह था कि बैंक, कम्पनी के प्रबन्ध को सशक्त मानने में संतुष्ट नहीं थी। कम्पनी को 1958 एवं 1966 में क्रमशः रु० 2,07,34,830 एवं रु० 12,44,08,990 के मूल्य के लाभांश हिस्से निर्गमित करने की अनुमति दी गई थी।

(ग) यह विषय विचाराधीन है।

एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग

2642. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के नियमों में कुछ परिवर्तन करने का है ;

(ख) क्या संसद सदस्यों की एक समिति इस बात की जांच के लिए नियुक्त करने का विचार है कि क्या इन नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन उचित रूप से किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति की नियुक्ति कब की जाएगी ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में अनेक संशोधन करने का विचार कर रही है।

(ख) नहीं, श्रीमान।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

बिहार के छोटा नागपुर और पालामऊ जिलों में बैंकों की शाखाओं का कार्य-करण

2643. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने तथा कौन-कौन से बैंक हैं जिनकी शाखाएं बिहार में सामान्यतया छोटा नागपुर में और विशेषकर पालामऊ जिले में काम कर रही हैं ; और

(ख) उन बैंकों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 31 मार्च, 1972 को, छोटा नागपुर प्रदेश में (जिसमें धनबाद, हजारीबाग, पालामऊ, रांची और सिंहभूम पांच जिले हैं) कुल 147 बैंक कार्यालय काम कर रहे थे जिनमें से 12 पालामऊ जिले में थे । ब्यौरा इस प्रकार है :—

बैंकों के नाम	समस्त छोटा नागपुर प्रदेश में (पालामऊ जिले सहित)	केवल पालामऊ जिले में
1. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	56	11
2. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	10	—
3. बैंक आफ इण्डिया	19	—
4. पंजाब नेशनल बैंक	6	1
5. बैंक आफ बड़ौदा	7	—
6. यूनाइटेड कमार्शियल बैंक	14	—
7. कनारा बैंक	4	—
8. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	14	—
9. देना बैंक	1	—
10. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	6	—
11. इलाहाबाद बैंक	8	—
12. इण्डियन बैंक	1	—
13. झरिया इण्डस्ट्रियल बैंक	1	—
जोड़ :	147	12

(ख) सूचना संभव सीमा तक इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

अखिल भारतीय कर-अधिकारियों का सम्मेलन

2644. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री समर मुखर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1972 के महीने में नई दिल्ली में अखिल भारतीय कर अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन किन विषयों पर चर्चा हुई ;

(ग) क्या प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी वांचू समिति द्वारा की गई सिफारिशों के विरुद्ध सम्मेलन ने कोई ज्ञापन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित प्रसंगों पर विचार-विमर्श हुआ :

(1) कर-अपवंचन—कर-अपवंचन के कारण और उसे रोकने के उपाय ।

(2) एकाधिकार और प्रतिबन्धक व्यापार-प्रणालियां ।

(3) छूट तथा कटौतियों की समीक्षा ।

(4) ऐसे उपबन्ध जिनसे कर-परिहार होना बताया जाता है ।

(5) कर बकाया की समस्याएं–उसके कारण तथा उपचारात्मक उपाय ; और

(6) कर प्रशासन ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार राज्य में जवानों की उन विधवाओं की संख्या जिन्हें सरकार द्वारा वायदे के अनुसार सुविधायें नहीं दी गई हैं

2645. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में उन जवानों की विधवाओं को, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिये हाल के युद्ध में अपने जीवन का बलिदान कर दिया अभी तक वे सुविधाएं नहीं दी हैं, जिनका सरकार ने वचन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अभी तक ऐसी कितनी विधवाओं को ये सुविधाएं नहीं दी गई हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). इन विधवाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों में पेंशन सम्बन्धी अवार्ड को उदार बनाना, केन्द्र सरकार द्वारा नियन्त्रित

संस्थाओं में उनके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा पुस्तकों तथा वर्दियों की लागत और रोजगार में प्राथमिकता सम्मिलित हैं। राज्य सरकार ने भी उनके नियन्त्रणाधीन संस्थाओं में इसी प्रकार की शिक्षा सम्बन्धी रियायतें तथा रोजगार में इसी प्रकार की प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। राज्य सरकार ने आवास के आवंटन, भूमि देने तथा अनुग्रह-पूर्वक अनुदान देने का भी निर्णय किया है।

बिहार में, सभी पात्र मामलों में पेंशन संबंधी अवार्ड पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। शैक्षिक रियायतों के बारे में केन्द्र सरकार ने पात्र बच्चों के लिए हकदारी सम्बन्धी कार्ड जारी कर दिए हैं और हितग्राहियों की सूची राज्य सरकार को भेज दी है। आश्रितों के मामले, प्राथमिकता के अनुसार, जब कभी अभ्यावेदन भेजे जाते हैं, रोजगार के लिए मनोनीत किए जाते हैं। युद्ध के कारण हुई विधवाओं और अपंग सैनिकों के लिए पटना, रांची और अरहा में मकान बनाने के लिए राज्य सरकार ने साढ़े बारह लाख रुपये से मार्टरज हाउसिंग फंड, बनाया है और निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने इन व्यक्तियों के लिए पटना में निर्माणाधीन 270 मकान आरक्षित कर दिए हैं। विधवाओं की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए, राज्य सरकार उनके गांवों के आस-पास मकान निर्माण संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये भी सहमत हो गई है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भूमि का आवंटन किया जा रहा है और 16 परिवारों को पहले ही भूमि तथा निःशुल्क सिंचाई कुओं का आवंटन कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने सभी मामलों में अनुग्रहपूर्वक अनुदान दे दिया है जिसका धन अफसरों के लिए 10,000 रुपये, जे० सी० ओज० के लिये 7,000 रुपये और अन्य रैंकों के लिए 5,000 रुपये होता है।

युद्ध में वीरता दिखाने वाले सैनिकों को राज्यों में अनुग्रह अनुदान न दिया जाना

2646. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि विभिन्न राज्यों में गत युद्ध में वीरता दिखाने वाले अनेक सैनिकों को दिये जाने वाला अनुग्रह अनुदान नहीं मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि शौर्य अलंकरणों को प्राप्त करने वालों को अनुग्रह अनुदान का शीघ्र भुगतान करे। जिन मामलों में नकद पुरस्कार दिया जा चुका है तथा उन मामलों में जिनमें भुगतान अभी तक नहीं किया गया है उनकी संख्या के सम्बन्ध में सूचना तथा उसके कारणों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

देश में पोटाशियम एथिल सोन्थेट की आवश्यकता

2647. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय प्रति वर्ष कितने पोटाशियम एथिल सोन्थेट की आवश्यकता है ; और

(ख) इस समय देश में इसका कुल कितना उत्पादन होता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गया (बिहार) में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्र

2648. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में गया जिले (बिहार) में राष्ट्रीयकृत बैंकों को लघु उद्योगों के लिये ऋण के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) ऋण सम्बन्धी कितने आवेदन-पत्र मंजूर किये गये हैं और उन पर कुल कितनी राशि दी गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ; वह सम्भव सीमा तक इकट्ठी की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के उपयोग के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

2649. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रशासन ने भारत को दी गई सहायता के उपयोग के बारे में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त रखे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सहायता पाने वाले सभी देशों पर लागू होने वाले सहायता के उपयोग के सम्बन्ध में कुछ स्थूल मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं जो उसकी प्रबन्धक परिषद् द्वारा जून 1970 में आयोजित कार्यक्रम के दसवें सत्र में स्वीकार किये गये थे।

(ख) पहली जनवरी 1972 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा देशवार कार्यक्रम के आधार पर सहायता दी जाती है जो पहले के परियोजना वार दृष्टिकोण से भिन्न है। देशवार कार्यक्रम में सहायता पाने वाले देशों के विकास उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सहायता आदि की भूमिका पता लगाने की व्यवस्था है। यह कार्यक्रम अलग-अलग राष्ट्रीय विकास आयोजनाओं पर आधारित होना चाहिए अथवा जहां ऐसी आयोजनाएं न हों, वहां यह राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं तथा उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता का जिन कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा उनका निर्धारण करने में, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सर्वोपरि सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए देशवार कार्यक्रम को निर्देशात्मक आयोजन राशि के अन्तर्गत पूरा किया जायगा। निर्देशात्मक आयोजन राशि

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कार्यक्रम की अवधि के दौरान उपलब्ध किए जाने वाले साधनों की सूचक होती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक देश के लिए कार्यक्रम उस देश की सरकार के उपयुक्त समय पर सहयोग से तैयार किया जायगा।

Petition filed by L. I. C. employees in Kerala

2650. **Dr. Laxminarayan Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the employees of Life Insurance Corporation have filed a petition in Kerala High Court regarding the defective procedure for departmental promotions ;

(b) if so, whether Government are not able to resolve such disputes by their intervention ; and

(c) the main grievances of the employees ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (c). In terms of the settlement dated 20.6.70 between the LIC and four associations of Class III and IV employees, namely, The All India Insurance Employees' Association, The All India National Life Insurance Employees' Federation, The All India Life Insurance Employees' Association and the LIC Higher Grade Assistants' Association, the LIC held discussions with the Associations to review the existing rules regarding promotion. On 15.10.71 it entered into an agreement in the matter with the first three associations, but the Higher Grade Assistants' Association did not sign the agreement and challenged the validity of the agreement in the Kerala High Court. The main grievances pertain to (i) the provisions in the settlement relating to the upgradation of Section Heads and Superintendents to the cadres of Special Assistants and Assistant Administrative Officers respectively and (ii) the claim for automatic promotion to such of the employees as have passed the prescribed technical examinations.

(b) Government would prefer that such matters are resolved through bilateral discussions between the LIC and its employees.

मादक द्रव्य विभाग के क्षेत्रीय परिषद की बैठक

2651. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मादक द्रव्य विभाग में संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र की योजना के अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय परिषद् की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). नार्कोटिक्स विभाग क्षेत्रीय परिषद् की एक बैठक 20 जुलाई 1972 को होनी निश्चित हुई थी। इस बैठक की सूचना सभी सम्बन्धित अधिकारियों/व्यक्तियों को भेजी गयी थी परन्तु गणपूर्ति के अभाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इस परिषद् की अगली बैठक अब 15 सितम्बर, 1972 को होनी निश्चित हुई है।

Violation of rules for cultivation of Opium

2652. **Dr. Laxminarayan Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the opium cultivators have to give daily information regarding production of opium and its exact quantity to the head man of the opium cultivators of their village ;

(b) if so, whether any complaint of violation of this rule by opium cultivators of Revali-Dewali village in Neemuch Tehsil of Madhya Pradesh has been received in recent past ; and

(c) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Village Head man known as Lumbardar is paid commission by the government for performing various types of duties. One of his duties is to weigh the daily collections of opium of each cultivator.

(b) and (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

घाटे की अर्थव्यवस्था

2653. **श्री पीलू मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जुलाई, 1972 के "स्टेट्समैन" में "स्टीफ इंक्रीज इन डेफेशिट फाइनेंसिंग बजट प्रोवीजन ओवरटेकन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ में और 1 अगस्त, 1972 को घाटे की अर्थव्यवस्था की कुल राशि कितनी थी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). 1971-72 में घाटे की अधिक वित्त व्यवस्था मुख्यतः बंगला देश से आये शरणार्थियों पर भारी खर्च होने, दिसम्बर में पाकिस्तान के साथ युद्ध होने तथा देश के कई भागों में आयी दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में खर्च होने के कारण हुई। वित्तीय आंकड़ों से यह पता चलता है कि चालू राजस्व वर्ष में, अब तक, अर्थात् 31 मार्च, 1972 और 21 जुलाई 1972 के बीच की अवधि में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये गये शुद्ध ऋण में 447 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। किन्तु प्राप्तियों और व्यय की गति असमान होने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये जाने वाले ऋण की रकम घटती बढ़ती रहती है और इन आंकड़ों से यह पता नहीं चल सकता कि पूरे वर्ष भर में घाटे की वस्तुतः कितनी वित्त व्यवस्था होगी।

दिल्ली हवाई अड्डे पर खाद्य पदार्थों का उपलब्ध न होना

2654. **श्री पीलू मोदी** :
श्री के० सूर्यनारायण :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जुलाई, 1972 के 'स्टेट्समैन' में 'नो ईटेबल्स ऐट एयरपोर्ट' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). यद्यपि अनधिकृत ठेकेदार के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही के कारण रेस्टोरेंट मोहरबन्द कर दिया गया था तथापि स्नैक और ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री का तुरन्त प्रबन्ध कर दिया गया था । 15-7-72 से टैरेस रेस्टोरेंट में खानपान सेवा भी प्रारम्भ कर दी गई थी ।

Extension of Banking Facilities in Rural Areas

2655. **Shri Shrikrishan Agarwal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount earmarked for programmes in rural areas by Nationalised Banks for the year 1972-73 ;

(b) whether any provision has also been made for the backward areas of Raipur District of Madhya Pradesh ;

(c) if so, the nature of provision made ; and

(d) the time by which this programme is likely to be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) to (d). As a matter of policy Public Sector banks have been giving special attention to the neglected sectors such as agriculture, small-scale industry etc. and to backward areas in the country. No precise quantitative targets have and however, been set in this regard.

Assistance from U. S. S. R. for Industrial Development

2656. **Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Government of India have received financial aid from the Soviet Union for the development of Indian industries ;

(b) if so, the amount and terms and conditions thereof ; and

(c) the nature of industries on which the said amount will be spent ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwant Rao Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) Of the total amount of Roubles 1225 million (Rs. 1021 crores) available under 8 Soviet Credits, a sum of about Roubles 821 million (Rs. 684 crores) has so far been utilised for industrial development.

The Soviet Credits carry interest at $2\frac{1}{2}\%$ per annum and are re-payable over a period of 12 years, except in the case of the credit for the Drugs Projects, which is repayable in 7 years. The repayments towards the principal begin one year after completion of deliveries of equipment for putting the respective projects into operation. The payments of interest and repayments of principal are made in Indian Rupees which are utilised by the Soviet authorities for the purchase of goods in India for export to the U. S. S. R.

(c) A list of projects is attached. **[Placed in Library. See No. LT. 3426/72]**

Contracts for Production and Supply of Defence Equipment given to Firms

2658. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri Rana Bahadur Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of the firms given contracts for production and supply of defence equip-

ment during the last two years and the amount given to each of them in advance for the purpose ;

(b) whether some of the firms have delayed the supply of equipment and are hesitating to refund the money advanced by them ; and

(c) if so, the names thereof and the action taken by Government against them ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : Goods for Defence Services are procured in many cases direct by Services Headquarters, Store Depots, Ordnance Factories and Public Sector Undertakings under the Ministry of Defence. In others, they are procured through the DGS & D or through the Department of Defence Supplies depending upon whether they are established items or are items requiring indigenous development. Collection of information from DGS & D, from the three Service Headquarters from Ordnance Factories, from Store Depots and from Defence Undertakings, spread throughout the country will take time. The efforts involved in collecting the desired information may not be commensurate with the likely objective. Therefore, the following reply is confined to the items ordered by the Department of Defence Supplies :—

(a) Orders for supply of 2758 items were placed during the financial year 1970-71 and 2291 items during the financial year 1971-72. The number of contractors is very large. It would require considerable time and effort to compile their list.

The number of contracts against which advances or 'on account' payments have been made during the last two financial years is 20. Their list is attached. **[Placed in Library. See No. LT. 3427/72]**

(b) There has been delay in the supply of equipment in some cases but the orders are current, excepting in one case. In current orders no claim for refund have been made.

(c) M/s Mysore Electro Chemical Works Ltd., Bangalore. This firm has gone into liquidation and a claim has been lodged with the Official Liquidator.

पटना हवाई अड्डे का विस्तार

2659. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना हवाई अड्डा अपेक्षाकृत बहुत छोटा है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े बोइंग विमान वहां नहीं उतर सकते ;

(ख) क्या इस कारण भारी संख्या में यात्रियों को असुविधा होती है ;

(ग) क्या आम जनता की सुविधा के लिये पटना हवाई अड्डे का विस्तार करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). वर्तमान धावनपथ की लम्बाई इण्डियन एयरलाइन्स के परिचालनों के लिये पर्याप्त है ।

(ग) और (घ). टर्मिनल भवन में यात्रियों तथा आम जनता के लिये अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

Globe Motor Company Limited

2661. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether M/s. GLOBE MOTORS who were directed by the High Court to pay instalment to their depositors in March, 1972 for the deposits received by them have not made any payment so far ;

(b) if so, the reasons for the delay ; and

(c) the measures taken by Government to ensure timely payment of the instalments in future ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) to (c). Information is being collected and it will be laid on the table of the House.

Number of Temporary Employees in the Civil Aviation Department

2662. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of temporary employees working in the Civil Aviation Department for more than three years, category-wise ; and

(b) the reasons for not confirming them and the time by which they would be confirmed ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) In Class I there are 8 such employees, while in Class II and III, the number is 62 and 1337 respectively. Information in respect of Class IV staff is not readily available.

(b) The temporary employees will be made permanent as and when permanent vacancies become available.

पंजाब में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों का आरक्षण

2663. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केवल ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को पदों का आरक्षण, आयु-सीमा में ढील की रियायतें दी हैं, जो 1 नवम्बर, 1962 को अथवा उसके बाद सशस्त्र सेना में भर्ती हुए थे ;

(ख) क्या सशस्त्र सेना में इस तारीख से पहले भर्ती होने वाले अनेक सैनिक इन सुविधाओं से वंचित रह जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो उनके हितों की सुरक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पंजाब सरकार सभी गैर-तकनिकी स्थानों के 20 प्रतिशत का आरक्षण उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए करती है जो सशस्त्र सेनाओं में पहली नवम्बर 1962 या उसके पश्चात सम्मिलित हुए हैं, इनमें से जो स्थान रिक्त रह जाते हैं उन स्थानों की पेशकश उन भूतपूर्व सैनिकों को की जाती है जो नौकरी के लिए अन्य प्रकार से काबिल तथा उपयुक्त होते हैं।

(ख) पंजाब में इस वर्ग के लिए प्राथमिकता उनके पश्चात आएगी जो सेवा में पहली नवम्बर 1962 या इसके पश्चात आए हैं।

(ग) केन्द्र सरकार ने पंजाब सहित सभी राज्य सरकारों को पहले ही लिख दिया है कि वे केन्द्र द्वारा दिए गये आरक्षण के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के बारे में आरक्षण करें।

हिन्दी के "सैनिक समाचार" का परिचालन

2664. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी में प्रकाशित "सैनिक समाचार" का कुल कितना परिचालन है ; और

(ख) क्या संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं में इसी प्रकार की पत्रिकायें प्रकाशित करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 11740।

(ख) सैनिक समाचार इस समय अंग्रेजी, गोरखाली और आठवीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य आठ भाषाओं अर्थात हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगू, मलयालम और बंगाली में प्रकाशित हो रहा है। यह शेष भाषाओं में नहीं छापा जा रहा है क्योंकि उसके लिए पर्याप्त मांग नहीं है।

रक्षा प्रतिष्ठानों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि

2665. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्रतिष्ठानों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि के बारे में लोक लेखा समिति ने एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच कराये जाने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है ;

(ग) यदि हां, तो यह समिति कब नियुक्त की गई थी और यह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी समिति के कब तक नियुक्त किये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) से (घ). मामला विचाराधीन है।

आयात कर के असम्बलीज और सब-असम्बलीज का बैंक बनाना

2666. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति ने कुछ उपकरणों के देशी उत्पादन की गति निरन्तर बनाये रखने के लिए आयात कर के असम्बलीज और सब-असम्बलीज तथा अन्य कल-पुर्जों का एक बैंक बनाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच इस प्रकार का कोई बैंक स्थापित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). फालतू कल-पुर्जों के सुरक्षित भण्डार की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति की सिफारिश उसके शब्दों के अनुसार रख रखाओं की आवश्यकताओं से सम्बन्धित थी, और अनिवार्यत: केवल आयातित मदों के भण्डार को स्थापित किये जाने तक सीमित नहीं थी। तथापि, सभी रक्षा उत्पादन यूनिटें ऐसे सभी उपकरणों और सब-असम्बलीज के लिये सदा एक भण्डार रखती हैं जिन्हें आयात करना होता है।

त्रिपुरा में तेल का पता लगाया जाना

2668. **श्री रामकंवर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कहीं तेल का पता चला है जहां हाल में छिद्रण कार्य आरम्भ किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां तेल की क्या संभावनाएं हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). 19-7-1972 को त्रिपुरा में पहले कुंआ खोदा गया था तथा इसे 4500 मीटर तक की गहराई तक व्यधन करने का विचार है । व्यधन कार्य प्रगति की पूर्व प्रावस्थाओं में है और इस कुंए में तेल की संभावनाओं के बारे में इतना पहले बताना कठिन है ।

कच्चा माल तथा कल पुर्जों का आयात करने के लिये विश्व बैंक से ऋण

2669. **श्री रामकंवर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की राज्य व्यापार एजेंसियों द्वारा कच्चे माल तथा कलपुर्जों के आयात का वित्तपोषण करने के लिए विश्व बैंक से कम ब्याज पर ऋण देने के लिए हाल में अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ; तथा भारत के उद्योगों को इस ऋण से कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के कार्यकारी निदेशक मण्डल ने, प्राथमिकता प्राप्त कुछ विशिष्ट उद्योगों के लिए कच्चे और अर्ध निर्मित माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के आयात के लिए 7.50 करोड़ अमरीकी डालरों के एक ऋण की स्वीकृति दी है। ज्यों ही अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की निधियों की प्रतिपूर्ति हो जायगी, त्यों ही इस ऋण के करार पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। केवल अनुमानत: 5 करोड़ अमरीकी डालर के मूल्य की सरणीबद्ध वस्तुओं का आयात, राज्य व्यापार निगम, वस्तु और खनिज व्यापार निगम और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड जैसे सरकारी व्यापारिक अभिकरणों के माध्यम से उन्हें वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये आर्डरों के आधार पर किया जायगा। इन अभिकरणों द्वारा इकट्ठी खरीद में किफायत रहेगी। सरणीबद्ध वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं का आयात वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा सीधे ही किया जायगा। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के प्रस्तावित ऋण से इन उद्योगों की 1972-73 के लिए विदेशी मुद्रा की कुल आवश्यकताओं के 29 प्रतिशत भाग की पूर्ति हो जायगी।

रूस तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों से अशोधित पेट्रोलियम

2670. **श्री रामकंवर : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने रूस तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों से अशोधित पेट्रोलियम प्राप्त करने के प्रयत्न किए हैं ;

(ख) इन प्रयत्नों में कितनी सफलता प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जून, 1972 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में इस बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धियों के परिणामस्वरूप सरकार, रूस एवं अन्य पूर्व यूरोपीय देशों के स्रोतों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न स्रोतों से कच्चे तेल के आयात की सम्भावनाओं की खोज करती रहती है। सरकार ने, दिनांक 23 जून, 1972 के 'इकानोमिक टाइम्स' में प्रकाशित वर्तमान रिपोर्ट को भी देखा है। किन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि कच्चे तेल की सप्लाई के स्रोतों के व्यपवर्तन में सरकार को अपने प्रयासों में किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय तेल निगम ने ईराक नेशनल आयल कम्पनी के साथ 31 दिसम्बर, 1972 तक 250,000 मीटरी टन तक नार्थ रूमिला क्रूड आयल की सप्लाई के लिए, हाल ही में एक करार किया है। इस करार के अनुसमर्थित होने के पश्चात् यह (करार) प्रभावी होगा। कच्चे तेल की सप्लाई के लिए अन्य देशों के साथ सम्पर्क-स्थापना के सम्बन्ध में प्रयत्न किये गये हैं और जारी भी रहेंगे। इस स्थिति में इस बातचीत के ब्यौरों को बताना जनहित में नहीं होगा।

Seizure of Nepali Hemp

2671. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Nepali hemp worth lakhs of rupees was seized by police in a raid at Begusarai ;

(b) whether some foreign goods were also seized previously in similar raids ; and

(c) if so, the number of such incidents during the last two years and the measures adopted by Government to solve this problem ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Nepali hemp estimated to be worth Rs. 4.76 lakhs was seized by the Begusarai Police on 6th July, 1972 in village Chaidha.

(b) No foreign goods were seized by the Begusarai police in such raids previously.

(c) The following seizures of ganja were made by the Begusarai police in 1971 and 1972 :—

9.5.1971	..	4 bags of Ganja at village Tajpur
1.11.1971	..	2 seers of Ganja at village Nawgaon
10.1.1972	..	102 seers of Ganja
7.4.1972	..	170 maunds of Ganja
17.5.1972	..	1 maund of Ganja

The Customs staff in Bihar seized the following quantities of Ganja, opium and hashish and foreign goods of the following value during 1970, 1971 and 1972 :—

1970	—	84.3 kgs of Opium and 10.3 kgs of Hashish
1971	—	36.8 kgs of Hashish and 19,140 kgs of Ganja
1972	—	4.35 kgs of Opium, 1522 kgs of Ganja and 21.8 kgs of Hashish

Value of foreign goods seized :

1970	—	Rs. 60,99,540/-
1971	—	Rs. 96,87,000/-
1972 (Upto June 1972)	—	Rs. 57,43,236/-

The following measures have been taken by the Government of India to solve this problem :—

(i) Several mobile preventive parties have been set up on the Indo-Nepal border to check smuggling of goods from Nepal to India and vice versa.

(ii) A number of jeeps have been provided to make the staff more mobile and effective;

(iii) Services of a company of Home guards have been requisitioned in the Forbesganj sub-division of the Patna Collectorate for prevention of Jute smuggling to Nepal;

(iv) The man-power in the Preventive parties has been increased. The staff is being armed to resist the armed smugglers operating on the Indo-Nepal border ;

(v) Close liaison is being maintained with the State authorities on the Indo-Nepal border to check smuggling of goods to and from Nepal ;

(vi) Cooperation of H. M. G. of Nepal has also been sought repeatedly in this connection.

गत तीन मास में इंडियन एयरलाइन्स की वायु सेवाओं में पड़ा व्यवधान

2672. **श्री समर गुह :**
डा० रानेन सेन :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल इण्डियन एयर लाइन्स की सेवाओं में अक्सर व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और सभी मार्गों पर उनका देरी से जाना और आना आए दिन की बात हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में देश भर में एयरलाइन्स की सेवाओं में कितनी बार ऐसा व्यवधान पड़ा और उस समयावधि में उनके आने जाने में कितनी अनियमितताएं हुईं ;

(ग) विमान सेवाओं में इस व्यवधान और उनके आने जाने में अनियमितताएं होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) वायु सेवा को नियमित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अप्रैल, मई और जून, 1972 के महीनों के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं में हुई देरियों (15 मिनट और अधिक) और रद्द की गई उड़ानों की कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है :

मास 1972	आयोजित आरोहणों की संख्या	देर से की गई उड़ानों की संख्या	रद्द की गई उड़ानों की संख्या	नियमितता प्रतिशत (समयानुसार प्रस्थान)
अप्रैल	7921	2550	174	65.37
मई	8200	2933	151	62.39
जून	8087	3522	280	52.99

(ग) अनियमितता के कारणों में तकनीकी खराबियां, संधारण इंजीनियरों द्वारा अपनायी गयी 'धीरे काम करो' की नीति तथा पक्षियों के असामान्य रूप से अधिक संख्या में टकराने की घटनायें शामिल हैं। जून में देर से की गई और रद्द की गई उड़ानों का काफी प्रतिशत खराब मौसम के कारण था।

(ख) खराब मौसम के कारण हुई देरियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जहां तक इंजीनियरी खराबियों और अन्य कारणवश हुई देरियों का सम्बन्ध है, कारपोरेशन द्वारा उनकी संख्या न्यूनतम करने के लिए सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बैंक सेवा में सुधार

2673. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बैंक सेवाओं में सुधार करने के लिये सरकार ने कोई विशेष उपाय किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए स्वयं उपाय कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ऋण देने की प्रक्रिया को युक्ति-संगत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे, फार्मों का सरलीकरण, ऐसे फार्मों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग, सम्बन्धित अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों में वृद्धि, बाहरी चैकों, ड्राफ्टों आदि को भुनाने की प्रक्रिया में सुधार।

बैंकिंग आयोग ने वाणिज्यिक बैंकों के कार्य के तरीकों और प्रक्रियाओं में सुधार करने और उनको आधुनिक बनाने के सम्बन्ध में कतिपय सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

आयकर विभाग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी न होना

2674. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्त, दिल्ली/नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में, उन सभी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी नहीं की गई है, जिन्हें वर्ष 1970 में रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन काम करने के लिए बुलाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी ।

आयकर आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में आयकर निरीक्षकों की तालिका

2675. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री आयकर आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में आयकर निरीक्षकों के लिए परीक्षा के बारे में 26 मई, 1972 अतारांकित प्रश्न संख्या 7622 तथा 7623 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर निरीक्षकों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए इस बीच तालिका तैयार कर ली गई है ;

(ख) क्या चयन करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई है ; यदि नहीं, तो क्या वर्तमान तालिका की अवधि एक वर्ष से अधिक बढ़ाने का सरकार का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे अनुसूचित जाति के उन कर्मचारियों के हितों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्होंने जुलाई, 1971 में विभागीय परीक्षा पास की थी ; और

(घ) क्या गत तीन वर्षों में भी निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों, और मुख्य क्लर्कों के ग्रेड में अर्हताप्राप्त कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए, विभागीय पदोन्नति समिति की, पिछली तालिका बनाये जाने की तारीख से लेकर एक वर्ष तक कोई बैठक नहीं हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । पहले के तैयार किए गये पेनल के एक वर्ष बाद तक कोई प्रवर सूची नहीं बनाई जा सकती । 1971 में ली गई परीक्षा के परिणामों के सम्बन्ध में आयोजित की जाने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक, 27 जुलाई, 1972 के बाद ही होनी थी, वह शीघ्र ही आयोजित की जा रही है । चूंकि पिछले पेनल का प्रवर्तन उसके तैयार किये जाने के 18 महीने बाद ही समाप्त होता है, इसलिए उसकी औपचारिक अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) जी, नहीं । अनुसूचित जाति के कर्मचारी आरक्षित खाली पदों पर भरती किये जाते हैं और पिछले पेनल में अनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार शेष नहीं रह गया है, इसलिए 1971 में हुई विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति के जो उम्मीदवार बैठे हैं उनके हितों की विधिवत् रक्षा की जायगी ।

(घ) जी, हां, पूर्ववर्ती तीन वर्षों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें, प्रत्येक वर्ष में अन्तिम पेनल तैयार करने की तारीख के एक वर्ष बाद आयोजित की गई थीं ।

राज्य वित्त निगम अधिनियमों में संशोधन

2676. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त निगम अधिनियमों में संशोधनों को अन्तिम रूप दे दिया है, जिससे उनके संचालन में लचीलापन सुनिश्चित हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो उन संशोधनों के अधिनियम के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिशों पर, राज्य सरकारों के परामर्श से, कार्रवाई की जा रही है। जब यह कार्रवाई पूरी हो जाएगी, तब संसद में एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मध्यम स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण

2677. **श्री पी० ए० सामिनाथन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र में सात राज्य वित्त निगमों के मध्यम स्तर के कर्मचारियों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वरूप तथा उसकी अवधि क्या है ; और

(ख) अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों को कब प्रशिक्षण दिया जायगा ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सम्भव सीमा तक इकट्ठी करके सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता

2678. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के दल ने यह अनुमान लगाने के लिए हाल में कलकत्ता का दौरा किया था कि उस नगर के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता दी जाय ;

(ख) यदि हां, तो दल ने कितनी सहायता दिए जाने की सिफारिश की है ; और

(ग) इसकी सिफारिशों पर विश्व बैंक ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). विश्व बैंक ने कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की कुछ योजनाओं को कार्यान्वित के लिये सहायता देने में अपनी रुचि प्रकट की थी। कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का अध्ययन करने के लिए हाल ही में विश्व बैंक का एक दल कलकत्ता आया था। बताया जाता है कि इस विषय पर विश्व बैंक विचार कर रहा है।

इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी द्वारा ड्यूटी आफीसरों के पदों के लिये विज्ञापन

2679. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी ने दिल्ली से प्रकाशित एक समाचारपत्र में हवाई

अड्डों के केवल ड्यूटी आफिसरों के पदों का विज्ञापन किया है जबकि नागर विमानन से प्रतिनियुक्ति पर गये व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक है तथा जो इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी की स्थापना से पूर्व यही कार्य करते थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार से परामर्श किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). भारत के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकारी ने देश के कुछ प्रमुख समाचार-पत्रों में, जिनमें दिल्ली के तीन समाचार-पत्र भी सम्मिलित हैं, विमान क्षेत्र टर्मिनलों के प्रबन्धक के पदों के लिये विज्ञापन दिये थे। ऐसा नागर विमानन विभाग से परामर्श करके किया गया था, क्योंकि नागर विमानन विभाग अपने ऐसे अधिकारियों को दीर्घकालीन आधार पर प्रतिनियुक्त करने की स्थिति में नहीं था जो अपने सामान्य परिचालनात्मक कार्य के साथ-साथ जन सम्पर्क कार्य भी कर रहे थे। इस संबंध में सरकार से कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं थी।

रूस द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मिट्टी के तेल की सप्लाई

2680. **डा० रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्षिक व्यापार समझौते में जितने मिट्टी के तेल की सप्लाई की व्यवस्था थी, उससे अधिक मात्रा में भारत को मिट्टी के तेल की सप्लाई करने के लिए रूस सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना अतिरिक्त तेल सप्लाई किया गया और उसका मूल्य क्या होगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) 2.16 करोड़ रुपये के मूल्य के 80,000 मीटरी टन।

निगमित क्षेत्र में गैर-बैंककारी कम्पनियां

2681. **डा० रानेन सेन** :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगमित क्षेत्र में ऐसी कुल कितनी गैर-बैंककारी कम्पनियां हैं जिनमें जनता धन जमा कराती है ;

(ख) इन कम्पनियों में 1969, 1970 और 1971 में कुल कितनी धनराशि जमा कराई गई ;

(ग) क्या इन कम्पनियों के कार्यकरण पर सरकार का कोई नियन्त्रण है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन कम्पनियों पर किस प्रकार का नियंत्रण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). निगमित क्षेत्र की 2241 गैर-बैंककारी कम्पनियों द्वारा रिजर्व बैंक को प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर 31 मार्च, 1969 को इन कम्पनियों के पास कुल जमा रकमों के रूप में 322.89 करोड़ रुपये थे। 31 मार्च, 1970 को 2016 गैर-बैंककारी कम्पनियों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत की गयीं, जिनके अनुसार उनके पास उस तारीख को 328.80 करोड़ रुपये जमा थे। बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ). इन कम्पनियों तथा निगमित क्षेत्र की अन्य कम्पनियों के कार्य, कम्पनी अधिनियम, 1956, उद्योग (विकास विनियमन अधिनियम, 1951 आदि विभिन्न अधिनियमों में दिये गये उपबन्धों के द्वारा विनियमित किये जाते हैं। जमा के लिए रकमें प्राप्त करने के सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का अध्याय III -ख, रिजर्व बैंक के, जनता से जमा की रकमों के लिए अनुरोध करने तथा सूचना और विवरणियां मंगाने के लिए, विवरणिका (प्रोस्पेक्ट्स) या विज्ञापन जारी करने के सम्बन्ध में विनियमन या निषेध करने का अधिकार देता है और निदेश देने का अधिकार भी बैंक को देता है। 1966 में जारी की गयी निदेशावली में विहित किया गया है कि किस अवधि तक और कितनी रकम जमा के लिए स्वीकार की जा सकती है ; जमा के लिए रकमें आमंत्रित करने वाले किसी विज्ञापन में कम्पनियों द्वारा कौन-कौन से विवरण दिये जायंगे ; निर्दिष्ट ब्यौरे को दिखाने वाले जमा रजिस्टर रखे जायंगे ; अदा न की गयी अतिदेय जमा रकमों के संबंध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सूचना दी जायगी ; किराया-खरीद ऋण उचित अवधि के दौरान संगृहीत किये जायंगे और रिजर्व बैंक को तुलन-पत्र और विवरणियां भेजी जायंगी आदि ।

कोयाली में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह में गैर-सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में ली गई परियोजनायें

2682. **डा० रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयाली पेट्रो-रसायन उद्योग समूह में कुछ परियोजनाओं को, जो मूलतः गैर-सरकारी क्षेत्र में थी, मुख्यतया गैर-सरकारी फर्मों द्वारा उनकी क्रियान्विति में विलम्ब किये जाने के कारण, सरकारी क्षेत्र में ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन परियोजनाओं को सरकारी क्षेत्र में लिया गया है और उक्त परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में बची बाकी परियोजनाएं संतोषजनक प्रगति कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). पोलिथिलीन, पोलिप्रोपिलीन तथा एक्रिलिक फाइबर के निर्माण के लिये परियोजनाएं जिनके पहले गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने की आशा थी, समस्त पैट्रो-रसायन उद्योग समूह का समाकलन सुनिश्चित करने के लिये अब सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वित की जायेगी। पोलिप्रोपिलीन तथा एक्रिलिक फाइबर के लिये, इंडियन पैट्र-कैमिकल्स कारपोरेशन ने सहयोग करार कर लिये हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है। पोलिपिलीन के लिये, सरकार एक सहयोग करार को अन्तिम रूप दे रही है। अब कोई मुख्य "डाउन स्ट्रीम" परियोजना गैर-सरकारी क्षेत्र में नहीं है ।

Armed Attack by Pakistan in June, 1972.

2683. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Nathuram Ahirwar :

Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether the Pakistani troops had launched an armed attack in the month of June, 1972 in Tawi-Munawar area of the Western border ;

(b) if so, the casualties suffered by both the sides ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check Border Violation in future ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Our security forces have instructions to take suitable action against border violations.

Number of Aeroplanes of Indian Airlines and Air India which Crashed during the Last Two Years

2684. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of aeroplanes belonging to Indian Airlines and Air India which crashed during the last two years ; and

(b) the estimated loss suffered by Government as a result thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) 3 aircrafts of Indian Airlines were involved in accidents in 1970 and 5 in 1971.

There was only one accident to an Air India aircraft (in 1971 during a practice flight).

(b) The information is being collected.

Branches of Nationalised Banks Functioning in Sultanpur and Pratapgarh Districts (U. P.)

2685. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of branches of the nationalised banks functioning in Sultanpur and Pratapgarh districts of Uttar Pradesh ; and

(b) the amount of loan advanced by the branches of the nationalised banks to small farmers and for the development of small industries in the said districts during the financial year 1971-72 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) As on 30th June, 1972 the position in regard to the number of offices of public sector banks, including nationalised banks, operating in Sultanpur and Pratapgarh districts was as follows :

	Offices of State Bank of India	Offices of Nationalised Banks	Total for Public Sector Banks
1. Sultanpur	4	4	8
2. Pratapgarh	4	2	6

(b) The information is being collected to the extent feasible and will be laid on the Table of the House.

Branches of Nationalised Banks Functioning in Gorakhpur and Azamgarh Districts (U. P.)

2686. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of branches of the nationalised banks functioning in Gorakhpur and Azamgarh districts of Uttar Pradesh at present ; and

(b) the total amount of loan advanced to small farmers by the branches of the nationalised banks in the said districts for the development of agro-industries during the financial year 1971-72 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) As on 30th June, 1972 the position in regard to the number of offices of public sector banks, including nationalised banks operating in Gorakhpur and Azamgarh districts was as follows :

	Offices of State Bank of India	Offices of nationalized banks	Total for public sector banks
1. Gorakhpur	18	17	35
2. Azamgarh	8	12	20

(b) The information is being collected to the extent feasible and will be laid on the Table of the House.

खम्बात की खाड़ी के उथले जल में 'एलियाबेट ईस्ट स्ट्रक्चर की ड्रिलिंग योजना का त्यागना

2688. **श्री एम० कतामुतु :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने खम्बात की खाड़ी के उथले जल में 'एलियाबेट ईस्ट स्ट्रक्चर' की ड्रिलिंग योजना त्याग दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) पहले पहल यदि एक संरचना पर एक या अधिक अन्वेषी कुओं के व्यधन करने पर, उस में वाणिज्यिक रूप में समुपयोजनीय तेल भंडारों की विद्यमान्यता सूचित होती है ; तो तेल के उत्पादन को प्राप्त करने के लिए संरचना के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में विकासात्मक कुंओं का व्यधन करना पड़ता है। 'एलियाबेट ईस्ट स्ट्रक्चर' पर, तरंग संबंधी अंश, जिस पर एक अन्वेषी कुंए का व्यधन करना संभव होना चाहिए (यदि अपेक्षित साधन उपलब्ध हों), के समीप एक कुल्या (नहर) गुजरती है। किन्तु, इस संरचना के शेष अंश, विशेष रूप से निचले प्रवाह में पानी की गहराई कम होती है कि सामान्य साधनों सहित अपेक्षित विकासशील कुंओं का व्यधन करना अत्यन्त कठिन होगा। ऐसे कम उथले पानी में विकासशील कुंओं के व्यधन की एक पद्धति को मालूम करना अभी तक

संभव नहीं हुआ है। जब तक विकासात्मक कुंओं के व्यधन की एक पद्धति मालूम नहीं हो जाती है, तब तक एक अन्वेषी कुंएं के व्यधन द्वारा कोई लाभदायक उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि उत्पादन के लिए विकासात्मक कुंओं के व्यधन द्वारा तेल की प्राप्ति का अनुवर्तन करना सम्भव नहीं होगा।

दक्षिण राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी

2689. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दक्षिणी राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) दक्षिणी राज्यों के कुछ भागों में यत्र-तत्र मिट्टी के तेल की कमियां हुई हैं।

(ख) देश में इस उत्पाद की उपलब्धता की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। तथापि, मुख्य रूप से परिचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण कभी कभी स्थानीय कमियां हो जाती हैं। उन क्षेत्रों, जहां ऐसी कमियां हो जाती हैं, को मिट्टी के तेल की सप्लाई जारी रखने के निरन्तर विशेष प्रबन्ध किए जाते हैं और सप्लाई की स्थिति सामान्य रूप से संतोषजनक स्तर पर रखी जाती है।

आई० एन० एस० नीलगिरि

2691. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० एन० एस० नीलगिरि के निर्माण पर कितनी लागत आई थी और इसके कार्य-करण क्या हैं तथा इसके निर्माता का नाम क्या है ; और

(ख) इसके निर्माण में कितनी लागत के स्वदेशी और कितनी लागत के आयातित पुर्जे लगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आई० एन० एस० नीलगिरि मेजागों डाक लिमिटेड द्वारा 18.40 करोड़ की अस्थाई लागत से बनाया गया था। वह एक आधुनिक जनरल उद्देशीय फ्रिगेट है।

(ख) देशी और आयातित उपकरणों की लागत के रूप में प्रतिशतता क्रमशः लगभग 53 और 47 है।

महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर एयर इण्डिया द्वारा होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव

2692. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया का विचार महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर होटलों का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस परियोजना को भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने हाथ में न लेने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). एयर-इण्डिया बम्बई में जुहू तट और सान्ताक्रूज में दो होटलों का निर्माण कर रहा है क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि एयर इण्डिया को भी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों की तरह अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करके होटलों का भी परिचालन करना चाहिये । वस्तुतः एयर-इण्डिया ने इस प्रयोजन के लिये एक विशेष कम्पनी का निर्माण भी कर लिया है । भारत पर्यटन विकास निगम का अन्य केन्द्रों पर होटल निर्माण का अपना एक काफी बड़ा कार्यक्रम है ।

इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए विदेशी सहयोगकर्ताओं के साथ करार

2693. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने कुछ नई परियोजनाओं की स्थापना के लिये विदेशी सहयोगकर्ताओं के साथ कुछ करार किये हैं अथवा करार करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे करारों की मोटी रूपरेखा क्या है और नई परियोजनाएं किस प्रकार की होंगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विदेशी सहयोग करार/प्रस्ताव प्रक्रिया जानकारी, मूल इन्जीनियरिंग, विस्तृत इंजीनियरिंग का पर्यवेक्षण, वैकल्पिक प्राप्ति सेवाओं, निर्माण एवं कार्यान्वियन के पर्यवेक्षण से संबंधित है । इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लि० द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रायोजनाए, प्लास्टिक, सिन्थैटिक, फाइबर, सिन्थैटिक रबड़ तथा सिन्थैटिक डटरजैन्टस का उत्पादन करने वाले उद्योगों को कुछ मध्यवर्ती पदार्थ तथा अन्तिम पदार्थ मुहैया करेंगी ।

ग्रेटर बम्बई के जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से ऋण

2694. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर बम्बई की जल सप्लाई बढ़ाने के लिए विश्व बैंक का महाराष्ट्र राज्य को ऋण देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित ऋण की राशि क्या है और इसके भुगतान की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). भारत सरकार ने, बम्बई महानगर क्षत्र में जलपूर्ति में वृद्धि करने तथा जल-मल निकासी व्यवस्था में सुधार करने की एक परियोजना की सहायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) के, जो उदार शर्तों पर ऋण देने वाली विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है, सम्मुख प्रस्तुत की है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, परियोजना का मूल्यांकन कर रहा है और उसके द्वारा दिये जाने वाले ऋण की राशि के बारे में अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है । यदि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा देय ऋण के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से स्वीकृति मिल गयी तो वह ऋण भारत सरकार को दिया जायगा और उक्त ऋण की राशि, आयोजनागत योजनाओं के लिए देय केन्द्रीय सहायता के रूप में महाराष्ट्र सरकार को अन्तरित कर दी जायगी । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता किन्तु उन पर 3/4 प्रतिशत की दर से केवल सेवा प्रभार लगता है और ये ऋण 50 वर्षों की अवधि में वापस किये जाने होते हैं ।

रक्षा उत्पादन में लगे विदेशी विशेषज्ञों की भूमिका कम करने की योजना

2695. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा उत्पादन में लगे विदेशी विशेषज्ञों की संख्या तेजी से कम करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). रक्षा उत्पादन में विदेशी विशेषज्ञों का हाथ पूर्णरूप से उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है जिनमें तकनीकी जानकारी देश में उपलब्ध नहीं है । जहां पर भी विदेशी विशेषज्ञ लगाने पड़ हैं, नीति यह हैं कि उपयुक्त भारतीयों को प्रशिक्षण देकर उनको जल्द से जल्द बदल दिया जाय ।

एवरो-748 विमान उड़ाने से इन्कार करने वाले विमान चालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई

2696. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एवरो-748 विमानों को उड़ाने से इन्कार करने वाले विमान-चालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितने विमानचालकों के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छोटे किसानों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से अग्रिम लेने की मांग में कमी

2697. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से अग्रिम लेने की मांग में कमी आ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं। कृषि क्षेत्र को दिए गए प्रत्यक्ष ऋणों की बकाया राशि में और ऋण-खातों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है, जैसा कि नीचे की सारणी से प्रकट होता है :—

निम्नलिखित महीनों के अन्त में	ऋण-खातों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपयों में)	प्रति खाता बकाया राशि (रुपये)
जून, 1969	1,34,849	26,96.0	1,999
जून, 1970	3,78,285	98,47.6	2,603
जून, 1971	5,36,235	1,29,64.2	2,418
मार्च, 1972	6,36,493	1,50,22.9	2,360

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सूरजमल नागरमल ग्रुप, कलकत्ता के नियंत्रण में कम्पनियां

2698. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजोरिया प्रोपरटीज लिमिटेड, दार्जिलिंग, दूआरज इनवैस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, अलीपुर, हौडिम्स प्राइवेट लिमिटेड बैरकपुर, इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कनौरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता, सूरजमल नागरमल के नियंत्रण में है और यदि हां, तो प्रत्येक कम्पनी के निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक कम्पनी के मुख्य शेयर होल्डर कौन हैं और उनमें से प्रत्येक के पास कितने तथा कितने प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं ;

(ग) गत वर्ष में प्रत्येक की परिसम्पतियां तथा दायित्व कितने हैं और उनके व्यवसाय की मुख्य वस्तुएं कौन सी हैं ;

(घ) प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रत्येक स्रोत से प्राप्त किये गये ऋण और अग्रिम राशि कितनी है और उनमें से कौनसी कम्पनियां दिवालिया हो गई हैं ; और

(ङ) क्या इन कम्पनियों पर हिस्सेदारों और मैकल्योड कम्पनी के कर्मचारियों के भारी धन-

राशि के दुर्विनियोग का आरोप लगाया गया है, और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ङ). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मैसर्स सिक्योरिटी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड

2699. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स सिक्योरिटी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य कौन कौन हैं ;

(ख) इस कम्पनी के मुख्य अंशधारी कौन-कौन है और प्रत्येक के पास कितने इक्विटी शेयर हैं और उनकी प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या मैसर्स सिक्योरिटी प्रिन्टर्स लिमिटेड ब्रिटिश नियन्त्रित कम्पनी मैटल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता की सहायक कम्पनी है ; और

(घ) क्या उपरोक्त दोनों कम्पनियां निदेशकों और पूंजी के माध्यम से एक दूसरे से सम्बन्ध है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) मैसर्स सिक्योरिटी प्रिन्टर्स आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर के निदेशक मंडल की संरचना निम्न प्रकार है :—

1- श्री एम० सी० खुन्नाह, निदेशक

2- श्री सी० एल० खुन्नाह, निदेशक

3- श्री पी० के० नन्दा, निदेशक

(ख) 31-3-71 तक, इस कम्पनी की हिस्सा पूंजी में, मै० डब्ल्यू० डबल्यू० स्प्रेग एण्ड कम्पनी लि० ब्रिट्रेन, के 3570 (51 प्रतिशत) साम्य हिस्से एवं श्री एल० एन० खुन्नाह के 3430 (49 प्रतिशत) साम्य हिस्से थे।

(ग) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार मे० सिक्योरिटी प्रिन्टर्स आफ इण्डिया प्राइवेट लि०, मे० मीटल बाक्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता की सहायक कम्पनी प्रतीत नहीं होती।

(घ) इन दोनों कम्पनियों में केवल एक निदेशक, समान है, एवं उनमें पूंजी का कोई अन्तः सम्बन्ध नहीं है।

कलकत्ता हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा बनाने का नया प्रस्ताव

2700. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के बड़े उद्योग-गृहों द्वारा कलकत्ता हवाई अड्डे के भविष्य को नष्ट करने के षडयंत्र के बारे में पता है ; और

(ख) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डा बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के बारे में कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार कलकत्ता विमान क्षेत्र के महत्व को बनाए रखने को उत्सुक है । इस विमान क्षेत्र पर हाल ही में लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है । 48 लाख रुपये से अधिक की लागत से एक कंट्रोल टावर का तथा एक एयर-पोर्ट होटल का भी निर्माण किया जा रहा है ।

दुर्गा पूजा पर्व के अवसर पर पर्यटकों को कलकत्ता की ओर आकर्षित करने की योजना

2701. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गा पूजा पर्व के अवसर पर पर्यटकों को कलकत्ता की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कलकत्ता के लिये पर्यटक यातायात को आकर्षित करने की दृष्टि से पर्यटन विभाग ने वर्ष 1969-70 में दुर्गा पूजा के दौरान कलकत्ता उत्सव का आयोजन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 77,000/- रुपये का उपदान दिया था ।

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष भी उसी प्रकार के उत्सव को आयोजित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

(ख) योजना के ब्यौरों को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा है ।

Number of Pakistanis other than Armed Personnel detained during last Indo-Pak War.

2702. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Pakistanis, other than Pakistani Soldiers, detained in India as prisoners of war and number of the Pakistanis who were arrested as intruders in the areas of Jammu-Kashmir ; and

(b) whether the Geneva Conventions are applicable to these persons, and if so, in what manner ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The total number of Pakistani Prisoners of War in our custody is 74,856. These are members of Pakistani military and para military forces. Eighteen "intruders" captured in Poonch and Rajauri Sector, are being viewed as Prisoners of War as they are members of the Pakistani Army.

(b) According to the Geneva Convention, members of regular armed forces, whenever captured, are to be treated as Prisoners of War. Such "intruders" as are not members of regular armed forces, or did not conduct their operations in accordance with the laws and customs of war, are not required to be treated as Prisoners of War.

Payment of Higher Prices to Irani Oil Company

2703 **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the date on which India entered into an agreement with National Irani Oil Company for supply of oil ;

(b) whether India has been paying higher price than the market price of oil, as per the said agreement and if so, the total amount paid in excess ; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) to (c). The Madras Refineries Limited is a joint venture of the Government of India, the National Iranian Oil Company and the Pan American International Oil Company (now changed to Amoco), with equity holdings in the ratio of 74 : 13 : 13, respectively. The foreign partners, in addition to equity participation, also arranged foreign exchange loans for the capital expenditure on the refinery to the extent of $22.32 million. In addition, Amoco also offered to participate in a fertiliser plant and/or petrochemical plants. As a direct consequence of these arrangements, a crude oil sales agreement was executed on 18th November 1965 for supply of Darius crude oil to the Madras Refinery to the extent of 42 million tonnes by the foreign partners at a base price of $ 1.35 per barrel, subject to escalation to the extent of the average increase or decrease in the posted prices of three reference crudes. Early in 1970 as world crude prices had been showing a downward trend in spite of the posted prices remaining stationary, the question of a reduction in the base price, by modification of the agreement if necessary, was taken up with the foreign partners but no agreement could be reached. In the mean-time, world prices of crude oil started rising and it was seen that the effect of the Crude Oil Sales Agreement was such that prices of Darius crude rose by amounts higher than had been the case for well-known Middle East crudes. Discussions with foreign partners were, therefore, continued and in February 1972 an agreement was reached fixing prices at various times between November 1970 and upto the end of December 1972. As a result of this agreement, discounts over the contract price ranging from about 6 cents to 17 cents per barrel were secured.

The agreement relating to supply of Darius crude provides for 180 days' credit for deliveries upto the end of 1972. This implies a price advantage ranging from 6 cents to 7.5 cents per barrel.

If the overall nature of the Agreement and the benefits derived from participation of the foreign partners is not taken into account, but keeping in view the advantage of credit terms, notionally the amount paid for the period upto 30th June 1972 for Darius crude over and above the market prices for comparable crude was about $ 4,60,000.

कानपुर स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा अन्य किस्म के विमान निर्माण कार्य को प्रारम्भ करना

2704. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने एवरो-748 का निर्माण कार्य बन्द कर दिया है और उसके स्थान पर एक विदेशी फर्म के सहयोग से एक अन्य किस्म के विमान का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं ;

(ग) नई परियोजना के लिए कुल कितने पूंजी-निवेश की आवश्यकता होगी और वर्तमान फालतू हो जाने वाली मशीनों और औजारों का किस प्रकार यथोचित उपयोग किया जा सकेगा ; और

(घ) नये विमान से क्या अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय विपदा निधि

2705. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरिहार्य दैवी विपत्तियों, जैसे सूखा, बाढ़, तूफान आदि का सामना करने के लिए, जो प्रायः प्रतिवर्ष देश के किसी एक अथवा दूसरे भाग में आती रहती हैं, एक राष्ट्रीय विपदा निधि स्थापित करने की वांछनीयता पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला छठे वित्त आयोग को सौंपा गया है और उससे यह अनुरोध किया गया है कि वह दैवी विपत्तियों से पीड़ित राज्यों द्वारा राहत कार्यों पर किए जाने वाले व्यय के लिए धन देने से सम्बन्धित नीति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करें और अन्य बातों के साथ-साथ, एक राष्ट्रीय निधि स्थापित करने की सम्भाव्यता की जांच करे जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपनी राजस्व-प्राप्तियों का कुछ प्रतिशत भाग अंशदान दें ।

औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की सहायता के फलस्वरूप बन्द पड़े एककों का पुनः चालू होना

2706. **श्री वी० मायावन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे बन्द पड़े नौ एकक कहां कहां पर स्थित हैं जो अब तक भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की सहायता से अपने कारखाने पुनः चालू कर पाये हैं ;

(ख) 13 एककों में से शेष चार एककों की, जिन्हें प्रत्याभूतियों सहित 99.17 लाख रुपए की राशि दी गई है, कब तक पुनः चालू होने की आशा है ;

(ग) क्या 30 एककों के लिए 318.44 लाख रुपए की कार्य-कर पूंजी सहायता की व्यवस्था बैंकों के साथ की गई है ;

(घ) क्या इस 30 बन्द पड़े / संकटग्रस्त औद्योगिक एककों के पुनर्निर्माण के लिए 469.05 लाख रुपये की स्वीकृत राशि बैंकों से कार्य-कर पूंजी सहायता की व्यवस्था के अतिरिक्त है ; और

(ङ) ये 30 बन्द पड़े/संकटग्रस्त औद्योगिक एकक कब तक पुनः कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने अब तक 26 बन्द कारखानों को सहायता मंजूर की है। जिनमें से 19 कारखाने दुबारा खुल गये हैं। इनमें से छः कारखाने कलकत्ते में, 6 कारखाने 24 परगना जिले में, 4 कारखाने नादिया जिले में और हुगली, बर्दवान तथा हावड़ा जिलों में से प्रत्येक में एक-एक कारखाना स्थित है। बाकी कारखानों को जिन्हें 70. 89 लाख रुपये की रकम सहायता के रूप में मंजूर की गयी है, उन्हें अपनी सहायता की रकम लेने से पहले भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा लगायी गई विभिन्न शर्तों को अभी पूरा करना है।

(ग) से (ङ). भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने अब तक कुल 51 कारखानों के लिए सहायता मंजूर की है। 527.82 लाख रुपये की कार्य साधक पूंजी की सहायता की व्यवस्था इन एककों के लिए वाणिज्यिक बैंकों की मार्फत की गई है। यह व्यवस्था, स्वयं भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा मंजूर की गई सहायता के अलावा है। जब भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा सहायता मंजूर कर दी जाती है, तब एककों को फैक्टरियां दुबारा खोलने के लिए सहायता की रकम लेने से पहले इस सम्बन्ध में लगाई गई कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है।

पिछड़े जिलों में औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता देना

2707. **श्री वी० मायावन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिसूचित पिछड़े जिलों / क्षेत्रों में स्थित ग्यारह औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं जिन्हें औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 30 जून, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में 831.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है ;

(ख) उन अधिसूचित जिलों / क्षेत्रों में सहकारिताओं की विस्तार योजनायें क्या हैं जिन्हें इसी अवधि में औद्योगिक वित्त निगम ने रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता दी है ; और

(ग) औद्योगिक वित्त निगम ने इसी अवधि में पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को कितनी राशि की सहायता दी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वांछित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–3428/72**]

(ख) 30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निगम ने सहकारी समितियों की विस्तार परियोजना के लिए रियायती शर्तों पर कोई सहायता मंजूर नहीं की थी क्योंकि ऐसा कोई मामला विचारार्थ सामने नहीं आया था।

(ग) 31 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को कुल 26 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी और 9.41 करोड़ रुपये की सहायता संवितरित की गई थी।

मनाली तेल शोधनशाला (मद्रास) में आग

2708. **श्री अरविन्द नेताम :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम् :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनाली स्थित तेल शोधनशाला में भीषण आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो यह अपनी रिपोर्ट कब तक देगी ; और

(ग) आग से अनुमानतः कितनी हानि हुई और भविष्य के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) समिति को दो मास की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

(ग) मद्रास शोधनशाला लि० के अनुसार मरम्मत की अनुमानित लागत लगभग 6.5 लाख रुपये तथा उत्पाद हानि लगभग 2.7 लाख रुपये होगी। सम्पत्ति का यथावत बीमा कराया गया था। प्रबन्ध निदेशक ने बताया है कि शोधनशाला तथा टैंक फार्म में आग शमन की बढ़िया सुविधाएं विद्यमान हैं तथा सभी टैंकों और संरचनाओं में श्रेष्ठ भूयोजन पद्धति विद्यमान हैं तथा वे उचित ढंग से स्थापित हैं। समिति को हानि की मात्रा का निर्धारण करने तथा उन सभी सुरक्षा उपायों जिन्हें ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपनाना चाहिए की सिफारिशें करने के लिए भी निवेदन किया गया है।

दिग्विजय सीमेंट कम्पनी में कदाचार की शिकायतें

2710. **श्री के० बालदण्डायुतम** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमाणी बन्धुओं के स्वामित्व वाली दिग्विजय सीमेंट कम्पनी में कदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में उन्हें शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ;

(ग) क्या इन शिकायतों की कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान्

(ख) प्रबन्ध के विरुद्ध निम्न आरोप हैं :—

(1) परिवहन वारदाना की पूर्ति इत्यादि के सम्बन्ध में वगैर निविदाएं आमंत्रित किये, कुछ निदेशकों के हितार्थ सार्थी को ठेके प्रदान करना ;

(2) कम्पनी द्वारा खरीदी गई गाड़ी को असंगत उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त करना (कम्पनी के व्यापार से जो सम्बन्धित नहीं) ;

(3) कम्पनी के कर्मचारियों की सेवाओं तथा सामान का कम्पनी के कुछ हितार्थ व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किया जाना ;

(4) कुछ अंशधारियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को उनकी योग्यता बिना ऊंचे वेतन और भत्तों पर नियुक्त करना ;

(ग) तथा (घ). कम्पनी की लेखा बहियों के निरीक्षण का आदेश दे दिया गया है।

राष्ट्रीय आय की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत का दर्जा

2711. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, प्रथम, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर राष्ट्रीय आय की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत का दर्जा क्या था और इस समय क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : भारत की राष्ट्रीय आय के आंकड़े, नियमित रूप से केवल 1948-49 से उपलब्ध हैं। प्रत्येक आयोजना की अवधि के अन्त में, राष्ट्रीय आय की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत का जो दर्जा था उसकी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय लेखे और सांख्यिकीय सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के अब्द कोष (यूनाइटेड नेशन्स ईयर बुक आफ नेशनल अकाउन्ट्स) के अनुसार, उन 140 देशों में से जिनके बारे में सूचना उपलब्ध है, राष्ट्रीय आय की दृष्टि से भारत का दर्जा 1958 में छठा, 1965 में सातवां और 1968 में आठवां था। प्रतिव्यक्ति आय की दृष्टि से इसका दर्जा 1958 में 106वां, 1965 में 95वां और 1968 में 74वां था।

राष्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का अनुपात

2712. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से प्रत्येक वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का अलग-अलग अनुपात क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व

वर्ष	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर	जोड़
1951—52	2.4	5.0	7.4
1952—53	2.5	4.4	6.9
1953—54	2.3	4·1	6.4

वर्ष	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर	जोड
1954—55	2.5	5.0	7.5
1955—56	2.6	5.1	7.7
1956—57	2.6	5.3	7.9
1957—58	2.9	6.3	9.2
1958—59	2.7	5.9	8.6
1959—60	2.9	6.5	9.4
1960—61	3.0	7.1	10.1
1961—62	3.2	7.8	11.0
1962—63	3.7	8.8	12.5
1963—64	4.1	9.5	13.6
1964—65	3.7	9.3	13.0
1965—66	3.6	10.6	14.2
1966—67	3.2	10.4	13.6
1967—68	2.8	9.4	12.2
1968—69	2.9	10.2	13.1
1969—70	3.1	10.4	13.5

टिप्पणी : 1970-71 तथा 1971-72 के लिए वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय पर अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय आय और धन की सप्लाई में वृद्धि की दर

2713. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :**
श्री रघुनन्दन भाटिया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के बाद से राष्ट्रीय आय और धन की सप्लाई में वृद्धि की दर के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा धन की सप्लाई में वृद्धि के बीच कोई सहसम्बद्धता स्थापित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो दोनों के बीच क्या अनुपात है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) से (ग). 1951-52 से राष्ट्रीय आय और मुद्रा उपलब्धि में होने वाली घटबढ़ की वार्षिक दर और इनमें से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय और मुद्रा-

उपलब्धि के बीच के अनुपात को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यद्यपि राष्ट्रीय आय और मुद्रा उपलब्धि में होने वाली वृद्धियों के बीच कोई सुनिश्चित परस्पर संबंध नहीं होता, फिर भी किसी विकासशील देश में, अर्थ-व्यवस्था के बढ़ते हुए मुद्रीकरण और आर्थिक ढांचे के विविधीकरण के परिणाम-स्वरूप मुद्रा की मांग में वृद्धि होने के कारण मुद्रा उपलब्धि के प्रति राष्ट्रीय आय के अनुपात अर्थात् मुद्रा उपलब्धि के आय संबंधी वेग (इंकम वेलासिटी) में घटते जाने की दीर्घकालीन प्रवृत्ति होती है।

विवरण

1951-52 से राष्ट्रीय आय और मुद्रा उपलब्धि में हुई घटबढ़ और राष्ट्रीय आय और मुद्रा उपलब्धि के बीच के अनुपात को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	राष्ट्रीय आय में प्रतिशत घटबढ़ स्थिर मूल्यों पर	चालू मूल्यों पर	जनता के पास मुद्रा उपलब्धि में प्रतिशत घटबढ़*	मुद्रा उपलब्धि और स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के बीच का अनुपात
1	2	3	4	5
पहली आयोजना				
1951-52	+2.8	+ 4.6	—10.1	5.5
1952-53	+4.0	— 1·5	— 2.6	5.6
1953-54	+6.0	+ 6.7	+ 3.6	5.7
1954-55	+2.5	— 8.3	+ 6.9	4.9
1955-56	+1.9	+ 3.9	+13.4	4.5
वृद्धि की वार्षिक चक्रवृद्धि दर	+3.5	+ 0.9	+ 1.9	
दूसरी आयोजना				
1956-57	+5.0	+13.3	+ 5.6	4.8
1957-58	—1.0	+ 0.7	+ 3.0	4.7
1958-59	+7.0	+10.6	+ 4.7	5.0
1959-60	+1.8	+ 2.7	+ 7.7	4.2
1960-61	+7.3	+ 9.3	+ 5.5	4.9
वृद्धि की वार्षिक चक्रवृद्धि दर	+3.8	+ 7.3	+ 5.3	

1	2	3	4	5
तीसरी आयोजना				
1961-62	+3.5	+ 5.7	+ 6.2	4.6
1962-63	+2.0	+ 5.9	+ 8.7	4.5
1963-64	+5.7	+14.9	+13.3	4.6
1964-65	+7.2	+17.4	+ 8.7	4.9
1965-66	—5.6	+ 2.8	+11.0	4.6
वृद्धि की वार्षिक चक्रवृद्धि दर	+2.5	+ 9.1	+ 9.6	
वार्षिक आयोजनाएं				
1966-67	+1.5	+15.9	+ 9.3	4.8
1967-68	+9.3	+18.7	+ 8.1	5.3
1968-69	+2.4	+ 1.1	+ 3.0	5.0
चौथी आयोजना				
1969-70	+5.3	+ 8.7	+10.5	4.9
1970-71	+4.7	उपलब्ध नहीं	+11.8	उपलब्ध नहीं

* मार्च के अन्तिम शुक्रवार को।

भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा सहायता

2714. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1971 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के दौरान भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा रुपये के रूप में 15.93 करोड़ रुपये के ऋण, विदेशी मुद्रा के रूप में 20.44 करोड़ रुपये के ऋण शेयर और ऋण पत्रों के रूप में 2.48 करोड़ रुपये के बीमे तथा 2.78 करोड़ रुपये के शेयर और ऋण पत्र बेचने के लिए स्वीकृत पूंजी का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान इस निगम के लघु-ऋण अनुभाग द्वारा विदेशी–मुद्रा में ऋण चाहने वाले छोटे एककों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान छोटे एककों को किस प्रकार की सहायता मंजूर की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और जहां तक उपलब्ध होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुराने नौसैनिक जहाजों का बदलना

2715. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे अधिकतर नौसैनिक जहाज अपेक्षित अवधि से अधिक समय तक चल चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में उनको बदलने की सरकार की क्या योजना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) काफी दिनों तक उपयोग में आने के कारण कई जहाज अब अपनी सर्वोत्तम स्थिति में नहीं हैं।

(ख) हमारी नौसेना के पुराने और जीर्ण जहाजों को बदलने की आवश्यकता के बारे में सरकार पूर्णतया सजग है। नए जहाज प्रतिष्ठित करने, युद्धपोतों के स्वदेशी निर्माण को तीव्र करने तथा उनका विस्तार करने और जहां सम्भव हो नए अधिग्रहण द्वारा इस कमी को पूरा करने का एक कार्यक्रम बना लिया गया हैं। वित्तीय स्रोतों के नियन्त्रण और युद्धपोत निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता के अनुसार हमारी नौसेना को विकसित करने तथा समर्थ बनाने के लिये हर प्रयत्न किया जा रहा है।

इन्डेन गैस की एजेन्सियों के लिये युद्ध में हुए शहीदों की विधवाओं के आवेदन-पत्रों की परस्पर प्राथमिकता का निर्धारण

2716. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डेन गैस की एजेंसी के लिए युद्ध में हुए शहीदों की विधवाओं के आवेदन पत्रों की परस्पर प्राथमिकता किस आधार पर तय की जाती है ;

(ख) उत्तर प्रदेश में अब तक युद्ध में हुए कितने शहीदों की विधवाओं ने एजेंसी के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं, उनकी प्राथमिकता तथा पंजीकरण की तारीख क्या है और किस तारीख को उन्हें एजेंसी दी गई ; और

(ग) युद्ध में हुए शहीदों की विधवा द्वारा एक बार एजेंसी के लिये स्थान विशेष चुन लिये जाने पर या अभी तक किसी एजेंसी के स्थान परिवर्तन की अनुमति दी गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). गैस एजेन्सियों का आवंटन इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा किया जाता है। युद्ध के कारण हुई विधवाओं को प्राथमिकता II अर्थात् अपंग सेवा कार्मिकों के बाद रखा जाता है। युद्ध के कारण हुई विधवाओं को आई० ओ० सी० गैस एजेन्सियों के लिये आवंटन की परस्पर प्राथमिकता इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा हर मामले में उनके गुणों के आधार पर उनको चालू रखने की क्षमता और व्यापारिक उद्योग को सन्तोषजनक ढंग से चलाने के आधार पर किया जाता है।

युद्ध के कारण हुई विधवाओं को उत्तर प्रदेश में इन्डेन गैस एजेन्सियां दिये जाने के सम्बन्ध में उनके आवेदन पत्रों की तारीख सहित सूची।

नाम तथा पता	आवेदन पत्र की तारीख	आवेदन की तारीख तथा स्थान
1. श्रीमती सुमन पुरोहित पत्नी स्वर्गीय फ्लाइट लेफ्ट० मनोहर पुरोहित, आगरा	15 जनवरी, 1972	फरवरी 1972 आगरा
2. श्रीमती कमलेश चौहान पत्नी स्वर्गीय कैप्टन मदन पाल चौहान, 'वीर चक्र' मेरठ	15 जनवरी, 1972	फरवरी 1972 बरेली
3. श्रीमती मोहिनी सिंह पत्नी स्वर्गीय लेफ्ट० करनल ओंकार सिंह, मेरठ	31 जनवरी, 1972	फरवरी 1972 मुजफ्फरनगर
4. श्रीमती पदम् नेगी पत्नी स्वर्गीय मेजर जे० एस० नेगी, लखनऊ	31 जनवरी, 1972	मार्च 1972 सहारनपुर
5. श्रीमती कल्पना सिंह पत्नी स्वर्गीय कैप्टन बी० पी० सिंह 'वीर चक' इलाहाबाद	5 फरवरी, 1972	अप्रैल 1972 धनबाद (बाद में इलाहाबाद के लिये परिवर्तन की अनुमति दी गई)

युद्ध के कारण हुई विधवाओं को उत्तर प्रदेश में आई० ओ० सी० गैस एजेन्सियां आवंटित करने के संबंध में तारीख सहित आवेदन पत्रों की प्रतीक्षा सूची ।

1. श्रीमती प्रभावती सिंह पत्नी स्वर्गीय कैप्टन एस० जी० सिंह, झांसी	2 फरवरी, 1972
2. श्रीमती उमा नथानी पत्नी स्वर्गीय फ्लाइट लेफ्ट० डी० आर० नथानी, देहरादून	8 फरवरी, 1972
3. श्रीमती मुनीता थ्योफिल्लुस पत्नी स्वर्गीय फ्लाइट लेफ्ट० जी० थ्योफिल्लुस, आगरा	14 फरवरी, 1972
4. श्रीमती सीता राणा पत्नी मेजर टेक बहादुर राणा, देहरादून	25 फरवरी, 1972
5. श्रीमती एस० के० सिंह पत्नी स्वर्गीय मेजर रणवीर सिंह 'वीर चक्र' मेरठ	22 मार्च, 1972
6. श्रीमती सुरिन्दर राम सिंह पत्नी स्वर्गीय मेजर राम सिंह, इलाहाबाद	22 अप्रैल, 1972

7. श्रीमती निर्मल कमानां पत्नी लेट 2-लेफ्ट० वी० एस० कमानां, हापुड़ — 28 अप्रैल, 1972

8. श्रीमती विद्या गुरुंग पत्नी स्वर्गीय मेजर एल० वी० गुरुंग 'वीर चक्र' देहरादून — 14 जून, 1972

3 विधवाओं को केरल राज्य में तथा एक को उत्तर प्रदेश में स्टेशन परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

पर्यटकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए की गई कार्यवाही

2717. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों के लिये भारत दूसरा सबसे सस्ता देश है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आजकल पर्यटक आवास तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं पर व्यय के सम्बन्ध में ही नहीं वरन परिवहन के साधनों और यात्रा की दूरी के सम्बन्ध में भी बड़े जागरूक हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यद्यपि विश्व के विभिन्न देशों के बारे में पर्यटन लागत सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, भारत निस्संदेह ही पर्यटकों के लिये अपेक्षाकृत सस्ते गन्तव्य स्थानों में से एक है।

(ख) जी, हां। आमतौर पर पर्यटक मूल्यों के प्रति जागरूक होते हैं, तथा विमान यात्रा लागत, आवास और अन्य तत्सम्बन्धी खर्चे ऐसी मुख्य निर्णायक बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर वे अपनी यात्रा की योजनायें बनाते हैं।

(ग) न्यून विमान किराये, अधिव्यापी पर्यटन किराये (इन्क्लूसिव टूर फेयर्ज) लागू करना तथा भारत आने वाली चार्टर उड़ानों को उदार बनाना, पर्यटक मार्किट को व्यापक आधार प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा जिससे कि इस वर्ग के पर्यटकों के लिए अधिक से अधिक संख्या में भारत आना सम्भव होगा।

अहमदाबाद में शक्तिशाली कम्प्यूटर प्रणाली लगाना

2718. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोफेसर दाण्डेकर की अध्यक्षता में गठित स्वचालन विषयक समिति ने अपने प्रतिवेदन में अहमदाबाद में शक्तिशाली कम्प्यूटर लगाने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या इससे जीवन बीमा कर्मचारियों में गहरा असंतोष पैदा हो गया है ; यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने कम्प्यूटर लगाने का देश भर में घोर विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इतने विरोध के बावजूद भी इस सिफारिश को मानने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) स्वचालन के सम्बन्ध में गठित समिति ने अहमदाबाद में विशेष शक्ति सम्पन्न मशीनी-संगणक लगाने की सिफारिश नहीं की है ।

(ख) से (घ). समिति ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है, अत: उसे स्वीकार करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । संगणक के बारे में संघ के दृष्टिकोण का सरकार को पता हैं ।

रोजगार के अवसर जुटाने और दक्षता सुधारने के उद्देश्य से आयुध कारखानों में आठ-आठ घंटों की तीन पारियां चलाना

2719. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उत्पादन मंत्री ने रोजगार के अधिक अवसर जुटाने और दक्षता सुधारने के उद्देश्य से आयुद्ध कारखानों में आठ-आठ घंटों की तीन पारियां चालू करने की सम्भावना पर दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के साथ विचार करने के लिए 12 जून, 1972 को कोई बैठक बुलाई थी ;

(ख) क्या यह आश्वासन दिया गया था कि समयोपरि भत्ते के रुक जाने का वेतन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि हां, तो दोनों फेडरेशनों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस प्रश्न पर और आगे विचार करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्यमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) और (ग). यह सिद्धान्त: स्वीकार किया था कि आयुद्ध कारखानों में 8-8 घंटों की पारियां चालू की जाएं बशर्ते इससे कर्मचारियों की वर्तमान आय प्रभावित न हों। तथापि, यह समझौता किसी भी सम्बन्धित पार्टी द्वारा कोई वायदा नहीं है और इस मामले में किसी पार्टी द्वारा अन्तिम निर्णय इस प्रश्न पर विचार करने के लिए, एक समिति द्वारा योजना का पूरा आशय प्रकाशित किए जाने के पश्चात ही लिया जाएगा यह समिति पहले ही बना दी गई है जिसमें रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा विभाग, वित्त (रक्षा) मन्त्रालय, आयुद्ध कारखानों के महानिदेशालय, इण्डियन नेशनल डिफेंस वर्कर्ज फैडरेशन और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ का एक-एक प्रतिनिधि सम्मिलित है ।

स्थायी घोषित न किये गये वायु सेना में काम कर रहे असैनिक कर्मचारी

2720. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना में काम कर रहे असैनिक कर्मचारियों को वैमानिकों के स्थान पर काम करने के कारण स्थायी घोषित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किसी पद विशेष पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिए क्या कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) वायु सैनिकों के स्थान पर काम कर रहे असैनिक कर्मचारी तब तक स्थायी होने के अधिकारी नहीं हैं जब तक वे कम्बाटैन्ट के स्थानों पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग). वायु सैनिकों के रिक्त स्थानों पर कार्य कर रहे असैनिक कर्मचारियों की नियमित स्थापना के रिक्त स्थानों पर स्थानांतरण करने की नीति है जब कभी ऐसे स्थान रिक्त होते हैं। तब इन कर्मचारियों को ऐसे रिक्त स्थानों पर अन्य कर्मचारियों के साथ स्थायी करने पर विचार किया जाता है।

आयुध कारखानों में अत्याधुनिक शस्त्रों का निर्माण

2721. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों में अत्याधुनिक उपकरणों का निर्माण करने की दिशा में और क्या प्रगति प्राप्त की गई है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 1971-72 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों से परे आयुध कारखानों द्वारा ऐसे हथियारों के उत्पादन में सुधार करना सम्भव हो सका है। पूरे हथियारों और फालतू पुर्जों दोनों की ही पूरी आवश्यकता को पूरा करने के विचार से इन फैक्टरियों ने उत्पादन की दर और आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाया है।

(ग) (1) अतिरिक्त मशीनों की व्यवस्था के माध्यम से अग्रिम उत्पादन की योजना बनाकर ;

(2) उत्पादन कार्य की पूरी निगरानी और नियन्त्रण ; और जटिल तथा आधुनिक उपकरणों के निर्माण में तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई गई है।

Holding of a Rally by Employees of General Insurance Companies, Patna

2722. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the employees working in the General Insurance Companies, Patna (Bihar) recently held a huge rally in support of their demands ;

(b) if so, what are their demands and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) Some of the employees of the General Insurance Companies went on strike and held a demonstration.

(b) The major demands were :

(1) Nationalisation of General Insurance business without payment of compensation.

(2) Formation of a single Public Sector Corporation for transacting general insurance business.

(3) Rationalisation of pay-scales and service conditions.

(4) Recognition of the General Insurance Employees' All India Association as sole bargaining agent.

(5) Settlement of pending disputes.

Demands (1) to (3) relate to matters which are under consideration by the Select Committee on the General Insurance Business (Nationalisation) Bill.

It is premature to consider the fourth demand ; however pending disputes at the unit level are receiving prompt attention.

चार्टर की जाने वाली विमान-सेवाओं के संबंध में भारत-ब्रिटिश समझौता

2724. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार्टर की जाने वाली विमान सेवाओं के संबंध में भारत-ब्रिटिश समझौते की अवधि तीन महीने तक और बढ़ा कर 30 सितम्बर, 1972 तक कर दी गई है ;

(ख) क्या इस समझौते में तीन महीने की अवधि पहले ही बढ़ाई गई थी जो 30 जून को समाप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो दीर्घकालिक समझौते के स्थान पर सरकार द्वारा कई चरणों में करार की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति देने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) यू० के० सरकार अभी इस संबंध में अपनी दीर्घकालीन नीति बना रही है।

आसाम द्वारा अपरिष्कृत तेल के लिए अधिक रायल्टी की मांग

2725. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्** :
श्री रोबिन काकोटी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम ने अपने अपरिष्कृत तेल के लिये अधिक रायल्टी की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य ने कितनी अधिक दर की मांग की है ; और

(ग) केन्द्र द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) असम सरकार ने परिवहन प्रभारों को सम्मिलित करते हुए अशोधित तेल के दर्जशुदा मूल्य के भारित औसत के 20 प्रतिशत की दर से रायल्टी की मांग की है। इस संबंध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

तमिलनाडु के तिरुनेलवैली जिले में हवाई अड्डा बनाये जाने के लिये चयन किया गया स्थल

2726. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तिरुनेलवैली में किसी स्थल को हवाई अड्डा बनाने के लिये चुना गया है ;

(ख) यदि हां, तो चुने गये स्थल का नाम क्या हैं ; और

(ग) हवाई अड्डे का निर्माण कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

कर अपवंचन को रोकने के उपाय

2727. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कर अपवंचन को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने के मामले पर सरकार ने फिर से विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). वांचू समिति ने जिसे कर-अपवंचन के कारणों की जांच करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसको 20 मार्च, 1972 को सदन-पटल पर रखा गया था। कुछ सिफारिशें, पहले ही, वित्त अधिनियम, 1972 में शामिल कर ली गई हैं और अब अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

निर्यातोन्मुख सूती कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिये ऋणों के आवेदन

2728. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम को निर्यातोन्मुख सूती कपड़ा मिलों से आधुनिकीकरण करने हेतु ऋणों के लिये कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो आवेदकों के नाम क्या हैं और उन पर निगम की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). औद्योगिक वित्त निगम इन चार सूती कपड़ा मिलों अर्थात् (i) मैसर्स हिन्दुस्तान स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स लि०, बम्बई (ii) मैसर्स एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाईल लिमिटेड, पाडिण्चेरी ; (iii) मैसर्स दिल्ली क्लाथ ऐण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, और (iv) मैसर्स राजा बहादुर मोती लाल पूना मिल्स लिमिटेड, के सम्बन्ध में सूती-वस्त्र आयुक्त की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहा है। इन मिलों ने विदेश व्यापार मंत्रालय

द्वारा बनाई गई योजना के अन्तर्गत, निर्यातोन्मुख सूती कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिक वित्त निगम से नर्म शर्तों पर ऋण प्राप्त करने हेतु "पात्रता प्रमाणपत्र के लिए सूती वस्त्र आयुक्त को आवेदनपत्र दिये हैं। सूती वस्त्र आयुक्त की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही औद्योगिक वित्त निगम इन मामलों की जांच का काम हाथ में लेगा।

महिला विमान चालक संघ को दिये गये अनुदान

2729. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से महिला फ्लाइंग स्कूल के लिये बनस्थली विद्यापीठ को 90,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय सदस्यों वाले महिला विमान चालक संघ को भी ऐसा अनुदान दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) बनस्थली विद्यापीठ को 30,000/- रुपये का वार्षिक नियत उपदान तथा प्रति मास के वास्तविक उड़ान-घंटों के लिए निर्धारित दरों पर उड़ान विषयक सहायतार्थ अनुदान दिया जाता है बशर्ते कि न्यूनतम उड़ान 400 घंटे प्रति वर्ष हो। गत तीन वर्षों के दौरान इसे निम्नलिखित धनराशियां दी गई थीं :—

1969-70	48,794 रुपये
1970-71	50,960 ,,
1971-72	34,591 ,,

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस प्रकार के अनुदान उन क्लबों को दिये जाते हैं जोकि उड़ान प्रशिक्षण देते हैं।

व्यवसायी विमान चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल

2730. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि इंडियन एयर लाइन्स तथा एयर इंडिया में भर्ती करने के लिये भारतीय वायु सेना के विमान चालकों को सेवा-मुक्त किया जा रहा है जबकि इन कामों के लिये व्यवसायी विमान चालक लाइसेंस प्राप्त असैनिक लड़के उपलब्ध हैं ; और

(ख) जब बेरोजगार विमान चालक उपलब्ध हैं तो व्यवसायी विमान चालकों को प्रशिक्षण देने के लिये स्कूल आरम्भ करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) आवश्यक अनुभव वाले विमान चालक खुले बाजार से पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) नादिरगुल (हैदराबाद) में केन्द्रीय उड़ान प्रशिक्षण शाला की स्थापना फ्लाइंग क्लबों से चुने हुए उम्मीदवारों को वाणिज्यिक विमान चालक अनुज्ञापत्र (सी० पी० एल०) स्तर तक का उपयुक्त प्रशिक्षण देने के लिये समुन्नत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये की गयी है। इस स्कूल का सृजन फ्लाइंग क्लबों की एक अनुपूरक संस्था के रूप में कार्य करने के लिये किया गया है, न कि उनके प्रतियोगी के रूप में कार्य करने के लिये।

जहां तक बेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालकों का संबंध है, उन्हें नागर विमानन विभाग, दोनों कारपोरेशनों तथा कृषि संबंधी छिड़काव कार्यों में उपलब्ध स्थानों में खपाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

New Policy of Advancing Loans by Nationalised Banks

2731. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether no significant benefit has accrued to farmers, businessmen running small industries and unemployed graduates by the existing loan policy of the nationalised banks ;

(b) whether any proposal to make necessary changes in the loan policy of banks is under consideration of Government ;

(c) if so, the salient features thereof ; and

(d) the date from which Government propose to implement the new policy of advancing loans ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) Comparative figures of the number of accounts and amount outstanding in respect of direct advances to farmers, small scale industries and professionals and self employed persons by the nationalised banks are given in the table below :

(Rs. in crores)

Category	June, 1969		March, 1972	
	No. of A/cs.	Amount outstanding	No. of A/cs.	Amount outstanding
Direct finance to farmers	1,34,849	26.96	6,36,493	1,50.23
Small Scale Industries	36,301	1,48.45	84,859	2,90.28
Professionals & Self employed persons	422	0.33	49,685	10.61

The banks do not maintain information separately for unemployed graduates. Amounts outstanding in respect of professionals and self employed persons include advances made to this category also. It would be observed that there has been marked increase in advances to these sectors since nationalisation.

(b) to (d). Loan policies of public sector banks have been considerably liberalised since nationalisation. There has been a deliberate shift from the concept of tangible securities for loans to that of technical feasibility and economic viability of the schemes to be financed. The Credit Guarantee Corporation was set up by Government to offer guarantee cover to losses incurred by the banks in respect of advances to small borrowers in different sectors upto a prescribed limit and thereby to induce the banks to come forward to the aid of small borrowers in a much larger measure than previously.

भारतीय तेल निगम के बोर्ड का पुनर्गठन

2733. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के बोर्ड का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन अंशकालिक निदेशकों के नाम क्या हैं, जिन्हें पुनः मनोनीत नहीं किया गया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) वर्ष 1971-72 के लिये भारतीय तेल निगम के बोर्ड का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है ।

(ख) 1970-71 तथा 1971-72 के लिये बोर्ड के निदेशकों के नाम संलग्न विवरण-पंत्र में दिये गये हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3429/72**]

श्री एन० पी० सेन की अध्यक्षता वाली इंडियन एयर लाइंस पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशें

2734. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री एन० पी० सेन की अध्यक्षता वाली इंडियन एयर लाइन्स पुनर्विलोकन समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) इन सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ग) अब तक किन-किन सिफारिशों को लागू किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) . समिति की मुख्य सिफारिशें प्रबंधक वर्ग एवं कर्मचारियों के संबंधों, कार्मिक संबंधी नीतियों व परिपाटियों और संगठनात्मक व्यवस्था से संबंधित हैं । सिफारिशों की इंडियन एयर लाइंस द्वारा ध्यानपूर्वक जांच की गयी है और जहां कहीं संभव हुआ है, इनका क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर दिया गया है ।

कृषि उद्योग निगम, पश्चिम बंगाल के कहने पर स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋणों की स्वीकृति

2735. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उद्योग निगम, पश्चिम बंगाल (इस समय विघटित) के कहने पर स्टेट बैंक आफ इंडिया ने कितनी राशि के ऋण स्वीकृत किये तथा किन शर्तों पर ;

(ख) ऐसे ऋणों की कितनी राशि तथा उसका ब्याज बहुत दिनों से देय पड़ा है ; और

(ग) इस राशि को वसूल करने के लिये सरकार कौन से कदम उठाने का विचार कर रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिण-पूर्व एशिया में रुपए की विनिमय दर के संबंध में भ्रान्ति

2736. **श्री पी० के० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1972 के स्टेट्समैन में कन्फ्यूजन ओवर एक्सचेंज रेट आफ रूपी (रुपये की विनिमय दर के संबंध में भ्रान्ति) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) : जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक रुपयों के रूप में, स्टर्लिंग की खरीद और बिक्री की दरें समय-समय पर अधिसूचित करता रहा है। सबसे हाल की अधिसूचना के जरिये हाजिर स्टर्लिंग (स्पाट स्टर्लिंग) की खरीद और बिक्री की दरों को 4 जुलाई, 1972 से निम्नलिखित रूप से संशोधित कर दिया गया है :

खरीद 5.3333 पौण्ड प्रति 100 रुपये

बिक्री 5.3050 पौण्ड प्रति 100 रुपये

ये दरें अभी तक लागू हैं।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों की हड़ताल का व्यापार और वाणिज्य पर पड़ा प्रभाव

2737. **श्री पी० के० देव :**
श्री मूल चन्द डागा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1972 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों की हड़ताल से महानगर में व्यापार तथा वाणिज्य पर किस हद तक प्रभाव पड़ा ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) हड़ताल के दिनों में भारतीय रिजर्व बैंक के फोर्ट और बायकुला कार्यालयों में चैकों के समाशोधन सरकारी खातों में प्राप्तियों और अदायगियों, नोटों तथा सिक्कों के निर्गम और विनिमय तथा ऐसे ही अन्य लेन-देन के कामों को बंद रखना पड़ा। इसके कारण बम्बई महानगर के व्यापार और वाणिज्य में थोड़ी बहुत असुविधा हुई। परन्तु वाणिज्यिक बैंक सामान्य रूप से कार्य करते रहे। हड़ताल के कारण व्यापार तथा वाणिज्य को कितनी हानि पहुंची, इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) केन्द्रीय समाधान तन्त्र (सेण्ट्रल कन्सीलिएशन मशीनरी) ने अपने प्रभाव का उपयोग

किया और रिजर्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ की बम्बई शाखा के बीच समझौता हो जाने के बाद पहली जुलाई 1972 को हड़ताल समाप्त कर दी गयी।

बैंकों की उदासीनता के कारण गुजरात के छोटे कारखानों के सामने कठिनाइयां

2738. **श्री पी० के० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1972 के 'इकोनामिक टाइम्स' में 'गुजरात के छोटे कारखानों पर आये संकट के प्रति बैंकों की उदासीनता' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट के तात्पर्य को समझा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) . जी, हां।

(ग) बहुत सी बातों में स्थिति के बारे में सरकार का मूल्यांकन, समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट में किये गये मूल्यांकन से भिन्न है। नीति के तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंक तकनीशनों द्वारा स्थापित किये गये छोटे पैमाने के एककों से ऋण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करते समय आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं और जमानत, मार्जिन आदि जैसी अन्य बातों के बजाय परियोजना की सक्षमता, तकनीशन की जानकारी और परियोजना को क्रियान्वित करने की उसकी क्षमता को अधिक देखा जाता है। फिर भी हो सकता है कुछ मामलों में कठिनाई हुई हो और ऐसे विशिष्ट मामले सरकार के सामने लाये जाएं तो उन पर उचित कार्यवाही की जायेगी। सरकार छोटे पैमाने के एककों खास कर तकनीकी उद्यमकर्ताओं द्वारा स्थापित किये गये एककों को ऋण सुविधाएं देने की प्रणाली में सुधार करने के लिए दिये गये किसी विशिष्ट सुझाव पर भी ध्यानपूर्वक विचार करेगी।

भारत में विदेशी विमान सेवाओं पर कदाचार ग्रस्त होने के आरोप

2739. **श्री पी० के० देव** :
श्री मान सिंह भौरा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रही विदेशी विमान सेवाओं पर उनके कदाचार ग्रस्त होने के आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 17 जुलाई, 1972 के 'इकानामिक टाइम्स' में "फाउल प्ले बाई फोरेन एयर लाइन्स-कर्ब्स इन दि ओफिंग" (विदेशी विमान सेवाओं द्वारा कदाचार प्रस्तावित प्रतिबन्ध) नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी विमान सेवाओं के ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । सरकार को ज्ञात है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां यातायात को आकृष्ट करने के लिये भ्रष्ट तरीके अपना रही हैं ।

(ग) इन परिस्थितियों का सामना करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-

(i) अमरीका और भारत के बीच रियायती वापसी भ्रमण किराये चालू किये गये हैं ;

(ii) भारत और फ्रांस के बीच विशेष युवा किराये चालू किये गये हैं ;

(iii) एयर-इंडिया द्वारा चार्टरों के परिचालन के लिये एक सहायक कम्पनी की स्थापना की गई है ; और

(iv) वायुयान नियम, 1937 में एक नये नियम का समावेश कर दिया गया है जिसमें सभी विमान कम्पनियों द्वारा अपने शुल्क-दरों (टैरिफों) को नागर विमानन के महानिदेशक के पास फाइल करने की अनिवार्य व्यवस्था कर दी गई है ।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त विमान यातायात संघ के भ्रष्टाचार-निरोध संगठन तथा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के उल्लंघन के मामलों से सम्बन्धित हमारे सरकारी प्राधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

विदेशी पर्यटकों के लिए होटलों में स्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए उपाय

2740. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों के लिए होटलों में स्थान हेतु भविष्य में होने वाली मांगों के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस समय होटलों में कुल कितना स्थान उपलब्ध है ; और

(घ) आवश्यकताओं को हर प्रकार से पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . जी, हां । अनुमान लगाया जाता है कि 1973 में आने वाले प्रत्याशित 4,00,000 पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लगभग 8,700 अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होगी ।

(ग) विदेशी पर्यटकों के लिये उपयुक्तता के दृष्टिकोण से पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित होटलों में कुल उपलब्ध क्षमता इस समय 10,437 कमरे हैं ।

(घ) सरकार ने प्रोत्साहनों की व्यवस्था की है जिनमें अतिरिक्त आवास के निर्माण के लिये प्राइवेट पार्टियों को सीधे ऋण की सहायता सम्मिलित है तथा सीधे स्वयं एवं भारत पर्यटन विकास निगम व एयर इंडिया जैसी सार्वजनिक क्षेत्रीय कारपोरेशनों के माध्यम से भी निर्माण कार्य

प्रारम्भ किये हैं क्योंकि निकट भविष्य में आवास की मांग संभरण की अपेक्षा अधिक रहेगी, अतः इसकी किसी भी समय पूर्ण रूप से पूर्ति करना कठिन होगा।

इण्डियन टोबैको कम्पनी द्वारा तीन होटल चलाने का प्रस्ताव

2741. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टोबैको कम्पनी के तीन होटल चलाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सरकार ने मंजूरी दे दी है ;

(ख) क्या मंजूरी देने के लिये सरकार ने कोई शर्त लगाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). प्रस्ताव का सिद्धान्त रूप में इस शर्त पर अनुमोदन कर दिया गया है कि प्रायोजनाओं के वास्तविक व्यय का 60 प्रतिशत, केवल भारतीयों के लिये उद्दिष्ट, अतिरिक्त 'इक्विटी' के रूप में एकत्रित किया जाएगा ; भारतीयों को 'कैपिटल' का जारी किया जाना अनुमोदन-पत्र जारी किये जाने की तारीख से दो वर्ष के अन्दर-अन्दर पूरा किया जायेगा और जहां कहीं लागू होता हो 'मोनोपोलीज एण्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, 1969' के उपबंधों के अन्तर्गत अपेक्षित अनुमति अथवा शोधन-पत्र उपयुक्त प्राधिकारियों से, उपर्युक्त अनुमोदन के क्रियान्वयन के लिये कोई प्रभावी कदम उठाने के पूर्व अवश्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

समुद्री तट पर गश्त लगाना

2742. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिये नौकायें बनाकर देश के समुद्री तट पर गश्त लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्य को कब तक क्रियान्वित किये जाने की आशा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). सरकार ने हमारे तटीय जल की गश्त लगाना सदा अनिवार्य समझा है। हमारी लम्बी तटीय रेखा और द्वीप क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में नौकाओं की आवश्यकता है, जहां विभिन्न प्रकार की नौकाओं/जहाजों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, इनमें लम्बा समय लगने तथा वित्तीय नियन्त्रण के कारण यह बताना कठिन है कि सभी नौकाएं/जहाज किस समय तक उपलब्ध हो जाएंगे।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से सम्बद्ध व्यक्तियों को इण्डेन गैस की एजेंसियां देना

2743. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके सहित उनके मंत्रालय से सम्बद्ध कितने व्यक्तियों को इण्डेन गैस की एजेंसियां दी गयी हैं ;

(ख) किन किन स्थानों पर ऐसी एर्जेसियां दी गयी हैं ; और

(ग) ऐसी एजेंसियां किन आधारों पर दी गयीं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जहां तक अभिलेखों से पता लगाया जा सका है, गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को इन्डेनगैस की एजेंसी नहीं दी गयी है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

लाइसेंसधारी नागरिकों को छोटे हथियारों की बिक्री के लिए अनुमति

2744. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंसधारी नागरिकों को रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल जैसे छोटे हथियारों को बेचने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर बेचने की अनुमति दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) अभी 12 बोर डी बी बो एल शाट गनों तथा 315 स्पोर्टिंग राइफलों को जिनका निर्माण आर्डनेंस कारखानों में किया जाता है, उपयुक्त लाइसेंसधारियों को पूरे देश में प्राधिकृत शस्त्रास्त्र व्यापारियों के द्वारा बेचा जाता है ।

उर्वरकों के उपयोग में आने वाले कच्चे माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का व्यय

2745. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 में भारत में उर्वरकों के उपयोग में आने वाले कच्चे माल के आयात पर कितनी कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ;

(ख) क्या स्वदेशी कच्चा माल ऐसी आयातित सामग्री की पूर्ति नहीं कर सकता है ;

(ग) क्या इस दिशा में कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो कहां पर ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) उर्वरक उत्पादन अर्थात् गन्धक एवं राक फास्फेट के लिए अपेक्षित दो मुख्य कच्चे माल के आयात के लिए व्यय की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1969-70	19.02
1970-71	24.25
1971-72	22.11

आयात की गई गन्धक का कुछ अंश अन्य उद्योगों द्वारा भी प्रयोग में लाया गया था। उर्वरक उद्योग के संबंध में अलग से कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) उर्वरक उद्योगों में कुछ मात्रा तक उपलब्ध स्थानीय पाइराइट्स और रॉक फास्फेट्स का पहले ही प्रयोग किया जा रहा है और इन देशीय कच्चे मालों के प्रयोग में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में राजस्थान में पाइराइट्स और रॉक फास्फेट्स भंडारों के वैज्ञानिक समुपयोजन के लिए संभाव्य अध्ययन प्रारंभ किया गया है। नाइट्रो-फास्फेट्स के उत्पादन के लिए गन्धकीय अम्ल की बजाय नाइट्रिक अम्ल के प्रयोग द्वारा, तत्विक गंधक की निर्भरता को भी कम किया जा रहा है।

(ग) और (घ). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को सौंपे गए मामले

2746. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1972 तक एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के सम्मुख कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का विस्तार कब किया जायेगा ; और

(ग) इस आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति किस ढंग से की गई है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अध्याय 3 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्रों की संख्या, जो आयोग के पास विचाराधीन हैं, 10 हैं। अध्याय 5 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अनुबन्ध के द्वारा निर्देशित आयोग द्वारा जांच के लिये 11 अनुबन्ध भी अनिर्णीत हैं।

(ख) आयोग की संख्या में वृद्धि करने का अभी कोई तुरन्त प्रस्ताव नहीं है, जो केवल अब न्यूनतम सांविधिक सीमा में है। इसके विस्तार का प्रश्न इसके संभावित भावी कार्य की मात्रा को निर्दिष्ट करते हुए विचाराधीन है।

(ग) आयोग के अध्यक्ष एवं दो सदस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत, उसकी उप-धारा (2) और (3) में उल्लिखित मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए, नियुक्त किये गये हैं। आयोग में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में, उन्हें, मुख्यतः केन्द्रीय/राज्य सरकारों से, उनके पदों से सम्बन्धित सेवाओं की भर्ती एवं शर्तों को शासित करने वाले नियमों एवं विनियमों के पूर्ण होने तक, प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है।

वर्ष 1972-73 में विकसित किए जाने वाले पर्यटक केन्द्र

2747. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पर्यटन पर राज्यवार कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) 1971-72 में किन-किन नये स्थानों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया ; और

(ग) वर्ष 1972-73 में कौन-कौन से नये केन्द्रों को विकसित किये जाने की योजना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3430/72.]**

(ख) पर्यटन के आधारभूत उपादान का विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है और यह वर्षों तक चलने वाला कार्य है। 1971-72 में केन्द्रीय पर्यटन स्कीमों से सम्बन्धित विकास कार्य गुलमर्ग, कोवालम, भरतपुर पक्षीशरण स्थान, ऐलिफेन्टा, सांची, मद्रास, जयपुर, भोपाल, श्रीनगर, साबरमती आश्रम, जेसलमेर, हैदराबाद, कोसी कलान, महाबलिपुरम् कलकत्ता, वाराणसी, जम्मू, खुजराहो, हस्सन, बंगलोर एवं उदयपुर में हाथ में लिये गये।

(ग) 1972-73 में उपरोक्त कार्यों को चालू रखने के अतिरिक्त इनका निर्माण कार्य हाथ में लिया जायेगा (i) कार्बेट, कालेसर, काजीरंगा, गिर, बान्दीपुर, डान्डेली, कान्हा, जल्दापाड़ा और नलसरोवर पशु शरण स्थानों एवं पक्षी शरण स्थानों में विश्राम गृह ; (ii) औरंगाबाद, हैदराबाद, नैनीताल, हाम्पी, पटनीटाप, त्रिवेन्द्रम, पुरी, दार्जिलिंग, गोआ, गांधीनगर, पांडेचरी, पंचकुला, डलहोजी और अमृतसर में युवा होस्टल ; (iii) गौहाटी, रामेश्वरम्, धर्मशाला, मंत्रालय, बारंगल, पोरबन्दर, लुधियाना, हस्सन (शयन शाला प्रकार का), दार्जिलिंग, जोगफाल्ज, सूरजकुण्ड, शिरड़ी, पूना, पण्डारपुर और दरुहेरा में पर्यटन बंगले ; (iv) पटना, शिमला, आगरा और जयपुर में स्वागत केन्द्र ; और (v) पानाजी, बानारघाटा, बारीपाड़ा, जयपुर, फरक्का, बम्बई, केतीदन, कुल्लू-मनाली राजपथ, मिरथल, दीवास, सूरज कुण्ड, मालापुरम्, दिल्ली और मद्रास-महाबलिपुरम् मार्ग पर शिविर स्थल।

उपरोक्त के अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा 1971-72 में बंगलोर, हस्सन और उधमपुर में परिवहन यूनिट स्थापित किये गये और पर्यटन विभाग ने भरतपुर, सारिस्का, गिर, कार्बेट, काजीरंगा, कान्हा, डान्डेली, बान्दीपुर और मधुमल्लई पशु शरण स्थानों पर पर्यटकों के उपयोग के लिये मिनी-बसों की व्यवस्था की। 1972-73 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का अहमदाबाद, जम्मू, कोवालम, भुवनेश्वर, वाराणसी, लखनऊ, कलकत्ता और चण्डीगढ़ में परिवहन यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है।

Raids on Houses of Film Stars in Bombay, Madras and Calcutta

2748. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of film stars and film producers whose houses have been raided by the Income-tax Department during the last three months in Bombay, Madras and Calcutta ;

(b) the amount of money seized by Government in these raids; and

(c) whether any protest against these raids has been received by Government from Cine-Associations ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) 29.

(b) Rs. 6,66,662/- was seized in cash besides jewellery valued at over Rs. 20 lakhs, and accounts and documents.

(c) No, Sir.

गैर-परियोजना सहायता में कमी

2749. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को वर्ष 1971-72 के दौरान गैर-परियोजना सहायता में कोई कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कमी का कारण अमरीका द्वारा कम अनुदान का दिया जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो वह कमी कितनी थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). भारत सहायता संघ की जून, 1971 में हुई बैठक में वर्ष 1971-72 के लिए 58.8 करोड़ डालर की प्रायोजना-भिन्न सहायता (जिसमें ऋण-राहत सहायता भी शामिल है) के जो संकेत दिये गये थे, उनकी तुलना में भारत सहायता संघ विभिन्न सदस्य देशों के साथ 30.3 करोड़ डालर की प्रायोजना-भिन्न सहायता (जिसमें ऋण-राहत सहायता भी शामिल है) के करार किये गये हैं। लगभग 28.5 करोड़ डालर की कमी के मुख्य भाग का कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 30 जून, 1972 को समाप्त होने वाले अमरीकी राजस्व-वर्ष के लिए ऋण-राहत को छोड़ कर और कोई नये वचन नहीं दे रहा है।

सरकारी क्षेत्र में नई गोला-बारूद फैक्टरी की स्थापना

2750. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में नई गोला-बारूद फैक्टरी के स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस स्थान पर स्थापित की जायेगी और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) फैक्टरी मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट स्थापित की जायगी। रक्षा की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह फैक्टरी प्रणोदक का उत्पादन करेगी, परियोजना की मोटे-तौर पर अनुमानित लागत 67 करोड़ रुपया है, और मन्जूरी की तारीख से इसे पूरी होने में लगभग 6 वर्ष लगेंगे।

देश के भीतर भ्रमण को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी योजना

2751. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ सुविधायें देकर देश के भीतर भ्रमण को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नयी योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित आधारभूत उपादानों का निर्माण एवं व्यवस्था की जा रही है और उनमें सुधार भी किया जा रहा है। सरकार ने होटलों के निर्माण एवं पर्यटन परिवहन की खरीद हेतु ऋण देने के लिये एक निधि आवंटित की है। युवा होस्टलों, स्वागत केन्द्रों, विश्रामगृहों, आखेट पशुशरण स्थलों और शिविर स्थलों का भी निर्माण किया जा रहा है।

Capital Invested in Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.

2752. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the total capital invested in the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited since its inception ;

(b) the amount of financial assistance given to the said company by Government of U.S.S.R. and the amount together with interest thereon to be paid to the U.S.S.R. Government by the Government of Indla till now ; and

(c) the amount of loss suffered by the said Company during 1970-71 and the reasons therefor ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) Rs. 5870.59 lakhs up to 31st March 1972. In addition, working capital loans of Rs. 2735 lakhs have been given to the company.

(b) 18 million roubles. Information about the interest payable on this account is being ascertained and will be laid on the Table of the House.

(c) The operational loss of Rs. 205.46 lakhs (the net loss after providing for interest on loans and depreciation being Rs. 799.24 lakhs) was mainly attributable to the following factors :

(i) Inability of the plants to reach the break-even levels mainly because of the time taken to overcome operational and other deficiencies, excessive floods in Alaknanda river in Rishikesh in July 1970, and lack of adequate demand for the products of the Surgical Instruments Plant.

(ii) Reduction in the selling prices of the drugs manufactured by the Antibiotic factory as a result of the Drugs (Prices Control) Order 1970.

(iii) Increase in the cost of raw materials.

(iv) Escalation in the wage bill following the agreement with the unions.

De-Concentration of Audit Work

2753. **Shri M. C. Daga :**
Shri K. Mallanna :

Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Chartered Accountants had launched a strong agitation this year and the last year in support of their demand that the entire audit work both in private and public sectors in the country should be de-concentrated ; and

(b) if so, the steps taken by Government so far in this direction ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b). Certain provisions have been included in the Companies (Amendment) Bill, 1972 which was introduced in the House on the 11th August, 1972.

Amount invested in the Surgical Instruments Factory, Madras

2754. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the total amount invested by Government in the Surgical Instruments Factory, Madras and whether Government incurred loss or earned profit during 1970-71 and the extent thereof ; and

(b) whether, when the said Factory went into production of surgical instruments in 1965, no market was available for its products and if so, the quantity and value of surgical instruments lying unutilised even now ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) Government's investment (including loans) in the Surgical Instruments Plant, Madras as on the 31st March, 1971 was Rs. 964.93 lakhs. The plant incurred a loss of Rs. 79.75 lakhs during 1970-71.

(b) The necessary information is being collected and will be placed on the Table of the House.

राज्य वित्त निगमों और वाणिज्यिक बैंकों में समन्वय के बारे में रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना

2755. **श्री जे० माता गौडर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिजर्व बैंक द्वारा श्री आर० के० तलवार के नेतृत्व में नियुक्त अध्ययन दल ने राज्य वित्त निगमों एवं वाणिज्यिक बैंकों के मध्य समन्वय के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और यदि हां, तो सरकार ने अध्ययन दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या प्रक्रिया में सुधार करने और राज्य वित्त निगमों की कार्यकरण सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिए, जिन पर राज्य वित्त निगमों के चेयरमैनों और निदेशकों की 4 नवम्बर, 1971 को हुई बैठक में विचार किया गया था, कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) (i) भारतीय रिजर्व बैंक ने, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम में कतिपय संशोधन करने का सुझाव दिया है जिससे कि प्रवर्तन में लचीलापन और निगमों के कार्य में व्यापकता आ जाय। इन सुझावों पर, राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ii) राज्य वित्त निगमों के संस्थान को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अध्ययन

दलों को भेजने का फैसला किया है, जिनमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधिकारी तथा तकनीशन शामिल होंगे। ये अध्ययन दल, प्रत्येक राज्य वित्त निगम के साथ विभिन्न मामलों पर बातचीत करेंगे ताकि परियोजना का मूल्यांकन, वितरण तथा उत्तरवर्ती कार्रवाई आदि के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता को आंका जा सके।

पणजी के निकट नौसैनिक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच

2756. **श्री एन० एन० सिवासामी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पणजी के निकट 21 जुलाई, 1972 को एक नौसैनिक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) जांच बोर्ड की कार्यवाही विचाराधीन है।

बैंकों में जमा राशि बढ़ाने के बारे में आर्थिक समृद्धि संस्था (इंस्टीट्यूट आफ इकानामिक ग्रोथ) की सिफारिशें

2757. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक समृद्धि संस्थान (इंस्टीट्यूट आफ इकनामिक ग्रोथ) ने बैंकों में जमा राशि को बढ़ाने और अग्रिमधन पर दर बढ़ाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). आर्थिक समृद्धि संस्थान (इंस्टीट्यूट आफ इकनामिक ग्रोथ) के दो विशेषज्ञों ने बैंकिंग आयोग के विचारार्थ 'एन इकनोमैट्रिक माडल आफ बैंकिंग इन इंडिया' शीर्षक एक तकनीकी अध्ययन तैयार किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों की जमा राशियों और बैंकों के अग्रिमों पर ब्याज की दर बढ़ाने के परिणामों की जांच की गई थी। बैंकिंग आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय, उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए तकनीकी अध्ययनों पर विचार किया था। बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है।

इण्डियन एयरलाइंस द्वारा विमानों में पुनर्नवीकरण की गई बैटरियों का प्रयोग

2758. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस के लिए बैटरियों के आयात पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की जाती है ;

(ख) क्या भूतकाल में इंडियन एयरलाइंस ने विमानों में पुनर्नवीकरण की गयी बैटरियों का प्रयोग किया था ; और

(ग) यदि हां, तो अब पुनर्नवीकरण की गयी बैटरियों का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1971-72 के दौरान इंडियन एयरलाइंस ने 3,37,524·85 रुपये के मूल्य के बैटरियों तथा बैटरी ब्लाकों का आयात किया।

(ख) जी, नहीं। तथापि, बैटरियों को सर्विस की जाती है, और यदि आवश्यक होता है, तो अलग अलग सेलों को बदल दिया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में विदेशी विमान सेवाओं के कार्यकरण की जांच करने का प्रस्ताव

2759. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी विमान सेवाओं के कार्यकरण की जांच करने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित जांच समिति के निदेश पद क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र और निर्बल वर्ग को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण

2760. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों की राज्यवार शाखाओं के विस्तार और उनके द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र और निर्बल वर्ग को दिए गए ऋण का प्रतिशत क्या रहा ; और

(ख) ईस सम्बन्ध में असंतुलन रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वांछित सूचना अनुबन्ध एक और दो में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०–3431/72.]**

(ख) कम बैंकों वाले और बैंक रहित इलाकों में शाखाओं का विस्तार करने के सबल कार्यक्रम की नीति के विचारपूर्वक पालन के द्वारा अन्तर्राज्यीय विषमताओं को कम किया जा रहा है। इसके अलावा, समुचित संगठनात्मक तन्त्र की सुनिश्चित व्यवस्था करने, ऋण देने की नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विभिन्न समन्वय समितियों के साथ बैंकों के सक्रिय सहयोजन द्वारा राज्य सरकारों के साथ पहले से अधिक घनिष्ठता स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरूपति नामक स्थान पर एक पर्यटक होटल के निर्माण के लिए स्वीकृत ऋण

2761. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरूपति नामक स्थान पर एक पर्यटक होटल के निर्माण के लिए किसी ऋण की स्वीकृति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ऋण की और किसको स्वीकृति दी गई है ; और

(ग) क्या वहां ऐसा एक और होटल बनाने के लिए ऋण देने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Utilisation of Defence Buildings at Naugaon, Bundelkhand (M.P.)

2762. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Naugaon in Bundelkhand, Madhya Pradesh was a Cantonment where large number of buildings were constructed before Independence for the army and whether the buildings are in good condition today ; and

(b) if so, whether Government propose to utilise these buildings for army and if so, how?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राष्ट्रीयकृत बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर

2763. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार के कितने अतिरिक्त पद बनाये गये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Evasion of Income-Tax by Individuals in Madhya Pradesh

2764. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the District-wise number of persons in Madhya Pradesh against whom action is being taken for Income-tax evasion and the approximate amount of tax evaded by them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Arrears of Income-Tax against top Individuals and Firms in Madhya Pradesh

2765. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the first 25 persons or firms in Madhya Pradesh against whom highest amount of Income-tax arrears are outstanding at present ;

(b) the amount of Income-tax arrears outstanding against each of them ; and

(c) the action taken by Government to realise the said arrears and the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c). The requisite information as on 31st March, 1972 is being collected and will be laid on the Table of House as early as possible.

Amount Spent on the Development of Aerodromes in Madhya Pradesh

2767. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount spent on the development of aerodromes in Madhya Pradesh during 1971-72 and the nature of works undertaken and completed ; and

(b) the nature of development works which are proposed to be undertaken in regard to the said aerodromes during 1972-73 and the estimated expenditure likely to be incurred thereon ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Estimates for development works amounting to Rs. 3.29 lacs have so far been sanctioned during the current financial year. Of these, construction of control tower at Khajuraho accounts for over Rs. 3 lacs.

डमडम हवाई अड्डे से आरम्भ होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की वार्षिक संख्या

2769. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डमडम हवाई अड्डे से प्रारम्भ होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की वार्षिक औसतन संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार यह निर्णय करने का है कि सुदूर पूर्व देशों के लिए सभी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें डमडम हवाई अड्डे से आरम्भ हों ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस समय विदेशी कम्पनियों द्वारा कलकत्ता विमान क्षेत्र के लिए/से होकर प्रति सप्ताह 63 उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन द्वारा इस विमान क्षेत्र से प्रति सप्ताह 43 अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया जाता है।

(ख) विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत के लिए अथवा भारत से होकर गुजरने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन, एवं हमारी राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विदेशों को अथवा विदेशों से होकर जाने वाली उड़ानों का परिचालन द्विपक्षीय करारों/समझौतों के अन्तर्गत शासित होता है जो वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रख कर किए जाते हैं। अतः यह निर्धारित कर देना सम्भव नहीं है कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें किसी एक स्थान से ही प्रारम्भ हों।

आसाम में काजीरंगा संरक्षित वन के ढंग पर पश्चिम बंगाल में जलदापाड़ा संरक्षित वन का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

2770. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के जलदापाड़ा संरक्षित वन में एक सींग वाले गेंडे की नस्ल को समाप्त होने से बचाने के लिए कुछ सक्रिय कदम उठाने का है जिससे इस स्थान

को आसाम के काजीरंगा संरक्षित वन के ढंग पर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । जल्दापाड़ा शरण स्थान में गेंडों के संरक्षण के लिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) वन्य विभाग संरक्षण कर्मचारी वर्ग की संख्या वृद्धि ।

(2) सशस्त्र गृह रक्षी तैनात करना ।

(3) जन सहयोग की प्राप्ति ।

(4) वन निदेशालय में एक सशस्त्र दल के सृजन के लिए प्रस्ताव ।

(5) राज्य विधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत एक संकल्प का पारित किया जाना जिसमें संसद् को पश्चिमी बंगाल की ओर से गेंडों व अन्य वन्यजीवों के वध से सम्बन्धित अपराधों, तथा ट्राफियों व जानवरों की खाल इत्यादि से बने सामान के अवैध संग्रहण को रोकने के लिए प्रतिनिवारक दण्ड की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया ।

(6) पर्यटन विभाग की जल्दापाड़ा वन्य जीव शरणस्थान में 3.27 लाख रुपये की अनुमानित लागत से दो शय्याओं वाले दस कमरों का एक विश्रामगृह बनाने की योजना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) के कर्मचारियों द्वारा आधुनिक विमान बनाने की फैक्टरी लगाने की मांग

2771. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में बैरकपुर स्थित हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की शाखा फैक्टरी के कर्मचारी लम्बे समय से आधुनिक विमान बनाने की नई परियोजना और फैक्टरी को डिवीजनल फैक्टरी बनाने की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो उनकी मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाही की है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : कार्य में कमी के कारण सम्भव छंटनी से बचने के लिए बैरकपुर में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कर्मचारी संघ, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के प्रबन्धकों से अतिरिक्त कार्य/और फैक्टरी की नई परियोजनाओं के नियतन की व्यवस्था करने के लिए मांग कर रहा है । मांग पर हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, के प्रबन्धकों द्वारा विचार किया गया है । बैरकपुर फैक्टरी, वायुयान का निर्माण करने के लिए नहीं बल्कि केवल, डेकोटा वायुयान की पूरी तरह से मरम्मत करने के लिए स्थापित की गई थी । तथापि, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स के प्रबन्धक फैक्टरी के लिए और अधिक कार्य प्राप्त करने की सम्भावना और जो कर्मचारी बैरकपुर फैक्टरी की जरूरत से फालतू समझे जा सकते हैं, उनके लिए कम्पनी के अन्य प्रभागों में वैकल्पिक कार्य ढूंढने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ।

मैसूर के उत्तरी कनतारा जिले में कास्टिक सोडा फैक्टरी की स्थापना में प्रगति

2772. **श्री बालकृष्ण बेंकन्ना नायक :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर के उत्तरी किनारा जिले में कास्टिक सोडा फैक्टरी की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस पर अब तक मैसूर सरकार, फैक्टरी के लिए जल सप्लाई की योजना पर अलग से किया गया व्यय, मैसूर औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम और मैसर्स बेल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा-बोर्ड लिमिटेड द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ग) क्या मैसर्स बेल्लारपुर पेपर एंड स्ट्रा-बोर्ड लिमिटेड ने परियोजना प्रतिवेदन में दिए गए समय चार्ट के अनुसार धन लगाया है ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) फैक्टरी कब तक चालू हो जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पेट्रोलियम उत्पादों और रसायन का निर्माण करने वाले उद्योगों पर प्रतिबन्धों को ढीला करना तथा हटाना

2773. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोलियम उत्पादों और रसायनों का निर्माण करने वाले उद्योगों पर के प्रतिबन्धों को ढीला करने और इन उद्योगों के विकास में बाधक प्रतिबन्धों को हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : पेट्रोलियम के शोधन के बारे में, सरकार की यह नीति है कि आगामी परियोजनाएं केवल सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित की जायें, जब तक जनहित को ध्यान में रखते हुए गैर सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाना जरूरी न हो जाये ।

रसायन उद्योगों के बारे में, सामान्य नीति के रूप में विशिष्ट क्षेत्रों में क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए मामलों पर विचार करने का निर्णय किया गया है । सामान्य रूप से, नई क्षमता की स्थापना पर विचार करते समय उत्पाद की आवश्यकताओं का दीर्घकालीन दृष्टिकोण लिया जाता है और कुछ मामलों में क्षमता के लिए लाइसेंसों का दिया जाना मांग नियंत्रणों द्वारा सीमित नहीं किया जाता ।

निकट भविष्य में पूरी होने वाली पेट्रो-रसायन परियोजनाएं

2774. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में पूरी होने वाली पेट्रो-रसायन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सरकारी क्षेत्र में, गुजरात

एरोमैटिक्स परियोजना, जिसमें डी० एम० टी०, आर्थो-जाइलीन तथा सम्मिश्र जाइलीनज का उत्पादन होगा, के आगामी कुछ महीनों के दौरान चालू हो जाने की आशा है। चालू वर्ष में गैर-सरकारी क्षेत्र में तीन सिन्थेटिक फाइबर संयंत्रों की मुख्य परियोजनाओं के मुकम्मल हो जाने की आशा है। 1973 में, अन्य दो सिन्थैटिक फाइबर परियोजनाओं तथा एक कैप्रोलैक्टम परियोजना के चालू हो जाने की आशा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में चैक भुनाने में होने वाली देरी को दूर करने के लिए "टेलर व्यवस्था" आरम्भ किया जाना

2775. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में चैक भुनवाने में अकारण काफी समय लग जाता है ;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में चैक भुनवाने में औसतन कितना समय लगता है ; और

(ग) क्या सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में "टेलर व्यवस्था" आरम्भ करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). राष्ट्रीयकृत या अन्य बैंकों में चैकों को भुनवाने में औसतन कितना समय लगता है, इसका पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। बैंकों का यह लगातार प्रयत्न रहा है कि काउंटर पर ग्राहकों को कम से कम प्रतीक्षा करनी पड़े और इस दिशा में उठाए गए एक कदम के तौर पर, कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कतिपय महत्वपूर्ण शाखाओं में "टेलर व्यवस्था" को आरम्भ कर दिया है। सभी बैंकों की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं ने "टेलर व्यवस्था" आरम्भ करने के संबंध में बैंकिंग आयोग द्वारा की गयी सिफारिश पर सरकार सक्रियता के साथ विचार कर रही है।

गोहाटी में पूर्वांचल बैंक की स्थापना

2776. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं को प्रभावोत्पादक ढंग से पूरा करने के लिये गोहाटी में पूर्वांचल बैंक नामक एक नया संस्थान स्थापित किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो वह कुल कितनी जनसंख्या की सेवा करेगा ; और

(ग) पूर्वांचल क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). पूर्वांचल बैंक लिमिटेड ने 3 जुलाई, 1972 से काम करना शुरू कर दिया है। यह बैंक पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोराम और अरूणाचल प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं, की बैंक सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। 1971 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 195.82 लाख थी।

मद्रास स्थित अबाडी कारखाने के विवाद का निपटारा

2777. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने, अवाडी कारखाने के विवाद का निपटारा करवाने के लिए, रक्षा उत्पादन मंत्री को अपनी सेवाओं की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). हैवी वैहिकिल फैक्टरी, आवडी में औद्योगिक अशान्ति के दौरान तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा रक्षा उत्पादन मंत्री को सहायता की पेशकश का सरकार स्वागत करती है।

वारामुरा (त्रिपुरा) में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खुदाई

2778. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुदाई कार्य शुरू करने के लिए वारामुरा (त्रिपुरा) में कोई नया रिग लगाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और कब ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, त्रिपुरा में एक और रिग को लगाने का आयोजन कर रहा है।

(ख) दूसरा रिग गोजलिया अथवा वारामूरा, जहां पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने व्यधन-स्थलों को चुना है, के निकट किसी अन्य संरचना में व्यधन के लिए प्रयोग किया जायेगा। व्यधन के लिए अपेक्षित कई उपकरणों के आयात सहित विभिन्न प्रारंभिक कार्यों पर लगने वाले सम्भावित समय पर विचार करते हुए यह आशा की जाती जा सकती है कि यह दूसरा रिग लगभग $1\frac{1}{2}$ वर्ष में कार्य करना आरम्भ कर देगा।

Air Service from Muzaffarpur to Delhi and back

2779. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is a bi-weekly Fokker Friendship air service from Muzaffarpur to Delhi and back and from Muzaffarpur to Calcutta and back ;

(b) if so, whether only two seats are reserved for air journey from Muzaffarpur to Delhi and other intermittent places and the same is the position in respect of air journey to Calcutta ;

(c) whether all the passengers intending to fly from Muzaffarpur to Delhi and Calcutta are unable to avail of the service in the absence of seats in the planes ; and

(d) the facilities proposed to be provided by Government to air passengers from Muzaffarpur ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The Delhi-

Kanpur-Muzaffarpur-Patna-Ranchi-Calcutta service (IC—411) operates on Mondays, Wednesdays and Fridays and IC—412 in the opposite direction on Tuesdays, Thursdays and Saturdays.

(b) Three seats are allotted on IC—412 from Muzaffarpur to Delhi. On IC—411 seven seats as detailed below are allotted :

Muzaffarpur-Patna	2
Muzaffarpur-Ranchi	2
Muzaffarpur-Calcutta ..	3
	7

(c) No, Sir. The average utilisation of the allocated seats during May and June 1972 had been 69% and 77% respectively from Delhi to Muzaffarpur and 71% and 67% from Muzaffarpur to Calcutta.

(d) Due to the non-availability of refuelling facilities at Kanpur the aircraft has to uplift extra fuel resulting in reduction in payload. Indian Airlines have taken up with the Indian Oil Corporation, the question of providing refuelling facilities. When these facilities are provided Indian Airlines will consider increasing the allocation given to Muzaffarpur.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

महाराष्ट्र के विद्युत करघा उद्योग में कथित संकट

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं विदेश व्यापार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"सूत, नायलोन रेयन तथा स्टेपल रेशे के धागे की कमी तथा इनके लगातार बढ़ते जा रहे मूल्यों के कारण महाराष्ट्र के विद्युत् करघा उद्योग में उत्पन्न हुए कथित संकट तथा इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही"।

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : वक्तव्य बहुत लम्बा है, क्या मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसे सभा पटल पर रख सकते हैं और माननीय सदस्य इसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

चतुर्थ योजनावधि के दौरान, शक्ति-चालित करघा उद्योग के विकास का दायित्व केवल संबंधित राज्य सरकारों पर हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहले ही शक्ति-चालित करघों हेतु एक निगम की स्थापना की जा चुकी है। इस निगम से अपेक्षा की जाती है कि वह महाराष्ट्र के शक्ति-चालित करघा उद्योग के कार्यकरण के सभी पहलुओं की देखभाल करे और जिन समस्याओं के समाधान

के लिए केन्द्रीय सरकार की मदद की आवश्यकता हो, उनके संबंध में बम्बई स्थित वस्त्र आयुक्त के साथ विचार-विमर्श करे। यह पता लगा है कि विभिन्न किस्मों के धागे की कमी अथवा बढ़ती हुई कीमतों की शिकायतों के संबंध में निगम अथवा महाराष्ट्र सरकार द्वारा वस्त्र आयुक्त से सम्पर्क नहीं किया गया है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे, अथवा मैं भी शक्ति-चालित करघा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कह सकता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हाल ही में मेरे मंत्रालय द्वारा हथकरघों तथा शक्ति-चालित करघों के सम्बन्ध में एक कार्यकारी दल की स्थापना की गयी है जिसके अध्यक्ष वस्त्र आयुक्त हैं। यह विभिन्न राज्यों में इन क्षेत्रों की समस्याओं और कठिनाइयों का अध्ययन करेगा।

अन्य राज्यों की भांति महाराष्ट्र में भी शक्ति-चालित करघा उद्योग एक कठिन समय में से होकर गुजर रहा है।

सूत—जहां तक सूत का सम्बन्ध है, इसकी उपलब्धि में तो कोई कठिनाई नहीं आई है और 40 काउंटों तक के सूत की कीमतें नहीं बढ़ी हैं किन्तु 60 काउंटों से अधिक के सूत की कीमतों में वृद्धि हुई है। इस स्थिति के लिये यह बातें जिम्मेदार हैं: कोयम्बतूरमिल समूह में 45 दिन की हड़ताल, तामिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों में बिजली में कटौती तथा बंगला देश को विनियमित व गैर-विनियमित, रूप से किये नये निर्यात। इस स्थिति को सुधारने के लिये वस्त्र आयुक्त ने इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन और साउथ इंडिया मिल्स एसोसियेशन के साथ अनेक बैठकें कीं। अन्त में उद्योग इस बात के लिये सहमत हो गया कि वह प्रत्येक मिल द्वारा पैक की जाने वाली मात्रा का 50 प्रतिशत भाग सिविल सुपुर्दगी के लिये घटाई हुई कीमतों पर राज्य सरकारों को उपलब्ध करेगा। यह योजना 1 अगस्त, 1972 को लागू हुई। सर्वप्रथम राज्य सरकारें वस्त्र आयुक्त को अपने मांग-पत्र प्रस्तुत करेंगी और इसके बाद वस्त्र आयुक्त उन मांगों को पूरा करेगा। यह योजना अभी हाल ही में बनाई गई है। हां, मैं यह बता देना चाहता हूं कि अपेक्षाकृत उंचे काउंटों वाले सूत के सम्बन्ध में महाराष्ट्र शक्ति-चालित करघा उद्योग को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनकी ओर समुचित रूप से ध्यान दिया गया है और महाराष्ट्र सरकार को (सौ सौ किलोग्राम वाले) 1684 केस का तदर्थ आवंटन किया जा चुका है। पता चला है कि इस आवंटन से कुछ हद तक कीमतों की बढ़ती हुई गति रुकी है।

नायलन धागा

विभिन्न डैनियर्स के नायलन की कीमतों को विनियंत्रित करने के लिये नायलन धागे के कत्तिनों और बुनकरों के बीच 1-3-72 से लागू एक स्वैच्छिक करार है। स्वीकृत कीमतें नीचे दी जाती हैं:—

डैनियर	कारखाने से निकलते समय की बिक्री कीमत (प्रति किग्रा०)
12	82.00
15	74.00
20	70.00
30	68.00
40	62.00
76	60.00

डैनियर	कारखाने से निकलते समय की बिक्री कीमत (प्रति किग्रा०)
90	53.00
105	51.00

कत्तिन स्वीकृति कीमतों को ही बनाये रख रहे हैं।

जनवरी से जून, 1972 के 6 महीनों के दौरान देश में नायलन फिलामेंट धागे का उत्पादन 5,520 मे० टन था जबकि 1972 के वर्ष में उत्पादन 9,800 मे० टन था। राज्य व्यापार निगम के पास आयातित नायलन धागे का 1100 मे० टन का स्टाक है। राज्य व्यापार निगम से कहा गया था कि वह अपनी बिक्री कीमतें कम करके, 19-6-72 को स्वेच्छा से स्वीकृत कीमतों के स्तर पर लाए। उन्होंने 1 मार्च, 1972 (जिस दिन कि स्वैच्छिक करार कीमतें लागू हुईं) से आयातित नायलन धागे की कीमतों में कमी कर दी है।

नायलन धागे की प्राप्यता के संबंध में कोई समस्या नहीं है और न नायलन धागे की कीमतों में किसी वृद्धि की सरकार को जानकारी ही है। सरकार को इस विषय पर व्यापार से अथवा सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स एसोसियेशन से कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त नहीं हुआ है। यदि स्वीकृत कीमतों पर स्वदेशी नायलन धागा प्राप्त करने में कोई कठिनाई है तो राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध आयातित नायलन धागा नकद भुगतान करके माल उठाने के आधार पर रिलीज किया जा सकता है।

राज्य व्यापार निगम ने सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स एसोसियेशन को 750 मे० टन आयातित नायलन धागे के रिलीज आदेश जारी कर दिये हैं। यह एसोसियेशन महाराष्ट्र के बुनकरों को भी धागे की पूर्ति करती है। यह बात महत्वपूर्ण है कि यह धागा अभी तक नहीं उठाया गया है। यदि कमी होती, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, तो न केवल इस मात्रा को ही उठाया जाता बल्कि और अधिक मात्रा के लिए भी तीव्र मांग रहती।

मैं और आगे यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्य व्यापार निगम, नायलन धागे की कमी होने पर उसकी अपेक्षित मात्रा के आयात करने की स्थिति में है। इस सम्बन्ध में जो प्रक्रिया तैयार की गई है, वह यह है कि सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स एसोसियेशन और अन्य संगमों द्वारा अपने डैनियर वार मांग पत्र, बैंक गारंटियों सहित, राज्य व्यापार निगम को प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद राज्य व्यापार निगम नायलन धागे का आयात करने के लिए तत्काल कार्यवाही करेगा। चालू वर्ष के दौरान अभी तक यह अवस्था नहीं आई है।

विस्कोस रेयन फिलामेंट धागा

रेयन फिलामेंट धागे के कत्तियों और बुनकरों के बीच 1-1-72 से प्रभावी एक स्वैच्छिक करार है जिसमें निम्नोक्त व्यवस्था है :–

(क) उत्पादन का 10 प्रतिशत, कत्तियों द्वारा, रेयन फिलामेंट वस्त्रों के निर्यात के बदले 7 रुपये प्रति किग्रा० की दर पर प्रतिपूर्ति के रूप में देने के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

(ख) उत्पादन का 60.5 प्रतिशत निम्नोक्त निर्धारित कीमतों पर वास्तविक प्रयोक्ताओं को वितरित किया जाएगा।

डैनियर	कीमतें (रुपये प्रति किग्रा०) (उत्पादन शुल्क सहित)
300	12.69
180	12.77

डैनियर	कीमतें (रुपये प्रति किग्रा०) (उत्पादन शुल्क सहित)
150	12.90
120	14.35
100	16.85
75	21.50
60	28.50
55	33.40
40	36.90
30	45.90

(ग)उत्पादन का शेष माल कत्तिनों द्वारा खुले बाजारों में बेचा जाएगा।

विस्कोस फिलामेंट धागे का वितरण कत्तिनों तथा बुनकरों की एक केन्द्रीय समिति की मार्फत किया जाता है जो बम्बई में है। यह समिति, विभिन्न राज्यों में बनाई गई क्षेत्रीय समितियों की मार्फत विस्कोस फिलामेंट धागा वितरित करती है। इन क्षेत्रीय समितियों में, सदस्यों के रूप में कत्तिनों तथा बुनकरों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

विस्कोस फिलामेंट धागे के वितरण पर राज्यवार कोई नियन्त्रण नहीं है। जनवरी से जून, 1972 के छः महीनों के दौरान कुल उत्पादन 19,896 मे० टन रहा जबकि 1971 के दौरान कुल उत्पादन 37,034 मे० टन था। सरकार को, रेयन फिलामेंट धागा उद्योग में कीमतों में वृद्धि की कोई जानकारी नहीं है। कत्तिनों ने स्वैच्छिक करार कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। सरकार को न तो विस्कोस फिलामेंट धागे की कमी अथवा न ही उसकी बाजार कीमतों के करार कीमतों से बढ़ जाने के बारे में कोई शिकायत मिली है। अगर कदाचार के कोई विशिष्ट उदाहरण मेरी सूचना में लाए जायेंगे, तो उसकी शीघ्र जांच की जाएगी।

स्टैपल रेशे का धागा

देश में स्टैपल रेशे के धागे का कुल उत्पादन 50,000 गांठें प्रतिमास हैं। इसमें से 20,000 गाठों का उत्पादन कताई मिलों द्वारा किया जाता है जो साउथ इण्डिया मिल्ज एसोसियेशन के सदस्य हैं। 27,000 गाठों का उत्पादन मैन मेड फाइबर स्पिनर्स एसोसियेशन की सदस्य मिलों द्वारा किया जाता है। स्टैपल रेशे के धागे की 3,000 गाठों के निर्माता किसी भी एसोसियेशन के सदस्य नहीं हैं।

फरवरी 1972 में मैन-मेड फाइबर स्पिनर्स एसोसियेशन तथा बुनकरों के बीच स्वैच्छिक करार हुआ। इस करार के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और केरल को छोड़कर दी जाने वाली मात्रा एसोसियेशन के नियन्त्रण में मात्रा के अनुपात में गतवर्ष की खपत तक सीमित कर दी गई। पारस्परिक रूप से स्वीकृत कीमत ढांचा भी तैयार किया गया प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली मात्रा का 50 प्रतिशत भाग स्वीकृत कीमत पर देने की बात तय हुई और शेष मात्रा के बारे में उसे खुले तौर से बेचने की अनुमति दी गई।

अप्रैल,1972 में उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों तथा बुनकरों ने इस कीमत ढांचे की आलोचना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संपूर्ण मात्रा निश्चित कीमत पर दी जाए। उनकी शिकायत थी कि 50 प्रतिशत मात्रा तो अपेक्षाकृत कम कीमत पर बेची जा रही है किन्तु शेष मात्रा

कहीं अधिक कीमत पर बेची जा रही है। सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि मैन-मेड फाइबर स्पिनर्स एसोसियेशन द्वारा प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली सम्पूर्ण मात्रा उस समान कीमत पर दी जानी चाहिए जो करार के अन्तर्गत से स्वीकृत कीमत से कुछ अधिक है।

चूंकि सम्पूर्ण मात्रा का वितरण एक समान दर पर होना था जो एस० आई० एम० की दर के ही बराबर थी, अतः वितरण का एक नया ढंग निकाला गया और 1 मई, 1972 से लागू किया गया। हां, इससे वितरण में असंतुलन पैदा हो गया। चूंकि संपूर्ण उत्पादन की बिक्री विभिन्न राज्यों में एक समान दर पर की जानी थी, अतः 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत आने वाली मात्रा, भी मुक्त बिक्री कोटे में मिल गई। ऐसी शिकायतें आईं कि कुछ राज्यों में अपेक्षित मात्रा में सूत उपलब्ध नहीं हो रहा है। 3 जून, 1972 को वस्त्र आयुक्त ने राज्य सरकारों (महाराष्ट्र सहित), बुनकरों और कत्तिनों की एक बैठक की। इस बैठक में मुख्य विनिश्चय ये किये गये कि पूर्तियां संबंधित उद्योग निदेशकों की मार्फत की जाएंगी, 30 अप्रैल, 1972 तक के आवंटन हद से हद 30 जून, 1972 तक पूरे कर दिये जाने चाहिए, स्थानीय समस्याओं का पता लगाने के लिए उद्योग निदेशकों और कत्तिनों की बार-बार बैठक होनी चाहिए और उद्योग निदेशकों के द्वारा डेनियर-वार तिमाही आवश्यकताओं की सूचना कत्तिनों को भेजी जानी चाहिए।

इन विनिश्चयों को क्रियान्वित करने में कुछ बिलम्ब हुआ। पर चालू महीनें में इस योजना पर पूरी तरह से कार्य शुरू हो गया है। मैन-मैंड फाइबर स्पिनर्स एसोसियेशन ने 8 अगस्त, 1972 को महाराष्ट्र को 2,300 गांठों का आवंटन किया। यह मात्रा पिछली खपत के आधार पर राज्य की आवश्यकताओं का 60 प्रतिशत भाग है। शेष मात्रा एस० आई० एम० ए० या अन्य उत्पादकों से प्राप्त करनी होगी जो किसी एसोसियेशन के सदस्य नहीं हैं।

इस समय स्टैपल रेशे के धागे की कमी है। इसका संपूर्ण उत्पादन ग्वालियर रेयन्स के नागदा और मैबूर संयंत्रों के स्टैपल रेशे के उत्पादन पर और बहुत सीमित मात्रा तक साउथ इंडियन विसकोस के उत्पादन पर निर्भर करता है।

श्री धमनकर : कुल 2 लाख विद्युत करघों में से एक लाख दस हजार केवल महाराष्ट्र में ही हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी, मालेगांव, इचलकरन्जी, छलिया, नागपुर आदि आदि नगर इनके मुख्य केन्द्र हैं। इनके अतिरिक्त ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में हैं।

पिछले छः महीनों के दौरान सूत के मूल्य 50 से 75 अथवा 80 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं। सरकार इस स्थिति का सामना करने का प्रयत्न करती आ रही है। हाल ही में की गयी व्यवस्था के अनुसार कारखाने के मालिक विद्युत करघा उद्योग को सूत सप्लाई करने के लिये सहमत हुए थे लेकिन वास्तव में वे उन्हें सूत नहीं दे रहे हैं। इसके फलस्वरूप सूत के भाव बढ़ गये हैं और लगभग 50 प्रतिशत करघे सूत न मिलने के कारण महाराष्ट्र में बन्द पड़े हैं। कारखाने के मालिकों ने जमाखोरी करके सूत की कृत्रिम कमी पैदा कर दी है।

केवल भिवंडी में ही नायलन और स्टेपल और रेयन धागों के 10,000 से 15,000 करघे चल रहे हैं। धागे की कमी के कारण इनकी कीमतें निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं और जब इस उद्योग के मालिक संश्लिष्ट धागे के कातने वालों से बात करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि उन्हें सरकार ने आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल सप्लाई नहीं किया। इसके फलस्वरूप धागा मार्केट में समय पर नहीं पहुंचता और कीमतें बढ़ जाती हैं। बुनकरों को बहुत ऊंचे भाव पर धागा मार्केट से खरीदना पड़ता है। अतः यह योजना उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं हो रही है।

क्या सरकार ऐसी नीति बनायेगी जिसके द्वारा व्यापारियों और दलालों के स्थान पर सूत सीधे ही विद्युत करघा उद्योग को उपलब्ध किया जा सके ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आश्वासन देगी कि नायलन, स्टेपल और रेयन धागे ऐसोसिएशन को समय पर दिये जायेंगे ताकि कृत्रिम कमी पैदा न हो और कीमतें न बढ़ें ।

श्री एल० एन० मिश्र : यह बात सच है कि सूत की कमी 60 काउंट तक है जिसका कारण यह है कि हमें मिस्र और सूडान से आयात करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

बुनकरों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये हमने जुलाई में परस्पर समझौता किया, जो प्रथम अगस्त से लागू हो गया है । इसके अतिरिक्त इस हेतु कपड़ा आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है । पहली अगस्त से अब तक 18 दिनों में इस सम्बन्ध में मुझे अभी कोई भी शिकायत नहीं मिली ।

नाइलोन के बारे में भी मार्च में करार हुआ था । औसतन, धागे के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है । इस प्रश्न पर हमें व्यापारियों से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि धागे के मूल्य असामान्य रूप से न बढ़ें, राज्य व्यापार निगम आयातित नाइलोन धागे का समीकरण भण्डार रखता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करा सके ।

Shri Jagdish Chandra Dixit (Sitapur) : May I know from the hon. Minister whether there has been any fluctuation in the price of 34 count yarn this year ?

Shri L. N. Mishra : I have already stated that prices increased before July. I again read it out :

"जनवरी में 20 काउंट के 10 पौण्ड वाले सूत की कीमत 51 रुपये थी और इस समय 47 रुपये है, 30 काउन्ट के सूत की कीमत 59 रुपये थी और इस समय 53 रुपये है, 40 काउन्ट के सूत की कीमत 70 रुपये थी और इस समय 68 रुपये है ।"

अत: मूल्यों में गिरावट हो रही है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि हमें वक्तव्य पहले ही दे दिया जाता, तो उससे प्रश्न करने में काफी सहायता मिलती ।

जहां तक इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यद्यपि हमने महाराष्ट्र में विद्युतचालित करघा उद्योग में संकट के प्रश्न को उठाया है, तथापि यह संकट समूचे राष्ट्र का संकट बन गया है ।

क्या यह सच नहीं है कि छोटे करघों के उद्यमियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है । जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो इस बात पर विचार किया गया था कि छोटे उद्यमियों तथा पिछड़े वर्गों द्वारा ऋण लेने में सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया जायेगा ।

जहां तक सूत के मूल्य निर्धारण, वितरण और उपलब्धता की समस्या का सम्बन्ध है, क्या यह सच नहीं है कि बहुत सी ऐसी कठिनाइयां हैं जिनके कारण विद्युतचालित करघा उद्योग में संकट उत्पन्न हो गया है । इसको देखते हुए कि भिवंडी तथा मालेगांव के केन्द्र जो कि सूत का सबसे अधिक

उपभोग करते हैं, क्या यह सच नहीं है कि 'सुपरफाइन' सूत की दरों में 20 प्रतिशत से 44 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। यदि दरों में यह उत्तरोत्तर वृद्धि जारी रही तो विद्युतचालित करघा उद्योग में संकट अवश्यम्भावी है। इसके परिणामस्वरूप 1 जुलाई, 1972 से काम के वास्तविक घण्टों में भी कमी कर दी गई है, और यह एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है।

केन्द्रीय सरकार ने 1971 से 'यार्न-पूल' योजना क्रियान्वित की है परन्तु यार्न की सप्लाई 40 काउन्ट तक प्रतिबन्धित है। इस योजना के अन्तर्गत बहुत ही घटिया किस्म का यार्न मिलता है। अतः इस यार्न पूल योजना की जांच करना तथा इसका पूर्णतया संशोधन करना आवश्यक है। इस संकट को रोकने के लिये संशोधित योजना की क्रियान्विति की जानी चाहिये।

सूती विद्युतचालित करघों के अतिरिक्त भिवंडी तथा मालेगांव में कई केन्द्र साड़ियां बनाने के लिये रेयन यार्न के करघे भी चलाते हैं। साधारणतया, साड़ियां बनाने के लिये सुपरफाईन काटन के साथ रेयन यार्न मिलाया जाता है अतः इस क्षेत्र में भी संकट उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विशेष मद को उत्पादन-शुल्क अनुसूची की यथा मूल्य सूची में सम्मिलित किया गया है तथा टैरिफ अनुसूची में इसे वर्गीकृत करने सम्बन्धी प्रयास असफल हो गए हैं। तीन वर्षों से एक स्वेच्छा से मूल्य-निर्धारण तथा वितरण की योजना चल रही है परन्तु खुले बाजार कोटेशन और नियंत्रित दरों में भारी विषमता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

समूचे देश में एसीटेट यार्न का एक ही निर्माता है तथा इस संस्थान को एसीटोन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और कम्पनी के उत्पादन में भारी कमी हो गई है। 120 ब्राइट एसीटेट यार्न का मूल्य 10.50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ कर 13.25 रुपये प्रति पौंड हो गया है। इस वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्टेपल यार्न के सम्बन्ध में भी मूल्य वृद्धि से बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है।

मार्च में कताई करने वालों (स्पिनर्स) तथा बुनकरों (वीवर्स) के बीच एक स्वैच्छिक वितरण तथा मूल्य-निर्धारण करार हुआ था, परन्तु नियंत्रित मूल्य में यार्न कहीं भी नहीं मिलता है। कताई करने वाले यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें कच्चा माल अर्थात् कैरोलैक्टम नहीं मिलता है। जब से कैरोलैक्टम के आयात का राष्ट्रीयकरण किया गया है, उत्पादन में कमी का पूरा आरोप राज्य व्यापार निगम पर है।

सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में कार्य-क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। मेरे प्रश्नों का मन्त्री महोदय स्पष्ट उत्तर दें।

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक ऋण देने का सम्बन्ध है, हथकरघा उद्योग का उत्तरदायित्व राज्य सरकार तथा सहकारिताओं का है ; वे उधार देने सम्बन्धी सुविधाएं देते हैं। मैं इस प्रश्न पर राज्य सरकार तथा वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत करने का प्रयास करूंगा। यह सच है कि ऋण लेने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे भण्डार रोक नहीं सके इसलिये कई मामलों में उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में उन्हें अपने भण्डार को विपत्ति मूल्य पर बेचना पड़ा।

नाइलोन यार्न के बारे में मैं कह चुका हूं कि इसकी कमी नहीं है। काटन यार्न के बारे में मैं बता चुका हूं कि 40 काउन्ट तक के यार्न के मूल्यों में गिरावट आई है परन्तु 60 काउन्ट से अधिक के यार्न के मूल्य बढ़े हैं। इसीलिये एक नई योजना बनाई गई है। स्वेच्छिक आधार पर निर्धारित

मूल्य पर प्रत्येक मिल को यार्न की सप्लाई करनी होगी और इसकी जांच सूती-कपड़ा आयुक्त करेगा। यदि इसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया तो हमें यार्न के कानूनी मूल्य के बारे में सोचना पड़ेगा। विद्युतचालित करघा तथा हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा की जायेगी।

'स्टेपल फाइबर' के बारे में माननीय सदस्य वक्तव्य पढ़ें। इसका एकमात्र स्रोत ग्वालियर फर्म है जिसकी क्षमता प्रतिवर्ष 50,000 मीट्रिक टन है। उसमें से 27,000 मीट्रिक टन दक्षिण भारत में आवंटित किया जाता है, शेष अन्य भागों में। 'स्टेपल यार्न' के बारे में कठिनाई यह है कि कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। हमारा प्रयास होगा कि कच्चे माल का उत्पादन बढ़े।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने प्रधान मंत्री के विरुद्ध नियम 222 के अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रश्न रखने के लिये आपकी अनुमति के लिये पत्र लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप मुझे बतायेंगे कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे नहीं है। प्रधान मंत्री अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकती हैं, चाहे वह सभा की नेता क्यों न हों।

अध्यक्ष महोदय : सभा की नेता होने के नाते वह आपसे अपने कक्ष में कई विषयों पर चर्चा कर सकती हैं। यह बड़ी अस्वस्थ परम्परा होगी कि प्रधान मंत्री को सदा यह भय बना रहे कि अपने कक्ष में उनके द्वारा कही गई बात बाद में विशेषाधिकार का अथवा अन्य प्रश्न बन सकती है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, 1944, आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1972 तथा धनकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) का० आ० 1905, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 369 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 864 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 902 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-3412/72]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक, 21 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या का० आ० 436 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3413/72**]

(3) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धन-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या का० आ० 437 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।
[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3414/72**]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० का० नि० 335 (ङ) और सा० का० नि० 335 क (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 347 (ङ) से 358 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 365 (ङ) से 367 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक, 29 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-3416/72**]

एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (दूसरा संशोधन) नियम, 1972

कम्पनी कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री वेदब्रत बरुआ) : मैं एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (दूसरा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 748 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3417/72**]

Review and Annual Reports of the Hindustan Paper Corporation Ltd.

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(1) Review by the Government on the working of the Hindustan Paper Corporation Limited, New Delhi, for the year ended the 31st March, 1971.

(2) Annual Report of the Hindustan Paper Corporation Limited, New Delhi, for the year ended 31st March, 1971 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India.

[Placed in Library. See No. L.T. 3418/72].

भारतीय पेट्रो रसायन निगम लिमिटेड तथा लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय पैट्रोरसायन निगम लिमिटेड के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ;

(दो) भारतीय पैट्रोरसायन निगम लिमिटेड का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3419/72]

(2) (एक) लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3420/72]

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है परन्तु मुझे उसका अभी तक उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : मुरारका समूह के बारे में आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था ।

श्री पीलू मोदी : मैं भारतीय खाद्य निगम के बारे में दी गई सूचना का उल्लेख कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह सूचना मुझे अभी तक नहीं मिली है । मैं उसकी जांच करूंगा ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पंद्रहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं कार्यमंत्रणा समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं सोमवार, 21 अगस्त 1972 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिये जाने की घोषणा करता हूं :

(1) वन्य प्राणी (संरक्षण) विधेयक, 1972,

(एक) विक्टोरिया स्मारक (संशोधन) विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पास किए गये रूप में ;

(2) आज की कार्यसूची से शेष किसी सरकारी मद पर विचार ।

(3) आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1972 के निरनुमोदन सम्बन्धी संकल्प ।

(एक) आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध-ग्रहण) विधेयक, 1972 ;

(4) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कला-कृति विधेयक, 1972 ;

(एक) बीज (संशोधन) विधेयक ।

(5) वर्ष 1972-73 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान ।

(6) खादी और अन्य हाथकर्घा उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) संशोधन विधेयक, 1972 ।

(एक) भारतीय रियासतों के नरेश (विशेषाधिकारों का उत्सादन) विधेयक, 1972 ।

(7) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में श्री नाथू राम अहिरवार द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर आगे चर्चा ।

(8) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1969-70 सम्बन्धी प्रतिवेदन पर चर्चा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही सुझाव दे चुका हूं कि यदि कोई सदस्य मन्त्री महोदय द्वारा अगले सप्ताह के कार्य के बारे में दिये गये विवरण पर टिप्पणियां करना चाहते हैं, तो इसके लिये उन्हें अग्रिम नोटिस देना चाहिए । लेकिन जब हम कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करते हैं तो नये सुझाव देना उचित नहीं है, क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति में सब दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है । यदि कोई सदस्य किसी विशेष विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, तो उनका भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्वागत है । इस बारे में कोई भेद-भाव से काम नहीं लिया जाता ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जून में अखिल भारतीय सूचकांक 237.08 था और मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार अब वह 238 को पार कर गया है । स्वीकृत फारमूले के अनुसार समस्त देश में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अन्तरिम राहत और वृद्धि के हकदार हैं वैसे तो सूचकांक के 235 पर ही पहुंच जाने पर वे अन्तरिम राहत के अधिकारी हैं । फिर भी मैं चाहूंगा कि इस बारे में माननीय वित्त मंत्री आगामी सप्ताह एक वक्तव्य दें । तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी सबसे अधिक दुःखी हैं । सरकार मूल्यों की वृद्धि को रोकने में बुरी तरह असफल रही है । आज भी चीनी उपलब्ध नहीं है ।

भारतीय स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती पर केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को बहाल करने के बारे में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये, जिन्होंने वर्ष 1965 की हड़ताल में भाग लिया था। मृत्यु दण्ड की सजा दिये जाने वाले कैदियों को भी रियायत दी गई है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नोटिस दिए बिना मुअत्तिल कर दिया गया है। उन्हें बहाल किया जाना चाहिये।

श्री राजबहादुर : उन्होंने ऐसे विषय उठाये हैं, जिन्हें हम आगामी सप्ताह की कार्य सूची में शामिल नहीं कर सकते। मैंने उनको ध्यान में रख लिया है।

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक—जारी

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम कराधान विधि (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : इस विधेयक का समर्थन करने के लिये मैं समस्त सदन् को धन्यवाद देता हूं।

ऐसा कहना कि अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण से भवन निर्माण को धक्का लगेगा, उचित नहीं है।

श्री शुक्ल ने उल्लेख किया है कि यदि जिन सम्पत्तियों को हस्तान्तरित करना है उन्हें प्रस्तावित उपबन्धों के अन्तर्गत किसी कारणवश प्राप्त नहीं किया गया, तो हस्तान्तरित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य और करार में दिखाये गये मूल्य का अन्तर हस्तान्तरी की अघोषित आय और सम्पत्ति होगी। मैं यह व्यथा समझ सकता हूं। लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 52 (2) में यह उपबन्ध है कि यदि एक करदाता द्वारा पूंजो परिसम्पत्ति का हस्तान्तरित उचित बाजार मूल्य उसके द्वारा करार में दिखाये गये मूल्यों से 15 प्रतिशत अधिक है, तो आयकर अधिकारी को इस पर इस आधार पर पूंजी लाभ कर लगाने का अधिकार है कि करार में दिखाये गये मूल्य उचित बाजार मूल्यों के बराबर हैं।

जहां तक हस्तान्तरी का प्रश्न है, यदि आयकर अधिकारी को यह पता लगता है कि उसके द्वारा अचल सम्पत्ति की खरीद के लिये वास्तव में किया गया पूंजी निवेश हस्तान्तरण करार में घोषित करार मूल्य से अधिक है और इस बारे में करदाता कोई स्पष्टीकरण नहीं देता या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण आयकर अधिकारी को सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता, तो अतिरिक्त धनराशि को तत्संगत वित्तीय वर्ष के लिये हस्तान्तरी की आय माना जायेगा। श्री दशरथ देव ने 'अचल सम्पत्ति' की परिभाषा को त्रुटिपूर्ण बताया है। इस विषय पर प्रवर समिति ने ध्यानपूर्वक विचार किया था और इस विषय पर प्रवर समिति ने कुछ टिप्पणियां की हैं। दुर्भाग्य से शेयरों के हस्तान्तरण को पंजीकृत नहीं किया जाता। इस प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा।

इस समय इस अधिनियम के अन्तर्गत उन्हीं सम्पत्तियों के हस्तान्तरण की ओर ध्यान दिया जाता है, जिनका मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है। 25,000 रुपये से कम कीमत की सम्पत्ति के बारे में भी ध्यान देना प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव नहीं होगा।

रजिस्टर किये गये सौदों की संख्या इतनी अधिक है कि इन सब की जांच करना सम्भव नहीं है। अतः प्रवर समिति ने यह सुझाव दिया है कि यदि हम इस अधिनियम को अधिक व्यावहारिक और

प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो 25,000 रुपये से कम कीमत की सम्पत्ति के हस्तान्तरण को इसमें शामिल नहीं करना होगा।

'मुआवजे की राशि को 15 प्रतिशत से 12 प्रतिशत घटाने' का सुझाव दिया गया है। उक्त उपबन्ध विधि मंत्रालय की सलाह को ध्यान में रख कर किया गया है। यदि ऐसा नहीं किया जायगा, तो अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है। अतः इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि विधेयक में यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि हस्तान्तरित की जाने वाली सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के बारे में खरीदार और विक्रेता को आयकर विभाग से पूर्व अनुमति लेनी चाहिये। इससे बहुत अधिक विलम्ब होगा। प्रत्येक व्यक्ति को शोधन-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो जायेगा और हस्तान्तरण से पूर्व शोधन-पत्र देने की प्रशासन की जिम्मेदारी हो जायेगी। जहां तक विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है, यह नकारात्मक पहुंच है। साधारणतया सदस्यों ने विधेयक का स्वागत किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम, 1961, धन कर अधिनियम, 1957 तथा दान-कर अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 और 3

अध्यक्ष महोदय : खंड 2 और 3 के बारे में कोई संशोधन नहीं हैं। मैं उन्हें सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है : "कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

खंड 4

अध्यक्ष महोदय : खंड 4 के बारे में कुछ संशोधन हैं लेकिन सम्बद्ध माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं। क्या श्री शुक्ल अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) मैं संशोधन संख्या 6 नया खंड 1 क के रूप में जोड़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है कि इसे आप अभी प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस समय हम खंड 4 पर चर्चा कर रहे हैं। जब हम खंड 1 पर चर्चा करें तब आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। खंड 4 से 25 तक के बारे में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। मैं अब उन सब संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है : "कि खंड 4 से 25 तक विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खंड 4 से 25 तक विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 4 to 25 were added to the Bill

खंड—1

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 1 पर चर्चा करते हैं । श्री शुक्ल आप नया खंड 1 क प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री बी० आर० शुक्ल : मैं संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं । विधेयक में कुछ संवैधानिक त्रुटियां होने के कारण मैंने उक्त संशोधन प्रस्तुत किया है। अनुच्छेद 31 में यह व्यवस्था है कि सम्पत्ति की अधिप्राप्ति मुआवजा अदा करने के बाद और कानून द्वारा केवल सार्वजनिक प्रयोजन के लिये की जा सकती है । विधेयक में 'सार्वजनिक प्रयोजन' की व्याख्या स्पष्ट नहीं की गई है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हमने इस विषय पर बड़ी सावधानी से विचार किया है । इस विधेयक में हम आयकर अधिनियम, धनकर आदि में नया अध्याय जोड़ रहे हैं । यह मूलतः कर अपवंचन और सम्पत्ति की कम कीमत लगाने से रोकने के लिये किया गया है ।

श्री बी० आर० शुक्ल : मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देता ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन सभा की अनुमति से वापिस ले सकते हैं ?

अनेक सदस्य : जी, हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया
The Amendment was, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित रूप में, पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

पंजाब नई राजधानी (परिवृत्त) नियंत्रण (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक
PUNJAB NEW CAPITAL (PERIPHERY) CONTROL (CHANDIGARH AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इस छोटे विधेयक को बिना अधिक चर्चा किये समाप्त कर सकें, तो हम इसे मध्याह्न भोजन से पूर्व पारित कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : हम इस विषय पर मध्याह्न भोजन के बाद चर्चा करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : तब माननीय सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा-प्रवृत्त पंजाब नई राजधानी (परिवृत्त) नियंत्रण अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

इस विधेयक को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि चंडीगढ़ के दस मील क्षेत्र के भीतर कोई अनधिकृत निर्माण न हो । लेकिन यह पता लगा है कि नगर में कुछ भद्दे किस्म का निर्माण कार्य, जो नगर की शोभा को बिगाड़ता है, हो रहा है ।

श्री माधुर्य हालदार (कथुरापुर) : क्या उक्त निर्माण कार्य को गिराया जायेगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी हां, लेकिन इसके लिये कानून की आवश्यकता है और यह विधेयक इसी प्रयोजन के लिये प्रस्तुत किया गया है ।

पंजाब उच्च न्यायालय ने यह शंका व्यक्त की थी कि उपायुक्त निर्माण कार्य को गिराने में सक्षम है अथवा नहीं । हम इस बारे में नियम बनाकर इस कठिनाई को दूर करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा-प्रवृत्त पंजाब नई राजधानी (परिवृत्त) नियंत्रण अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Shri Amar Nath Vidyalankar (Chandigarh) : I am satisfied with the objects of the Bill. But Deputy Commissioner has been given too vast powers. We are still not aware of the rules and conditions which are going to be made in this connection. There will be difficulty in implementing those rules and conditions. If some one wants to build a small house near the tube well, there is a great deal of objections.

Mr. Speaker : He may continue after lunch.

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बज कर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे अभी अभी तार मिला है कि श्रम मंत्री ने राइटर

बिल्डिंग में मजदूर संघ के दो नेताओं को आमंत्रित किया था और वहीं पर कुछ लोगों ने उनको पीटा है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था का मामला है, जो राज्य का विषय है। इस पर यहां कैसे चर्चा की जा सकती है।

पंजाब नई राजधानी (परिवृत्त) नियंत्रण (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक—जारी

PUNJAB NEW CAPITAL (PERIPHERY) CONTROL (CHANDIGARH AMENDMENT) BILL—Contd.

श्री अमर नाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : यदि इस विधि को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई न हो, तो मुझे इसको और कठोर बनाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। यह विधि अधिकांशतः देहातों में रहने वाले लोगों पर लागू होगी। इनमें से अधिकतर लोग वही हैं, जिनकी भूमि अर्जित कर ली गई है। सामान्यतः जब मकान अर्जित कर लिये जाते हैं, तब कुछ भूमि उनके पास रह जाती है। वे किसी न किसी रूप में फिर ढांचा बना लेते हैं। निष्क्रान्त व्यक्ति या तो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लेते हैं या तरह तरह के ढांचे बना लेते हैं। इन गरीब लोगों के लिये हमने चण्डीगढ़ योजना में कोई व्यवस्था नहीं की है। अतः बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से कई प्रकार के भवन और ढांचे बनाये जा रहे हैं। कठिनाई यह है कि समस्त भारत में केवल चण्डीगढ़ ही एक ऐसा शहर है, जहां किराया निर्बन्धन अधिनियम लागू नहीं होता है। इससे गरीब वर्ग के लोगों को किराये पर मकान लेने में कठिनाई होती है। उन्होंने कहीं न कहीं रहना होता है। अतः वे खुले स्थानों पर ढांचे खड़े करके रहने लगते हैं। बाद में कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। इस विधेयक में आवेदन-पत्र प्राप्त करने का अधिकार उप-आयुक्त को दिया जा रहा है। जब मूल अधिनियम पास हुआ था, तब समस्त चण्डीगढ़ पंजाब का भाग था। अब चण्डीगढ़ के उप-आयुक्त का अधिकार क्षेत्र केवल चण्डीगढ़ क्षेत्र तक सीमित है। यह कानून चण्डीगढ़ के आसपास के 10 मील के क्षेत्र पर लागू होगा। अतः अब कौन-सा उप-आयुक्त आवेदन-पत्र प्राप्त करेगा, यह स्पष्ट नहीं है। यह पता नहीं है कि उक्त क्षेत्र पंजाब के उप-आयुक्त के अधिकार के क्षेत्र में होगा अथवा हरियाणा के और आवेदनपत्र कौन प्राप्त करेगा।

इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव यह है कि नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण मकानों को न हटाया जाये। यदि नये प्रकार के मकान बनाने के लिये वर्तमान ग्रामीण मकानों को गिराया गया तो मकानों की समस्या और भी गम्भीर हो जायेगी। अतः इस कानून को इस प्रकार लागू किया जाना चाहिये कि अधिकांश ग्रामीण मकान न गिराये जायें। चण्डीगढ़ में पहले ही 10,000 परिवार बेघर हैं। ग्रामीण मकानों को यदि आवश्यक हो, तो नया रूप दिया जा सकता है परन्तु उन्हें गिराया नहीं जाना चाहिये। चण्डीगढ़ योजना में नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण मकानों की कोई योजना जोड़ देनी चाहिये। यदि ऐसा कर दिया जाये तो बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda) : The Deputy Commissioner is being empowered to fine the people upto Rs. 500/- who indulge in unauthorised construction and he can also fine them Rs. 50/- per day. There are many villages in 10 miles around Chandigarh. The Government have to give compensation to the villagers whose houses are demolished. But it takes lot of time in

settling the claims of compensation. Moreover, we know that officers do not listen to the general public. In view of this I suggest that a public representative committee should be set up to hear the complaints of the people whose land is acquired by the Government.

As Rent Restriction Control Act has not been enforced in Chandigarh. The landlords charge exorbitant rents and poor people cannot hire any house as a result thereof. They cannot live in big cities and earn their livelihood. We have no objection to the setting up of modern cities but poor men should not be ignored. This amendment will not serve any purpose. I would like to suggest that a comprehensive bill should be introduced in which provision for rent restrictions should be made and colonies should be constructed to provide accommodation to the poor.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : The poor people living in the villages in the area of 10 miles around Chandigarh complain that they have not been provided with any facilities. No attention is being paid for the development of that area. The officers do not find time to hear the complaints of rural people. Government is trying to stop unauthorised construction. The people, who are being shifted, should be given alternative accommodation near Chandigarh. In case land of some one is acquired, he should be given alternative land.

There cannot be two opinions that Chandigarh should remain a beautiful city because many tourists go there to see that city. But poor people should not be ignored. The Government should take necessary steps to provide all the facilities to the villages situated in the area of 10 miles around Chandigarh.

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak) : This Bill is not so innocent as it looks. In case some one wanted to construct any thing for agriculture purposes, he had to seek permission of the Deputy Commissioner under the Parent Act and he has to accord necessary permission. But now certain conditions have been laid but they have not been incorporated in the Bill. I do not understand as to what was the difficulty in providing the said conditions in the Bill itself. The hon'ble Minister perhaps wants to make Chandigarh a most beautiful city not onl, of India but of the world. But no attention has been paid to the difficulties being experienced by the poor people. On the other hand if they, construct Jhuggis, they have to pay fine. This is an anti-poor Bill because it will affect the poor. In view of this I would suggest that hon'ble Minister should withdraw this Bill.

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : The Deputy Commissioner of Punjab has been given powers to accord permission to construct houses but the periphery areas of constituted villages of Haryana as well as Punjab. This will create great hardship for the people of these villages. It may be recalled that when Chandigarh was made capital, it was decided that land would be given as compenation to those farmers whose land was acquired. But under this periphery Act, land is not being given as compensation. On the other hand, compensation being given is too meagre. Government is making a lot of profit. The land purchased by them at Rs. 5,000 per acre is being sold by them at Rs. 5,00,000 per acre. The hon'ble Minister should give an assurance that 50 percent of the profit will be given to the farmers whose land had been acquired. In case one wants to instal a tubewell in a village and applies for permission to do so, it will take a year or so before it is done. Chandigarh's bureaucratic administration is the most corrupt, and inefficient. The poor man has to face many hardships before getting any thing done.

Rent Restriction Control Act should be enforced in Chandigarh immediately. The hon'ble Minister should visit the periphery area and make his own assessment about the difficulties being experienced by the poor villagers.

Moreover, the dispute of Chandigarh should be settled immediately.

प्रो० डो० पी० चट्टोपाध्याय : विधेयक के पुर:स्थापन के समय मैंने बताया था कि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह देखा गया कि कृषि प्रयोजनों के सहायक रूप में अनधिकृत ढांचे खड़े किए जा रहे हैं और इन अनधिकृत ढांचों का कृषि

प्रयोजनों के साथ कोई संबंध नहीं होता। यह ढांचे नगर के डिजाइन के अनुरूप नहीं थे। वे वर्तमान नियमों के विरुद्ध हैं।

सभी सदस्य प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षता इस बात से सहमत हैं कि नगर की स्थापत्य सुन्दरता का अपना महत्व है और जहां तक संभव हो इसकी रक्षा की जानी चाहिये। परन्तु निर्धन लोगों की आवश्यकता के महत्व को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि हम निर्धनता के नाम पर इन इमारतों अथवा ढांचों को इसी प्रकार बना रहने दें अथवा हम उनके निर्माण को प्रोत्साहन दें तो नगर की आयोजना का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा। भारत के अन्य बड़े नगरों का हमारा अनुभव यह है कि आयोजना के न होने से अनेकों समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

यह कहा गया है कि स्वयं अधिनियम में ही नियमों का सन्निवेश क्यों नहीं किया जा रहा। जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है, यह बहुत बड़ा और जटिल मामला है। अतः इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाते समय समस्या के विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है अन्यथा विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी।

पिछले अनुभव से यह देखा गया है कि उपायुक्तों को दी गई शक्तियां कुछ मामलों में लोक हित के अनुरूप नहीं पाई गईं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने विधेयक में छोटा सा संशोधन किया है। हम उपायुक्तों के अधिकारों में वृद्धि नहीं करना चाहते परन्तु हम यह चाहते हैं कि वे वर्तमान शक्तियों का प्रयोग विशेष नियमों के अनुसार करें, जिससे निर्धन और अन्य वर्गों के लोगों को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हो सके। इस दृष्टि से सदन के सभी वर्गों को इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : There is not a single unauthorised building in Chandigarh. The problem is about those areas which are not to be acquired now or not to be acquired for 10 years.

श्री अमर नाथ विद्यालंकार (चण्डीगढ़) : हम यह आश्वासन चाहते हैं कि नियम के कार्यान्वयन में ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं और सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जायेगा।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : नियम बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा-प्रवृत्त पंजाब नई राजधानी (परिवृत्त) नियंत्रण अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खण्ड 2 से 5, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

Clauses 2 to 5, clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक

DENTISTS (AMENDMENT) BILL

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

इस विधेयक के उद्देश्य बहुत ही सीमित हैं। बर्मा तथा श्रीलंका से भारत में प्रत्यावर्तित होकर तथा बंगला देश से भी कुछ दन्त चिकित्सक आएं हैं। वह अपनी जीविका के साधन नहीं जुटा पाये।

यह विधेयक उनकी सहायता के प्रयोजन से लाया गया है। इस विधेयक का एक अन्य उद्देश्य यह है कि अब तक दन्त चिकित्सा विषयों की शिक्षा देने के ढंग तथा तरीकों का प्रबन्ध करने की शक्तियां भारत की दन्त चिकित्सा परिषद में विहित थीं। अब सरकार इन शक्तियों को अपने अधिकार में लेना चाहती है। जिससे कि देश में दन्त चिकित्सा शिक्षा की दिशा में एकरूपता लाई जा सके। इसके द्वारा भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् के प्रतिनिधियों के वर्गीकरण का पुनर्गठन और पुनः व्याख्या भी की गई है।

हम दन्त चिकित्सा अर्हता सम्बन्धी 3 वर्गों को मान्यता देते हैं। दन्त चिकित्सकों का एक वर्ग ऐसा है जिन्होंने भारतीय अर्हताएं प्राप्त कर रखी हैं और दूसरा वर्ग ऐसा है जिनके पास विदेशों से प्राप्त अर्हताएं हैं। परन्तु बर्मा, श्रीलंका तथा बंगलादेश से प्रत्यावर्तित दन्त चिकित्सक इन दोनों वर्गों में नहीं आते। उन लोगों का हम एक अलग वर्ग बनाना चाहते हैं। इन्हीं प्रयोजनों को विचार में रख कर यह विधेयक तैयार किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

इस पर डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय द्वारा संशोधन की सूचना है। क्या आप उसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : जी, हां, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 8 सदस्य हों, अर्थात :—

(1) श्री भागीरथ भंवर

(2) श्री खेमचन्दभाई चावड़ा

(3) श्री मूलचन्द डागा

(4) श्री कमल मिश्र मधुकर

(5) श्री धनशाह प्रधान

(6) श्री रामकंवर

(7) श्री राम रतन शर्मा, और

(8) श्री उमा शंकर दीक्षित

और उसे आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : आजकल इंजीनियरों और डाक्टरों के बहुत से पद खाली रहते हैं परन्तु दूसरी ओर अनेक इंजीनियर और डाक्टर बेरोजगार हैं। यही स्थिति दन्त चिकित्सकों की है। अनेक ऐसे अस्पताल हैं जिनमें दन्त चिकित्सकों के पद हैं परन्तु वहां दन्त चिकित्सक नियुक्त नहीं किए गए हैं। दूसरी ओर सैंकड़ों दन्त चिकित्सक बेरोजगार हैं। सरकार को इस विषमता की ओर ध्यान देकर इस बारे में समुचित कार्यवाही करनी चाहिये।

प्राथमिक क्षेत्रों में और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में दन्त चिकित्सक नहीं हैं जिससे निर्धन ग्रामीण लोगों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ता है। सरकार को इस बारे में भी कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

दांतों की सफाई की शिक्षा स्कूलों में दी जानी चाहिये। अपर्याप्त पोषाहार तथा विटामिनों की कमी के कारण आजकल दन्त रोग बहुत बढ़ रहे हैं। आज के बच्चों में दन्त क्षय का रोग एक सामान्य रोग है। इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिये।

सरकार अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भी अपने अधिकारों में वृद्धि कर रही है। इस विधेयक के खण्ड 8 तथा 11 इसी बारे में हैं। दन्त चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता देने का काम पहले दन्त चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जाता था, परन्तु यह अधिकार सरकार में विहित किया जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं। खंड 3 द्वारा चुनाव के लिए पात्रता को सीमित किया जा रहा है। यह भी उचित नहीं है।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : This Bill was first enacted in 1927 and there after amendments were made in 1950 and 1955 in clause 3 (c) of the Bill. Now again the Government intends to further amend this clause 3(c).

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकते हैं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
नये अनुच्छेद 23क, 23ख और 23ग का अन्तःस्थापन
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
INSERTION OF NEW ARTICLES 23A, 23B AND 23C

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधान कार्य पर विचार करेगा, अब श्री मधु दण्डवते द्वारा 4 अगस्त, 1972 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार होगा ।

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : यह तर्क दिया जाता है कि भारत को स्वतन्त्र हुए केवल 25 वर्ष हुए हैं । हमारे देश की जनसंख्या विस्फोटक स्थिति प्राप्त कर चुकी है । हमारे आयोजक हर व्यक्ति को पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहे हैं । हमने देखा है कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ी है । रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है । परन्तु यदि हम विश्व के अन्य देशों की स्थिति देखें तो पता चलता है कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है और उन देशों की अर्थव्यवस्था उनका भार वहन करने में समर्थ होती है । दूसरे देशों की बेरोजगारी को हम देखें तो पता चलता है कि अच्छी नौकरी पाने के विचार से वहां के लोग एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करते हैं । 1968 में पश्चिम जर्मनी के दौरे के दौरान मुझे बताया गया कि वहां पर कोई बेरोजगार नहीं । उस देश को दूसरे विश्व युद्ध का जबरदस्त धक्का लगा परन्तु थोड़े ही समय में वहां की सरकार ने देश में सभी व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध करा दिया है । यही नहीं बाहर के देशों के लोग भी वहां पर रोजगार की तलाश में जाते हैं ।

चीन भी एक बहुत बड़ा देश है । उसकी जनसंख्या हमारे देश से भी अधिक है । परन्तु वहां पर भी लोगों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है । 1959 में आस्ट्रेलिया में 120 लाख की आबादी में से 3000 लोग बेरोजगार थे और वहां की सरकार इस पर बहुत चिंतित थी ।

परन्तु हमारे देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि यह समस्या न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती रहेगी । इस समस्या के हल के लिए हम क्या कर रहे हैं ? सरकार पर दोष लगाने से कोई लाभ नहीं होगा । हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ करने वाले हैं । उसमें हमें देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये ।

इस दिशा में सबसे पहला पग है रोजगार क्षमता । हमारे जैसे निर्धन और विकासशील देश के लिये रोजगार के मुख्य स्रोत दो तीन बातों पर निर्भर करते हैं । अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक खाद्य उपजाने के कार्य पर लगाया जा सकता है । भोजन मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता भी है । मनुष्य की दूसरी आवश्यकता कपड़ा है । अतः कपड़े का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में रोजगार के अधिकतम अवसर उत्पन्न किये जाएं । लोगों को सड़क निर्माण कार्यों, सिंचाई योजनाओं आदि में भी लगाया जा सकता है, इससे देश की प्रगति होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा ।

रोजगार के न मिलने से लोगों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । जब एम० ए०, पी० एच० डो० और एम० एस० सी० पढ़े लोग बेरोजगार हों तो अन्य लोगों की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है । अतः स्थिति को देखते हुए इस संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिए ।

शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त सुधार इस दिशा में प्रथम और अग्रणी पग है। पढ़ाई पर इतना अधिक व्यय करने के उपरान्त एम० ए० तक पढ़े लिखे लोग बेकार रह जाते हैं तो फिर इतना व्यय करने की क्या आवश्यकता है। इस कारण हमें शिक्षा को रोजगार की दृष्टि से लाभप्रद रूप देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परीक्षाएं पास करके बिना रोजगार के बैठे रह जाएंगे। मेरे पास धन है, इस कारण मेरा बच्चा कालेज तक पढ़े। मैं अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा चाहता हूं अतः मैं कालेज में पढ़ूं और मैट्रिक पास करने के पश्चात मेरे पास करने को कुछ नहीं, अतः कालेज में पढ़ लूं। आज यही हो रहा हैं। क्या यह शिक्षा है? हमें तकनीकी शिक्षा दी जानी चाहिए।

धनवान और निर्धन के मध्य आर्थिक अन्तर को कम करना भी इसके लिए अति आवश्यक है। हम यह देखें कि जर्मनी ने इस बारे में क्या किया। 1949 में जर्मनी के समक्ष भी यह स्थिति थी कि उद्योग नहीं, रोजगार नहीं। वहां की सरकार ने समस्या का सफलतापूर्वक सामना किया। उस सरकार का सबसे पहला पग था विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण का लाभ उठाने हेतु उन्होंने यह व्यवस्था की कि पैसा सभी को चेक के रूप में मिलेगा और वह चेक बैंक में जमा किया जायगा। जर्मनी ने यह व्यवस्था की कि कोई व्यक्ति 200 रुपये की राशि से अधिक बैंक से नहीं निकाल सकता चाहे उसका मासिक वेतन 2000 रुपया हो अथवा 4000 रुपया। उसे कुछ राशि सरकार द्वारा कृषि और उद्योगों के विकास के लिये बैंक में रखनी पड़ेगी यद्यपि वह राशि उसके नाम में जमा होती रहेगी। श्रमिकों ने भी राष्ट्र के विकास के लिए 8 घन्टे की बजाय 14 घन्टे कार्य करना आरम्भ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप जर्मनी का भारी विकास हुआ।

हमें भी वही क्रांति लानी पड़ेगी। वहां के उद्योगपतियों ने भी श्रमिक वर्ग की कठिनाइयों को देखते हुये उनके वेतन में वृद्धि कर दी थी जिससे उद्योगपति तथा श्रमिक वर्ग में कोई संघर्ष नहीं हुआ। यदि शिक्षा व्यवसाय-प्रधान कर दी जाये तो प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई व्यवसाय सरलता से अपना सकता है। मेरे विचार से जब तक हमारे देश में इस प्रकार की क्रांति नहीं लाई जाती और उद्योगों को श्रम प्रधान नहीं बनाया जाता तथा राष्ट्र की पूंजी को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बनाने के कार्य में नहीं लगाया जाता तब तक देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अतः मैं विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इन बातों पर विचार करे तथा अधिक से अधिक रोजगार अवसर बनाने का प्रयत्न करे।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं इस विधेयक पर बीच में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। प्रो० मधु दण्डवते ने संविधान में अनुच्छेद 23(क), 23(ख) और 23(ग) अन्तः स्थापित करने के लिये यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को रोजगार पाने का अधिकार तथा रोजगार न मिलने की स्थिति में सरकार द्वारा उसे बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया हैं। यह सभी को विदित है कि संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत नागरिकों को कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। किन्तु उनका विचार है कि इस दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। किन्तु उन्हें पता होना चाहिये कि सरकार पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगारों के अवसरों के बढ़ाये जाने को उच्च प्राथमिकता देती रही है। मार्च, 1950 के सरकारी संकल्प में भी यही आशय निहित है। अतः इससे विदित होता है कि सरकार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है। 1954 में भी संसद में संकल्प पारित किया गया था जिसमें समाजवादी व्यवस्था लाने तथा औद्योगिक

विकास में प्रगति लाने पर बल दिया गया था। उनके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में सराहनीय वृद्धि हुई तथा रोजगार के अवसरों में भी भारी वृद्धि हुई।

तीसरी योजना में देश के सभी नागरिकों तथा विशेषकर निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों और बेरोजगारों का जीवन स्तर बढ़ाने पर बल दिया गया था। 1951 में भी रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिये निरंतर प्रयत्न किये गये। मैं स्वीकार करता हूं कि सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह दूर नहीं कर सकी तथा इसके कुछ कारण भी हैं। (**व्यवधान**)

बेरोजगारी का एक कारण यह भी है कि विकास कार्यों के अन्तर्गत जितने भी रोजगार के अवसर बनाये गये उनसे रोजगार पाने वालों की संख्या सदा अधिक रही। देश में दो बार फसल नष्ट हुई तथा तीन बार विदेशी आक्रमण हुआ।

वर्ष 1951 से 1966 तक तीन योजनाओं की अवधि में रोजगार के लगभग 3150 लाख अवसर बनाये गये किन्तु रोजगार पाने वालों की संख्या में 380 लाख व्यक्ति और बढ़ गए। जनसंख्या में वृद्धि के कारण सरकार के सभी प्रयत्न असफल होते रहे हैं। योजना आयोग ने बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र किये किन्तु उन्हें विश्वसनीय नहीं समझा गया। अतः प्रो० दंतवाला के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने सम्बन्धित आंकड़े एकत्र किये हैं तथा कुछ सुझाव भी दिये हैं।

आवश्यक आंकड़े उपलब्ध न होने पर भी सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है तथा बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है। चौथी योजना में सड़कों के निर्माण, क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामोद्योग आदि के सम्बन्ध में श्रम-प्रधान योजनाओं पर बल दिया गया है। निम्नलिखित योजनाओं से, जिन्हें सरकार ने तैयार किया है, ज्ञात होगा कि उनसे रोजगार के अवसरों में कितनी वृद्धि होगी :

(क) छोटे तथा समर्थ किसानों के लिए योजना।

(ख) उप-सीमांत किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के लिये योजना।

(ग) बारानी खेती के विकास के लिये योजनाएं।

(घ) सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम।

(ङ) क्षेत्र विकास योजनाएं।

(च) कृषि-सेवा केन्द्रों के विकास की योजनाएं।

ये सभी योजनाएं बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए बनाई गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके तर्कों का स्तर क्या है ?

श्री बालगोविंद वर्मा : मेरा तर्क यह है कि रोजगार पाने के अधिकार के सम्बन्ध में सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। गत वर्ष एक द्रुत कार्यक्रम आरम्भ किया गया था जिसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करना था। गत वर्ष बजट में शिक्षित बेरोजगारों के समस्या हल करने के लिए 25 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई थी। सरकार ने प्रत्येक जिले के लिए $12\frac{1}{2}$

लाख रुपये नियत किये थे तथा सभी जिलों में कार्य किया जा रहा है। इस समबन्ध में सरकार हर सम्भव प्रयत्न कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है कि सरकार क्या प्रयत्न कर रही है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार प्रत्येक नागरिक को रोजगार देने के लिये संविधान (संशोधन) विधेयक को स्वीकार करती है।

श्री बालगोविंद वर्मा: जी नहीं। मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप अपनी बात कृपया संक्षेप में कहिये। अन्य सदस्यगण भी बोलना चाहते हैं।

श्री बालगोविंद वर्मा: बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिये गत वर्ष बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। शिक्षित बेरोजगारों, इंजीनियरों और डिप्लोमा धारियों को उद्यम सम्बन्धी प्रशिक्षण दिये जाने पर बल दिया जा रहा है। उन्हें स्वनियोजन के लिये आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं। योजना आयोग सभी बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देने की योजना बना रहा है। ऐसे व्यक्तियों को आत्म निर्भर बनाने के लिये शिशिक्षु अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। विश्व-विद्यालयों तथा स्कूलों में व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिये आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बैंकों को यह निदेश दिये गये हैं कि जो व्यक्ति अपना उद्योग चलाना चाहे उसे ऋण दिया जाए। योजना आयोग भगवती जी की अध्यक्षता में नियुक्त समिति के अंतरिम प्रतिवेदन का अध्ययन कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री अब कृपया बैठ जाएं अन्य सदस्यों को भी समय दिया जाना है। वास्तव में मुझे अभी तक पता नहीं चला कि माननीय मंत्री का उद्देश्य क्या है।

श्री बालगोविंद वर्मा : मेरा यह निवेदन है कि इन संशोधन से निरर्थक आशाएं बंध सकती हैं किन्तु देश का कोई हित नहीं होगा। सीमित साधनों का पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है तथा सरकार इस दिशा में हर सम्भव प्रयास कर रही है।

जहां तक बेरोजगारी भत्ते का प्रश्न है देश की अर्थव्यवस्था अभी उतनी अच्छी नहीं है कि ऐसा भत्ता दिया जा सके। हमारे देश में संसाधन अत्यंत सीमित हैं। जिनका अधिक उद्योगों की स्थापना पर उपयोग करना उचित है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। इस प्रकार के भत्ते से देश की प्रगति में कोई योगदान नहीं मिलेगा। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री के० नारायण राव (बोबिली) **:** मैं यह विधेयक लाने के लिये प्रो० मधु दण्डवते को बधाई देता हूं। उन्होंने इस विधेयक के माध्यम से कुछ ऐसी समस्याओं पर प्रकाश डाला है जो अत्यंत गम्भीर हैं। किन्तु कुछ कारणों से मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता।

इस विधेयक में राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों में निहित कुछ उपबन्धों को संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय के अन्तर्गत लाए जाने की व्यवस्था है।

यह सच है कि बेरोजगारी की समस्या ने देश में अत्यंत उग्ररूप धारण कर लिया है। माननीय मंत्री ने भी इस विषय में विभिन्न प्रतिवेदनों का उल्लेख किया है। इस बेरोजगारी के अतिरिक्त अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था को भी सही दिशा देनी है। पहले समाज के कमजोर वर्ग को शिक्षा के अवसर न मिलने के कारण उन्हें रोजगार से भी वंचित रहना पड़ता था। अब उनके लिये शिक्षा का प्रबन्ध

किए जाने से शिक्षितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि पहले से सरकारी सेवाओं में विद्यमान व्यक्ति इस वर्ग के व्यक्तियों को सेवाओं में आने से न रोक सकें।

संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि सरकार अपनी आर्थिक और विकास सम्बन्धी सीमाओं में रह कर नागरिकों को रोजगार और शिक्षा तथा बेरोजगारी बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में उन्हें सहायता देगी। मंत्री महोदय ने सरकार की आर्थिक दृष्टि से असमर्थता व्यक्त की है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है। सरकार को इस दिशा में पहल तो करनी ही चाहिये।

सरकार ने पंगु व्यक्तियों को सहायता देने की दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया। बेरोजगार व्यक्ति रोजगार की तलाश में मारे मारे फिरते हैं तथा उनकी स्थिति दयनीय है। अतः सरकार का कर्तव्य है कि वह उनसे कम से कम आवेदन पत्रों की फीस न ले तथा उन्हें यात्रा भत्ता दे।

अब मैं विधेयक के उपबन्धों का उल्लेख करते हुये यह सिद्ध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। विधेयक के अनुसार, निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत लाये जाने की व्यवस्था है किन्तु निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के स्वरूप में विरोध है। मौलिक अधिकार निषेधात्मक हैं। अत: निदेशक सिद्धांतों को कानूनी तौर पर लागू करना कठिन है। कोई भी न्यायालय यह कैसे फैसला देगा कि अमुख व्यक्ति को रोजगार दिया जाए अथवा वह भत्ते के रूप में इतनी राशि लेने का हकदार है ?

संविधान के अनुच्छेद 37 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि:

"इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी किन्तु तो भी इन में दिये हुये तत्व देश के शासन में मूल भूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।"

अत: संविधान में इन अधिकारों का भी उतना ही महत्व है जितना उसमें निहित अन्य उपबन्धों का तथापि निदेशक सिद्धांतों तथा मौलिक अधिकारों में अन्तर है।

मैं इस विधेयक का विरोध करते हुए सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस विधेयक के आशय को ध्यान में रखकर इस दिशा में पूरा प्रयत्न करे।

***श्री ए० एम० चेलाचामी** (टेंकासी) : महोदय ! मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सभा में प्रथम भाषण देने का अवसर दिया।

प्रो० मधु दण्डवते ने उक्त विधेयक बड़ी नेक नीयती से प्रस्तुत किया है तथा उसमें निहित उद्देश्य सराहनीय हैं। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी भी लगातार इस बात पर बल देती आ रही हैं कि देश से बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जाए तथा उन्होंने अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न करने में अनेक प्रयत्न भी किये हैं।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summaised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुये मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि रोजगार पाने के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत रखा जाए। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का यह प्रमुख कर्तव्य होना चाहिये कि वे देश के प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को रोजगार प्रदान करें। यदि उन्हें रोजगार नहीं मिलता तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिये। यदि सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया तो शिक्षित बेरोजगारों में असंतोष की भावना पनपेगी तथा स्थिति भयानक हो सकती है।

जहां तक सम्पत्ति रखने के अधिकार का सम्बन्ध है, देश में इस अधिकार का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। आम जनता को भर पेट भोजन नहीं मिलता तथा उनके पास सर छिपाने के लिये स्थान भी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को सम्पत्ति रखने के अधिकार से क्या मतलब है।

वर्ष 1970 में देश के 429 रोजगार कार्यालयों में 45.15 लाख व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये थे।

इस वर्ष केवल 4.47 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। इन आंकड़ों में मैंने ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्तियों को शामिल नहीं किया है। 40.68 लाख आवेदकों को रोजगार दिया जाना बाकी है, और इनकी मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकता है कि इन्हें काम करने का अधिकार दिया जाए।

सरकार की नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में बताया गया है कि सरकार हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देने और आजीविका के उचित साधन जुटाने का पूरा प्रयास करेगी।

बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों स्नातकों के बारे में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से पता चला है कि गत अप्रैल में विज्ञान, कृषि, कला और कामर्स तथा इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में डिग्री प्राप्त 5.80 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। किन्तु जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के बेरोजगार स्नातकों का सम्बन्ध है, स्थिति वस्तुत: अत्यन्त गम्भीर है। 31 दिसम्बर 1969 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के 11,459 शिक्षित नवयुवक रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में पंजीकृत थे, और 31 दिसम्बर 1971 तक इनकी संख्या बढ़कर सम्भवत: 17,500 हो गई होगी।

अत: मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि कम से कम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के शिक्षित नवयुवकों को बेरोजगारी-भत्ता अवश्य दिया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ सरकार को देश में रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए जिससे शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त किया जा सके।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : I support the Constitution (Amendment) Bill, brought forward by Shri Dandvate. Today lakhs of young men in the country are frustrated because of unemployment. Government should provide employment opportunity to every man in the country and so long as it is not possible to provide employment to these youngmen, Government should give them unemployment allowance or some kind of financial assistance. In the statement of Objects and Reasons of this Bill, it has been stated that according to Articles 41 and 45 of the Constitution, it is the responsibility of the State Governments to provide employment to the people but the State Governments could not fulfil their responsibility and that is why this Bill has been brought forward in this House. Even after 25 years of independence, full employment opportunities have not been provided to the people of the country.

Government has been successful in removing economic disparities in the country. All children upto the age of 14 years should be given free education.

Government should provide subsistence allowance to those people who are more than 60 years of age and also to the disabled and helpless persons.

So far as the question of unemployment among educated youngmen is concerned, the number of graduates and post graduates is increasing year by year. Young graduates and post graduates in all branches of technical education have been in search of employment for a very long time.

From the figures of unemployed persons, it is presumed that Government is well aware of the seriousness of the unemployment situation. I do not see anything objectionable in this Bill and, therefore, the mover of this Bill is fully justified in bringing it forward. But the Government committed to establish a socialistic pattern of society in the country, is not prepared to provide employment, food and other facilities for every person. It is the responsibility and duty of the Government to provide employment opportunities to each and every person, free education to all children and old age benefits to the old and invalid persons ; and Government should not shirk its responsibility.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : इस विधेयक में मौलिक अधिकारों को काम करने के अधिकार में, जिसकी व्यवस्था मार्गदर्शी सिद्धान्तों में की गई है, परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है। यह प्रश्न समस्या की नैतिकता का नहीं है कि हमें रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए, भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में क्या विधेयक के प्रस्तावक माननीय सदस्य एशिया तथा अफ्रीका के अविकसित देशों में किसी ऐसे देश का नाम बता सकते हैं जहां इसी प्रकार की, पिछड़ेपन की या आर्थिक-अविकास की परिस्थितियां विद्यमान हों और जहां रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में माना गया हो और इसे क्रियान्वित किया गया हो ? किन्तु यदि यहां विद्यमान परिस्थितियों के साथ हम अपनी ही तुलना करें तो हमें पता लगेगा कि भारतीय समाजवाद के सिद्धान्त को विशेषकर अफ्रीका के देशों में, एक अच्छे सिद्धान्त के रूप में माना गया है। ऐसी स्थिति में, जब हम वर्तमान मौलिक अधिकारों का पर्याप्त रूप से पालन नहीं कर सकते और जब हम यह जानते हैं कि हमारे यहां बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर है, तो हम सरकार को असम्भव कार्य करने के लिए कैसे कह सकते हैं ?

यद्यपि इसे वाद योग्य अधिकार बनाना सम्भव नहीं जिसे क्षति पूर्ति के माध्यम से अथवा न्याय-पालिका से डिग्री प्राप्त कर लागू किया जा सके तो इस मांग को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करना सम्भव नहीं है ? क्या इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार करना और अल्प धनराशि से आरम्भ करना हमारे लिए सम्भव नहीं है ? वृद्ध व्यक्तियों की कठिनाइयां कम करने में सांकेतिक वृद्धावस्था-पेंशन काफी उपयुक्त सिद्ध होगी। कुछ राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन 30 रुपये तक दी जाती है। 1961 में की गई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति बहुत कम हैं और उन पर बहुत कम खर्च आयेगा। इसी प्रकार बेरोजगारी-भत्ता कुछ ही समय के लिए दिया जायेगा, क्योंकि कुछ समय के पश्चात् ये लोग अपने द्वारा आरम्भ किए जाने वाले कार्यों में लग जायेंगे। इसलिए, बौद्धिक स्तर पर तो हम यह चाहेंगे कि ऐसे उपबन्ध लागू किए जायं परन्तु वर्तमान परिस्थिति में इसका मौलिक अधिकारों में विशेष रूप से उल्लेख करना बहुत कठिन होगा।

बेरोजगारी की समस्या के बारे में, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। रोजगार कार्यालय भ्रष्टाचार के अग्रदूत के रूप में बदनाम हो गये हैं। लोगों को बेरोजगारी के कारण दुःख नहीं होता है वरन् उस भ्रष्टाचार से दुःख होता है जो कल्याणकारी राज्य द्वारा चालू रजिस्टर में

दर्ज 40 लाख लोगों के कल्याण हेतु रोजगार की व्यवस्था करने के लिए स्थापित की गई इस एजेंसी में व्याप्त है।

श्री श्यामसुन्दर महापात्र (बालासोर) : इस विधेयक से इन मुख्य प्रश्नों की महत्ता के बारे में जनता और सरकार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। यही प्रश्न आज छात्रों, वृद्ध और अपंग व्यक्तियों तथा बेरोजगार व्यक्तियों के सामने हैं।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

हमें लोगों को पेट भरने के लिए भोजन देना है। आज 50 प्रतिशत लोगों का मानवोचित जीवन स्तर भी नहीं है। उनका जीवन स्तर वास्तव में बहुत निम्न है। इसके अतिरिक्त, 25 प्रतिशत लोग कुपोषण और भुखमरी के शिकार हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। इसके लिए यदि सरकार को मध्यम और लघु उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना पड़े तो सरकार के रास्ते में कोई नहीं आयेगा। किन्तु बेरोजगार लोगों को रोजगार अवश्य दिया जाना चाहिए।

निदेशक सिद्धान्तों को पवित्र माना गया है। इन्हें लक्ष्य माना गया है। इन्हें लागू करने के लिए कोई कानूनी उपबन्ध नहीं किया गया है; नैतिक शक्ति का उपबन्ध भले ही हो सकता है। हमारे देश में आज राजनीतिक अधिकारों को तो न्याय-योग्य माना गया है, किन्तु आर्थिक अधिकारों को न्याय-योग्य नहीं माना गया है। अत: आर्थिक विषमताओं को दूर करने के इच्छुक इस अपार जनसमूह के बारे में सरकार ने क्या सोचा है?

प्रोफेसर मधुदण्डवते ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार होना चाहिए और उसे जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधनों का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। आज केवल 30 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं। स्वतंत्रता के 25 वर्ष बाद अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है और यह स्थिति जनसंख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए जब तक कम से कम 14 वर्ष की आयु तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं दी जायेगी तब तक समाज का विकास नहीं होगा।

इस विधेयक के अनुसार वृद्ध और अपंग व्यक्तियों को सहायता देना भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तव में 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध को आर्थिक सहायता अवश्य ही मिलनी चाहिए। भारत गणराज्य में ये लोग 20 प्रतिशत हैं। इन लोगों को अपने पुत्र-पुत्रियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है जो इस आधुनिक युग में निश्चय ही अपने माता-पिता का ध्यान नहीं करते हैं। अत: सरकार को इनके भोजन आदि की गारन्टी देनी चाहिए।

मैं प्रोफेसर दण्डवते के संशोधन की सराहना करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन मूलभूत सिद्धान्तों के प्रति सजग रहे।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : प्रोफेसर दण्डवते चाहते हैं कि हमारे संविधान के निदेशक सिद्धान्तों को, जो न्याय योग्य नहीं हैं, मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत लाया जाय। तीन अनुच्छेदों को जोड़ने से वह सब नागरिकों के लिए काम करने तथा

आजीविका के उपयुक्त साधन जुटाने, जिसकी व्यवस्था न होने की स्थिति में पांच रुपये प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता देना, 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के बीमार अथवा अपंग सब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था चाहते हैं। उन्होंने बेरोजगारी सम्बन्धी कुछ आंकड़े भी दिए हैं। किन्तु इसमें कुछ कठिनाइयां हैं।

बेरोजगारी के बारे में प्रोफेसर दण्डवते ने उन एक करोड़ 40 लाख व्यक्तियों के आंकड़े दिए हैं जिनके नाम रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त, इन रजिस्टरों में उन लोगों के आंकड़े नहीं हैं जिन्हें पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त नहीं है या जो गावों में रहते हैं किन्तु रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराने की उन्हें सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। इस प्रकार इन सब प्रकार के बेरोजगार लोगों के कुल आंकड़े एक करोड़ 40 लाख से कहीं अधिक हो जायेंगे। इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को भत्ता देने का जो सुझाव दिया है, उसे लागू करने पर 4000 करोड़ रुपये से 5000 करोड़ रुपये का खर्चा प्रति वर्ष हो जायेगा।

उन्होंने दूसरा सुझाव दिया है कि 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। जम्मू और कश्मीर तथा नागालैण्ड में सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क है। कुछ राज्यों में माध्यमिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क है। किन्तु सारे देश में प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बालकों के लिए शिक्षा निःशुल्क है। इसके अतिरिक्त उन्हें छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं।

अतः संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार, न केवल निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने के सामूहिक प्रयास किए गये हैं, अपितु माध्यमिक तथा अन्य स्तरों तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के भी प्रयास किए गये हैं। वर्तमान स्थिति में मुख्य कठिनाई यह है कि पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और आसाम, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में लड़कों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क नहीं है। अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतया निःशुल्क करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च किया जायेगा। अतः इस चिर प्रतीक्षित सुधार को लाने के लिए इन राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

इन उपलब्धियों के होने पर भी 14 वर्ष की आयु तक के सब बालकों को शिक्षा देना अभी सरल कार्य नहीं है। यदि चालू वर्ष में 6-14 वर्ष की आयु के सब बालकों को स्कूलों में दाखिल किया जाए तो लागत और क्षमता के वर्तमान स्तर पर कुल व्यय लगभग 972 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होगा जो समस्त शिक्षा पर खर्च किए जाने वाले व्यय (950 करोड़ रुपये) से भी अधिक होगा। इन वित्तीय बाधाओं के अतिरिक्त निर्धन परिवारों से लड़कियों को स्कूलों में लाने की समस्या है तथा इन परिवारों के बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने की भी समस्या है, जिनके लिए निःशुल्क मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और निःशुल्क वस्त्र आदि की भी व्यवस्था करनी होती है। इस आयु वर्ग के अपंग एवं अपरिपक्व मस्तिष्क वाले बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था सम्बन्धी समस्या काफी गम्भीर है, क्योंकि ऐसे बच्चों की संख्या तो बहुत अधिक है और प्रति बच्चा खर्च भी अधिक होता है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले खर्चे में अचानक वृद्धि करने से केवल शिक्षा सम्बन्धी योजना में प्राथमिकताओं पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा वरन् सामूहिक रूप में समस्त योजनाओं की प्राथमिकताओं पर भी प्रभाव पड़ेगा।

अब इस मामले पर सरकार विचार कर रही है और अगले 7 से 15 वर्षों के दौरान प्राथमिक

शिक्षा के विकास और सुधार के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने का विचार है और अनुच्छेद 45 में उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त के लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार है। प्रो० दण्डवते भी इस बात से सहमत होंगे कि जो प्रगति हमने की है, उससे वर्ष 1981 तक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे स्कूल जाने लगेंगे।

खण्ड 23 ग के अनुसार 60 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी बीमार, अनाथ और स्थायी रूप से अक्षम व्यक्तियों को भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 3.16 करोड़ व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। लगभग 50 लाख व्यक्ति अन्धे हैं, 15 लाख व्यक्ति बहरे हैं और पचास लाख व्यक्ति विकलांग हैं। बीस लाख व्यक्ति मानसिक रूप से अशक्त हैं। अगर प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 4 रु० से 5 रु० भी दिए जायं, तो कुल राशि 8100 करोड़ रु० प्रति वर्ष व्यय करनी पड़ेगी।

अगर आधे व्यक्तियों को भी सहायता प्रदान की जाय, तो यह राशि 4,000 करोड़ रु० होगी। समाज कल्याण विभाग की यह राय है कि बच्चों की सेवाओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रो० दण्डवते के प्रस्ताव में सुझाये गये आर्थिक भार को वहन करना सम्भव नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में सरकार के लिये इस प्रस्ताव का समर्थन करना सम्भव नहीं होगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : जब मैंने सदन के समक्ष यह विधेयक विचारार्थ रखा था, तब मुझे भय था कि सदस्य इस विधेयक से सिद्धान्ततः सहमत होते हुए भी व्यावहारिक रूप से इसका विरोध करेंगे।

कुछ सदस्यों ने केवल सरकार के पक्ष का ही समर्थन किया और विभिन्न विकास सम्बन्धी गतिविधियों का उल्लेख किया। किसी भी सदस्य ने बजट के प्रावधान और वास्तविक क्रियान्वयन के समय खर्च हुई राशि के अन्तर का उल्लेख नहीं किया। कितना बड़ा अन्तर्विरोध है कि हमारे जैसे समाजवादी समाज में सम्पत्ति का अधिकार तो मूल अधिकार है, परन्तु काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।

शिक्षा और रोजगार के मामले में कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया। साठ वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को भत्ता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों ने मेरे पक्ष का सिद्धान्ततः समर्थन किया है। कुछ ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे इस विधेयक पर और आगे विचार स्थगित किया जा सके। अगर यह विधेयक रद्द कर दिया जाता है, तो कार्यवाही में यह दर्ज रहेगा कि यह सदन कार्य करने के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने के विरुद्ध था।

यह विधेयक राय जानने के लिए प्रचारित किया जा सकता है, या अनिश्चित काल के लिए इस पर विचार स्थगित किया जा सकता है अथवा इसको प्रवर समिति को विचारार्थ सौंपा जा सकता है।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : माननीय सदस्य विधेयक को रद्द होने से बचाने और विचार के लिए सरकार को समय देने के लिए विधेयक को वापस ले सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : अगर मन्त्री महोदय कुछ समय चाहते हैं, तो इस विधेयक को दो वर्ष बाद लागू किया जा सकता है।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : बेरोजगारी भत्ता नहीं, बल्कि काम करने का अधिकार ही मूल अधिकार बनेगा।

श्री आर० के० खाडिलकर : श्री दण्डवते ने राज्य नीति के कुछ मौलिक प्रश्न को उठाया है और एक अच्छे समाजवादी नेता की भांति वह जानते हैं कि कार्यक्रम में कुछ विषयों को प्राथमिकता दी जाती है। इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिन प्रश्नों को उठाया है, उन पर उचित समय पर विचार किया जायगा।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर सरकार विधेयक की भावना से सहमत है और सरकार की ओर से इस आशय का आश्वासन दिया जाता है कि विधेयक की जांच की जायगी और विधेयक के विस्तृत मसौदे और उसे स्वीकार करने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा, तो मैं इस आश्वासन पर विधेयक वापस लेने के लिए तैयार हूं।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं यह स्वीकार करता हूं कि श्री दण्डवते साहब ने एक ऐसा विधेयक पेश किया है जिससे यहां चर्चा हो सकी। उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न उपस्थित किये हैं, जिन पर सारे देश में विचार होगा। इस सदन का प्रत्येक सदस्य भी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा। हमें समाज के पुनर्निर्माण के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है। हम अपनी सामाजिक नीति के निर्धारण के समय इस विधेयक की भावना को ध्यान में रखेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, मैं विधेयक वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले प्रो० दण्डवते के विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक
(धाराओं 2, 10 आदि का संशोधन)

PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL
(Amendment of Sections 2, 10 etc.)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाय।"

[**श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

सबसे पहले मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के प्रति आभार

प्रकट करता हूं कि उसने इस विधेयक को 'ए' श्रेणी में रखा । बोनस के प्रश्न पर सारे देश के औद्योगिक श्रमिकों और मध्यवर्गीय कर्मचारियों में घोर असन्तोष है जैसा कि अभी हाल में बम्बई में हुई हड़ताल से पता चलता है ।

बोनस अधिनियम, 1965 के पारित हो जाने के बाद बोनस के बारे में अनेक विवाद और कठिनाइयां उत्पन्न हो गईं । यह महसूस किया गया था कि श्रमिक संगठनों की मांगों और दावों के अनुरूप नया दृष्टिकोण अपनाया जायगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ और इसीलिए उन विवादों का अभी तक समाधान नहीं हो सका है ।

विवाद बोनस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के बारे में था कि कौन से उद्योग और कौन से कर्मचारी उसके अन्तर्गत आते हैं । बोनस के स्वरूप और न्यूनतम राशि के बारे में भी विवाद था । कुछ लोग बोनस को अनुग्रह अनुदान मानते हैं, कुछ इसे लाभ के वितरण का तरीका समझते हैं और कुछ अन्य इसे अतिरिक्त आय का वितरण मानते हैं, परन्तु कर्मचारियों के संगठन बोनस को वास्तविक वेतन और आवश्यकता पर आधारित वेतन के बीच अन्तर को कम करने की एक व्यवस्था मानते हैं । कुछ सांख्यिकीविदों के मतानुसार वास्तविक वेतन और जीवनयापक वेतन का अन्तर वास्तविक वेतन के 25% के बराबर है ।

बोनस एक आस्थगित वेतन है । सभी मजदूर संघों की भी यही राय है कि बोनस को आस्थगित वेतन माना जाय । हम ऐसी व्यवस्था भी नहीं कर सकते कि बोनस अधिनियम कुछ उद्योगों पर तो लागू हों और कुछ पर लागू ही न हो ।

बोनस अधिनियम सरकारी, गैर-सरकारी, स्थानीय संस्थाओं आदि पर बिना किसी भेदभाव के लागू होना चाहिए । न्यूननम बोनस इतना कम है कि हम वार्षिक वेतन के 4% से उसे बढ़ाकर 8.33% करने की मांग कर रहे हैं । यह सभी मजदूर संघों की सर्वसम्मत मांग है कि न्यूनतम बोनस की दर बढ़ाने के साथ-साथ बोनस अधिनियम केवल मूल उद्योगों पर ही नहीं, बल्कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू होना चाहिए ।

भारतीय श्रम सम्मेलन के 27वें सत्र का उद्घाटन करते हुए अक्तूबर, 1971 में श्रम मंत्री श्री आर० के० खाडिलकर ने कहा था कि बोनस संदाय अधिनियम के अन्तर्गत बोनस की अदायगी से सम्बन्धित मामलों के कारण ही श्रमिक असन्तोष भड़कता है । पूरे विचार विमर्श और चर्चा के बाद ही बोनस अधिनियम में संशोधन करने के लिए सरकार बचनबद्ध है । मैंने यह विधेयक इसीलिए प्रस्तुत किया है कि इस पर पूरी तरह से चर्चा हो ।

भारतीय श्रम सम्मेलन ने यह निर्णय किया था कि बोनस के समग्र प्रश्न पर विचार करने के लिए समिति नियुक्त की जाय और उससे छः महीने के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाय । सरकार अक्तूबर, 1971 में समिति गठित करने के लिए बाध्य थी, परन्तु समिति अप्रैल, 1972 में गठित की गई । अन्तिम सिफारिशें आने में और भी विलम्ब हो सकता है । इसलिए हमारी यह मांग रही है कि अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय और अन्तरिम सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की जाय । उत्पादकता में और लाभ में वृद्धि हुई है एवं उत्पादन लागत में कमी आई है, इसलिए न्यूनतम बोनस की दर भी 4% से बढ़ाकर 8.33% कर दी जानी चाहिए ।

पहले अधिनियम के अनुसार कुछ उद्योगों को बोनस अधिनियम से पूर्णतया अलग रखा गया था । विभिन्न उद्योगों के कर्मचारियों ने अपनी कार्यकुशलता से उत्पादकता में वृद्धि की है । रेल

विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंकिंग उद्योग, बीमा आदि के कर्मचारी और विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा नियन्त्रित उपक्रम जैसे बम्बई विद्युत प्रदाय संस्थान और ट्राम्वेज उपक्रम आदि के कर्मचारी इनमें सम्मिलित हैं। सरकारी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, परन्तु कर्मचारियों के अधिकारों में कमी की जा रही है। इंगलैण्ड और रूस में सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों को अधिकाधिक राजनैतिक और आर्थिक अधिकार प्रदान किये जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र का विस्तार होने से कर्मचारियों को बोनस के लाभ से वंचित न होने देने के बारे में भी मैंने इस विधेयक में प्रावधान किया है।

एक यह विवाद भी चल रहा है कि बोनस उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाय, जो उत्पादन की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हों। कलकत्ता, बम्बई, कानपुर और दिल्ली आदि नगरों में नगर-पालिका के सफाई कर्मचारी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से सम्बद्ध नहीं हैं, परन्तु वे सफाई कर्मचारी, कपड़ा मिल, गोदी, बिजली कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए तत्पर रहते हैं। हरिजन, आदिवासी और सफाई कर्मचारी सामाजिक दमन के शिकार रहे हैं, उन्हें बोनस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना अनुचित और गलत है। इसलिए इन कर्मचारियों को शामिल करने के लिए बोनस अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

किसी संस्थान में बीस कर्मचारी होने सम्बन्धी प्रतिबन्ध का खण्ड हटा दिया जाना चाहिए। 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी खण्ड भी हटा दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार के अन्य कुछ परिवर्तन हैं जिनके ब्यौरे में मैं नहीं जाना चाहता।

इस प्रश्न पर देश भर में आन्दोलन हो रहा है। एक विशिष्ट प्रश्न से हम सामान्य पर आ सकते हैं। बम्बई का हम उदाहरण ले सकते हैं। बम्बई वैभव और निर्धनता दोनों में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

मेहतरों तथा अन्य लोगों को समाज के दबे हुए लोग और निरर्थक मानना मेरे समाजवादी विचार से संस्कृति की कमी है। बम्बई शहर में इसकी कमी है।

इस सम्बन्ध में यह विवाद उठ खड़ा हुआ है कि यदि सभी सरकार, रेलवे, नगर पालिका, सरकारी उपक्रमों आदि के कर्मचारियों को बोनस दिया जाये जो राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की क्या स्थिति होगी ? कीमतों और जमाखोरी को रोकते समय हम देश की आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं करते। कर्मचारियों को बोनस देते समय कहा जाता है कि खर्चा बहुत अधिक बढ़ जायेगा। मैंने इसका एक अनुमान लगाया है। सभी श्रेणी के कर्मचारियों को बोनस देने में केवल 200–250 करोड़ रुपये खर्च होंगे, इस सम्बन्ध में मजदूर संघों से बात की जा सकती है।

मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि कर्मचारियों की 8.33 प्रतिशत बोनस की मांग को दबाया जा सकता है परन्तु जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई कभी भी नहीं हारी जाती इसी प्रकार कर्मचारियों को भी इस लड़ाई में हराया नहीं जा सकता। अतः मेरा अनुरोध है कि कर्मचारियों की उचित मांग को दबाने के बजाय उनकी बात को समझने और बोनस के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेने का प्रयत्न किया जाये तथा बोनस अधिनियम, 1965 में संशोधन किया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। 8.33 प्रतिशत की दर से कम से कम बोनस देने का फार्मूला श्री खाडिलकर ने निकाला था और यदि बिल पास होता है तो यह खाडिलकर-दण्डवते फार्मूले से जाना जायेगा।

देश के सभी भागों के कर्मचारी 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस की माग कर रहे हैं। अतः इस संशोधन को मान लेना चाहिए।

मेरे मित्र ने खण्ड 11 को निकालने का प्रस्ताव किया है। पर मेरा कहना है कि बोनस की ऊपरी सीमा 20 प्रतिशत रखने वाले इस खण्ड के स्थान पर कोई अन्य उपयुक्त खण्ड रखा जाए।

विधेयक में ऐसे संशोधन किए जाने चाहिए, जिससे कि रक्षा, डाक-तार तथा अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके।

यह प्रश्न उठाया गया है कि किसे बोनस दिया जाना चाहिए। कोई भी उत्पादन एक आदमी नहीं कर सकता। उसमें अनेकों आदमियों का हाथ होता है फिर चाहे वह तकनीकी आदमी हो अथवा नहीं। अत : चाहे कोई रेलवे कर्मचारी हो अथवा डाक-तार कर्मचारी अथवा रक्षा कर्मचारी हो या कोई और प्रत्येक का उत्पादन में योगदान होता है और उसे इस कानून के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय, जो इस न्यूनतम 8.33 प्रतिशत बोनस देने के फार्मूले के प्रणेता हैं, को इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह बात सभा को बताना चाहता हूं कि न्यूनतम बोनस और सभी श्रेणी के कर्मचारियों को बोनस योजना के अन्तर्गत लाने के प्रश्न को लेकर देश भर का मजदूर वर्ग एक ज्वालामुखी पर बैठा है और उनमें बड़ी उत्तेजना है।

बोनस के प्रश्न को लेकर लम्बे समय से आन्दोलन चल रहा है। इस सम्बन्ध में दो मत हैं। एक का कहना है कि यह आस्थगित मजदूरी है जबकि दूसरे मत के अनुसार यह लाभ में हिस्सा लेना है। बोनस को आस्थगित भुगतान के रूप में देना आज से 25 वर्ष पहले मेरे राज्य के सी० पी० रामास्वामी नायर के समय में माना गया था। उनका कहना था कि चाहे हानि हो अथवा लाभ चार प्रतिशत न्यूनतम बोनस कर्मचारियों को दिया ही जाना चाहिए।

वर्ष 1964 में बोनस कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में कम से कम चार प्रतिशत और अधिक से अधिक 40 प्रतिशत बोनस देने की सिफारिश की। 1965 में बोनस अधिनियम लागू किया गया, पर इससे असंतोष फिर फैल गया क्योंकि जिन समस्याओं के समाधान के लिए यह अधिनियम बनाया गया था, उनका समाधान नहीं हो पाया। बोनस कमीशन की बहुत सी सिफारिशों को केवल कुछ ही लोगों ने लागू किया। देश भर में यह मांग की जाती रही है कि न्यूनतम बोनस 4 प्रतिशत न होकर 8.33 प्रतिशत होना चाहिए।

सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में बोनस का भुगतान अधिनियम के अनुरूप नहीं किया गया और इसके परिणामस्वरूप उनके कर्मचारी कभी भी संतुष्ट नहीं रहे। 1969 और फिर 1970 में समझौते हुए कि कोयम्बटूर कपड़ा मिल 8.33 प्रतिशत के हिसाब से बोनस दे। मेरे राज्य केरल में सरकारी उद्योग तथा गैर-सरकारी उद्योगपतियों ने इस बात को माना है कि चाहे लाभ हो या नहीं बोनस की दर 8, 9 या 10 प्रतिशत होनी चाहिए।

मजदूर वर्ग की यह आम मांग है कि बोनस की न्यूनतम दर 8.33 प्रतिशत हो। 1970 में श्री डी० संजीवैया ने इस बात को माना था और तत्सम्बन्धी एक संशोधन विधान प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद एक गैर-सरकारी विधेयक के पेश किये जाने पर भी सरकार की

ओर एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद श्री खाडिलकर के आने पर राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में भी एक मत से यह मांग की गई कि 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस देने के फार्मूले को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। इसके पश्चात् बम्बई के सूती कपड़ा मिल के कर्मचारियों की मांग के परिणाम स्वरूप 8.33 प्रतिशत के खाडिलकर फार्मूले की खोज हुई और अहमदाबाद की मिलों में भी इसका प्रयोग हो रहा है।

जब राज्यों के श्रम मंत्री मजदूर संघ तथा कर्मचारी इस बात से सहमत हैं कि न्यूनतम बोनस 4 प्रतिशत के बजाय 8.33 प्रतिशत हो, तब 4 प्रतिशत की बात फिर से क्यों उठाई जा रही है। प्रश्न यह होना चाहिए कि 8.33 प्रतिशत क्यों नहीं किया गया ? यदि इसमें कोई देरी होती है, तो वह अनावश्यक है क्योंकि अब इसे टालना सर्वथा असम्भव है।

4 प्रतिशत न्यूनतम बोनस का फार्मूला 1965 में लागू हुआ था। तब से अब तक पिछले 6 या 7 वर्षों में वास्तविक वेतन में कितनी कमी हुई है ? क्या उस कमी को पूरा किया गया है ? उस कमी को पूरा करने के लिए न्यूनतम बोनस को 8.33 प्रतिशत किया जाना चाहिए ? यह करना ही पड़ेगा अन्यथा देश भर में अशान्ति फैल जायेगी।

वर्तमान विधेयक से इस उपबन्ध को निकाल दिया जाना चाहिए कि इसके अन्तर्गत केवल प्रतियोगी एककों को ही रखा जाये गैर-प्रतियोगी एककों को नहीं। इस संबंध में फिर से विचार किया जाना चाहिए, इससे पहले कि स्थिति काबू से बाहर हो जाये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : 1965 के बोनस अधिनियम में दिये गये 4 प्रतिशत के न्यूनतम बोनस से कर्मचारी कभी भी संतुष्ट नहीं हुए। देश भर के मजदूर संघ तथा स्वयं श्री खाडिलकर ने न्यूनतम बोनस की दर 8.33 प्रतिशत रखना स्वीकार किया है, तब फिर संबंधित अधिनियम में तदनुरूप संशोधन करने में क्या दिक्कत है।

अधिनियम को अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए। इसके क्षेत्र सीमित नहीं करने चाहिए। सभी श्रेणी के कर्मचारियों को इसके अन्तर्गत लाया जाना चाहिए—सरकारी कर्मचारियों को भी।

प्रस्तुत सुझाव के अनुसार यदि धारा 11 को हटा दिया जाता है तो बारहवां हिस्सा बोनस के रूप में देने की नियोजक की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा क्यों निर्धारित की गई है ; यदि नियोजक अधिक बोनस दे सकता है, तो उसे वह अवश्य देना चाहिए। अत: मैं चाहता हूं कि धारा 11 में से निर्धारित अधिकतम सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए।

उन लोगों को, जिन्हें न्यायाधिकरण के सामने बोनस अधिनियम के भुगतान को लागू करने के संबंध में कुछ करना पड़ा, बोनस, उपलब्ध अतिरिक्त राशि और दी जा सकने योग्य अतिरिक्त राशि का हिसाब लगाने की कठिनाइयों का अनुभव है। अतः श्रम मंत्री को इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और सब प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।

मामले की अविलम्बनीयता को नकारा नहीं जा सकता।

देश भर के श्रमिकों में न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत की दर से न दिये जाने के लिये असंतोष है। यदि हम देश में औद्योगिक शान्ति चाहते हैं, तो हमें न्यूनतम बोनस सुनिश्चित करना ही चाहिए। श्री खाडिलकर ने इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया है।

खण्ड 9, आम बीमा कम्पनियों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से सम्बन्धित है।

मैं विधेयक का दृढ़ता से समर्थन करता हूं। खण्ड 4 को इस प्रकार से संशोधित किया जाना चाहिए जिससे कि न्यूनतम बोनस अधिकतम बोनस न बन जाये।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद): प्रो० दंडवते ने यह विधेयक उपयुक्त समय में रखा है जबकि देश का 80 प्रतिशत भाग सूखा-ग्रस्त है और शेष 20 प्रतिशत बाढ़ पीड़ित है। पिछली बार श्रम मंत्री ने गैरकानूनी हड़ताल की अवधि के लिये उपदान देना स्वीकार किया था। क्या देश में केवल 50 लाख अथवा 1 करोड़ श्रमिक ही बसते हैं और कोई नहीं रहता?

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखें।

---

*भारतीय तेल निगम द्वारा इंडो-बर्मा पेट्रोलियम के कार्य संचालन पर किया जा रहा नियंत्रण

*Re: CONTROL BEING EXERCISED BY I.O.C. OVER THE FUNCTIONING OF INDO-BURMA PETROLEUM

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर): भारतीय तेल निगम की एक कम्पनी इंडो-बर्मा पेट्रोलियम ने बालमेर लारी कम्पनी को अपने नियंत्रणाधीन लिया है। इससे राजकोष की भारी क्षति हुई और 67 लाख रुपया व्यय किया गया, जिसका अधिकांश विदेशी मुद्रा में है।

यह एक बहुत बड़ी कम्पनी बन गई है। 1967 में इसकी परिसम्पत्तियों का मूल्य 54,23,500 रुपए था। जब गोयनका ने इसे अपने हाथ में लिया, तो इसका पतन आरम्भ हुआ और थोड़े ही समय में इसके शेयरों का भाव 200 से घट कर 66 रुपये रह गया। कम्पनी को हानि होने लगी और इसने औद्योगिक अपराध भी किये। 1967 में लाइसेन्सशुदा उत्पादन क्षमता से 100 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ।

इस कम्पनी को एक डूबता जहाज समझा जाने लगा। गोयनका ने इससे छुटकारा पाने के लिये इसके शेयर 58 रुपए के न्यूनतम मूल्य से भी कम पर बेचने चाहे थे। परन्तु किसी खरीदार ने इसे लेने का साहस नहीं किया क्योंकि ऐसी कम्पनी जिसका कोई भविष्य नहीं है, उसे कोई भी हाथ नहीं लगाना चाहता था। सरकार ने गोयनका को सहायता देने के लिये ऐसा किया है।

श्री आर० पी० गोयनका की अध्यक्षता में डंकन ब्रादर्स के बालमेर लारी में 32,500 शेयर हैं जोकि कुल शेयरों का 22.5 प्रतिशत है और इसके आई० बी० पी० में 43,431 शेयर हैं जो 30.9

---

*आधे घंटे की चर्चा।

*Half-an-Hour discussion.

प्रतिशत के द्योतक हैं और इसे लन्दन शहर में मूल स्टर्लिंग कम्पनी ऐलेक्स लारी के शेयरों को लेने का पूर्ण क्रय अधिकार है। ऐलेक्स लारी के 38,625 शेयर हैं जोकि कुल शेयरों का 27.5 प्रतिशत है।

सभापति महोदय : भारतीय तेल निगम की चर्चा में श्री आर० पी० गोयनका और बालमेर लारी की क्या संगति है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बालमेर कम्पनी को हाथ में लेने का उल्लेख किया है। सरकार ने प्रत्येक शेयर के लिये 95 रुपये दिये हैं जबकि उनका कोट किया गया मूल्य 65 रुपए से अधिक नहीं था। कम्पनी घाटा उठा रही थी और उसका कोई खरीददार नहीं था। ऐसे समय में सरकार ने उनकी सहायता की। इस बारे में प्रश्न का उत्तर असावधानी से दिया गया, अतएव यह चर्चा उठाई गई है।

श्री आर० पी० गोयनका की ओर से यह प्रस्ताव आया कि या तो आई० बी० पी० को उनके शेयर खरीदने चाहिए और या उन्हें आई० बी० पी० को खरीदना चाहिए। श्री गोयनका आई० बी० पी० पर दबाव डालने में सफल हो गये। इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम बालमेर लारी तथा इसके स्वयं 30.5 प्रतिशत शेयर पर नियन्त्रण रखने के लिये पूर्वक्रय अधिकार का प्रयोग न कर सकी। ज्योंही बात-चीत का प्रस्ताव चला, त्योंही श्री गोयनका ने कलकत्ता शेयर बाजार में हेरफेर शुरू कर दी और इसने तेजी का रुख अपना लिया। जून, 1972 में यह 66 रुपए से बढ़कर 94 रुपए हो गया और आई० बी० पी० ने गोयनका के 32,540 शेयरों को 95 रुपए पर खरीद लिया। ऐलेक्स लारी के 38,625 शेयरों को 85 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा और निस्संदेह उनका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया। इस सौदे में श्री गोयनका को 67 लाख रुपए का सीधा लाभ पहुंचाया गया।

सभापति महोदय : शेयर खरीदना भारतीय तेल निगम का कार्य नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भारतीय तेल निगम एक सहायक कम्पनी है। आई० बी० पी० के डंकन ब्रादर्स और ऐलेक्स लारी के साथ कुछ संयुक्त शेयर थे। काफी ऊंचे दर पर इन शेयरों की खरीद के लिये दबाव डाला जा रहा है।

एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री ने बताया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मेसर्स एशियन केबल्स कारपोरेशन लिमिटेड के मामलों की जांच पूरी कर ली है और अपना प्रतिवेदन दे दिया है। हम जानना चाहते हैं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : The Law Minister stated on 4th of August, "Accordingly the Board of Directors of the I.O.C., a fully Government owned undertaking, is nominated by the Government of India." The cost structure would be available to the I.O.C. so as to ensure that purchase prices are reasonable.."

When no tenders are invited for the purchasing in such undertaking how can it be said that the purchases were made at reasonable rates ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : आरोप अत्यन्त स्पष्ट है कि शेयरों का भाव 65 रुपए था जबकि उसके लिये 95 रुपए दिये गये।

श्री गोयनका के हाथ में आने से कम्पनी प्रायः मर रही थी। इसके लाभ 24 लाख से घट कर 8 लाख रह गये थे। इस परिस्थिति में यह शेयर क्यों खरीदे गये ?

सभापति महोदय : कृपया आप प्रश्न पूछें ।

मंत्री महोदय ने बताया है कि श्री गोयनका ने उनके शेयरों को 160 रुपए के हिसाब से खरीदना चाहा था । उनके शेयर 50.14 प्रतिशत थे और उन्हें केवल 0.86 प्रतिशत शेयरों की आवश्यकता थी, जिससे वह कम्पनी पर प्रभावी नियंत्रण रख सकें । परन्तु ऐसा वह अन्य शेयर होल्डरों से सस्ते मूल्य पर शेयर खरीदकर कर सकते थे । वे शेयर खरीदने सरकार के पास ही क्यों जाते ?

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : आधे घंटे की चर्चा के दौरान जिस किसी सदस्य ने भी अध्यक्ष को प्रश्न पूछने की पूर्व सूचना दी होती है, वह तथ्यों की अधिक जानकारी के लिये प्रश्न पूछ सकता है अर्थात वह एक ही प्रश्न पूछ सकता है ।

सभापति महोदय : इसलिये मैंने श्री मिश्र जी को विस्तार में न जाकर प्रश्न पूछने को कहा है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरे प्रश्न का तीसरा भाग है कि शेयरों के लिये 95 रुपए और 85 रुपए की दर से देकर भेदभाव क्यों बरता गया ?

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या इसके लिये कोई नियम नहीं है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं कहना चाहता हूं *...

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस सदन के नियम भी हैं, प्रक्रियाएं भी हैं। आज आप किसे चुन रहे हैं ?

सभापति महोदय : मैं कई वर्षों से यहां हूं । यह प्रक्रिया कभी नहीं रही कि कोई सदस्य दूसरे सदस्य की निन्दा कर सके ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : कौन...*

सभापति महोदय: आप प्रश्न नहीं पूछ सकते । यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने भारतीय तेल निगम को निदेश दिया था कि वे अपने इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम के शेयर सरकार को स्थानान्तरित करदें । मैं उनका ब्योरा जानना चाहता हूं ।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : इस मामले पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि अवसर आने पर मैं अधिक जानकारी सदन को दूंगा ।

खुला दिमाग रखने वालों को तो मैं समझा सकता हूं ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : परन्तु आपने पहले ही अपनी राय दे दी है ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*Not recorded.

श्री एच० आर० गोखले : यदि इस प्रकार अंतर्बाधाएं होती रहीं, तो मैं उत्तर नहीं दे सकता।

सभापति महोदय: आपके तथा राष्ट्र के हित में उचित यही है कि मंत्री महोदय को उत्तर देने दिया जाये।

श्री पीलू मोदी: परन्तु यदि वह प्रचार न करें।

श्री एच० आर० गोखले : मैं पूर्णतः स्वीकार करता हूं कि कम्पनी में कुप्रबन्ध रहा है और कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार ने उन मामलों की जांच के लिये कार्यवाही की थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आठ वर्ष पश्चात।

श्री एच० आर० गोखले : जैसे ही सरकार को भूलों का पता चला, तो वह इस निर्णय पर पहुंची कि इन लोगों को धन के अपव्यय से तभी रोका जा सकता है, जब कम्पनी को नियंत्रण में ले लिया जाये।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) ...... *

सभापति महोदय: यह रिमार्क उचित नहीं है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री एच० आर० गोखले: बालमेर लारी में आई० बी० पी० के शेयरों का 30 प्रतिशत है। डंकन ब्रादर्स के लगभग 22 प्रतिशत हैं। ऐलेक्स लारी, जो एक ब्रिटिश कम्पनी है, के 27 प्रतिशत शेयर हैं। अन्य विविध शेयर 19 प्रतिशत हैं। डंकन ब्रादर्स और ऐलेक्स लारी के कुल शेयर 50.14 प्रतिशत हैं। अतएव उन्होंने मिलकर कम्पनी के मामलों में कुप्रबन्ध बनाये रखा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जीवन बीमा निगम के शेयरों की क्या स्थिति है ?

श्री एच० आर० गोखले : इस समय दो विकल्प हैं, या तो ऐलेक्स लारी को अनुमति दी जाये कि डंकन ब्रादर्स गलतियां करते रहें या इसमें सही काम सुनिश्चित करने के लिये इस महत्वपूर्ण कम्पनी को सरकारी नियंत्रण में लिया जाये, इसके महत्वपूर्ण होने के कई कारण हैं। बालमेर लारी की चार सहायक कम्पनियां हैं।

बीको (बी० आई० सी० सी० ओ०) लारी लिमिटेड ट्रान्सफार्मर और स्विच गीयर बनाती है। स्टील कन्टेनर्स लिमिटेड बैरल का निर्माण करती है। इण्डस्ट्रियल कन्टेनर्स कलकत्ता भी बैरल बनाती है। अभिप्राय यह है कि ये कम्पनियां महत्वपूर्ण सामान तैयार करती हैं। यह सब डंकन ब्रादर्स और ऐलेक्स लारी के अधीन थीं। वही इन पर नियंत्रण रखे हुए थी और धन को अन्य मदों पर लगाती थी।

श्री पीलू मोदी : पोस्टरों पर ....।

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य को स्वप्न में भी पोस्टरों की याद आती है। इस कम्पनी में उनके 30 प्रतिशत शेयर हैं और यद्यपि बालमेर लारी में यह सब से बड़ा शेयरधारी है। फिर भी ये उस पर पर्याप्त नियंत्रण रखना चाहते हैं। शुरू में ही कानूनी कार्यवाही की गयी है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

क्या उसे अपने हाथ में लेना आवश्यक था ? स्थिति यह है कि जब एक ही व्यक्ति के पास सबसे अधिक शेयर हो गये, तो कानूनी ढंग से कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया, प्रारम्भ में तो कोई निदेशक भी बोर्ड में लिया गया था हालांकि इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम के 30 प्रतिशत शेयर थे, अन्ततोगत्वा, कम्पनी अधिनियम की धारा 408 का आश्रय लेना पड़ा, क्योंकि केवल वही बोर्ड में हमारे निदेशकों को लेने के लिये विवश करता है। इन निदेशकों के कुप्रबन्ध, परिसम्पत्तियों की समाप्ति और बिना सुरक्षा के दिये गये विभिन्न ऋणों के बारे में पता लगाया। उन्होंने प्रबन्धकों के लिये इतनी कठिनाई पैदा कर दी है कि वे आई० बी० पी० के साथ कार्य नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कम्पनी के कुल शेयरों में 50 प्रतिशत शेयर नहीं हैं, हालांकि उनके पास उसके काफी शेयर हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे पूर्ण अल्प संख्या में हैं और कम्पनी के प्रबन्ध को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐलेक्स लारी और डंकन ब्रादर्स के साथ प्रत्यक्ष बातचीत करने और परिसम्पत्तियों को अर्जित करने का प्रयास किया ताकि डंकन ब्रादर्स और उनके अपने अधिकार के शेयर बालमेर लारी में 50 प्रतिशत हो जाते।

हमने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर करके और निषेधाज्ञा प्राप्त करके ऐलेक्स लारी और डंकन ब्रादर्स के बीच इस शेयर सौदे को रोक दिया। यहाँ निषेधाज्ञा सरकार द्वारा बालमेर लारी के प्रबन्ध के 80 प्रतिशत से ऊपर नियंत्रण तक लागू रही।

जब यह प्रयत्न किया गया कि हम अपने शेयर बेच दें तो हमने दो अथवा तीन कारणों से इसका दृढ़तापूर्वक विरोध किया। एक कारण यह है कि सरकार सामान्य निवेश करने वाले के रूप में शेयरहोल्डर नहीं है। हमारी रुचि यह सुनिश्चित करने में है कि अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को क्रमश: और यथाशीघ्र सरकारी नियंत्रण में लाया जाये। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम गोयनका तथा डंकन ब्रादर्स को अनुचित मूल्य पर अपने शेयर बेचें और शेयर बाजार में मंदी करने के उनके प्रयत्न के आगे न झुकने वाली नीति अपनायें, तो फिर हम उनके प्रयत्न निष्फल बना सकते हैं।

फिर प्रश्न उठता है कि यदि सरकार शेयर अपने हाथ में लेना चाहती है तो फिर वह बाजार से ही शेयर क्यों नहीं खरीद लेती ? एक बात यह है कि हम विविध शेयरहोल्डरों के पास जा सकते थे तथा उनसे ही शेयर खरीद सकते थे। डंकन ब्रदर्स के पास शेयर खरीदने क्यों जायें ?

ऐलेक्स ब्रादर्स तथा डंकन ब्रादर्स ने एक शर्त रखी है कि जब तक अन्य लोगों के शेयर नहीं ले लिए जाते, तब तक हमसे किसी के भी शेयर उपलब्ध नहीं होंगे। अत: नितांत आवश्यकता यह है कि यदि हमे नियंत्रण अपने हाथ में लेना है, तो फिर हमें ऐलेक्स और डंकन ब्रादर्स को भी अपने हाथ में लेना होगा। तत्पश्चात प्रश्न यह उठता है कि लेनदेन क्या है, यह किसी विशेष व्यक्ति पर क्यों पहुंचता है।

बालमेर लारी के मामले में भी इतनी भिन्नता है जिससे पता चलता है कि शेयर बाजार में रुचि रखने वाले पक्षों, विशेषकर डंकन ब्रादर्स लिमिटेड का प्रबन्ध अपने हाथ में रखने के लिए आगामी वर्षों में उत्तरोत्तर प्रभाव पड़ता रहा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने कोई मूल्यांकन किया है ?

श्री एच० आर० गोखले : जी हां, मैंने गणना की है (**व्यवधान**)।

ज्योतिर्मय बसु : क्या आप इसे सभा-पटल पर रखेंगे ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं आपको यहीं बताऊंगा।

शेयरों का मूल्यांकन साधारणत : तीन तथ्यों के आधार पर होता है। पहला तथ्य बाजार मूल्य है। दूसरा तथ्य कम्पनी के रजिस्टरों के अनुसार प्रत्येक शेयर पर परिसम्पत्ति मूल्य। तीसरा तथ्य है, पहले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक शेयर की कमाने की क्षमता।

जहां तक शेयर मूल्य का सम्बन्ध है, हमने सुसंगत समय पर न्यूनतम कथित दर को 68 कराया और उसे बाजार मूल्य माना ताकि औसत मूल्य उच्च मूल्य तक न पहुंच पाये। शेयर के परिसम्पदा मूल्य का पता लगाने के लिए बही खातों में दिखाया गया मूल्य निवेश में है, लिया गया ; क्योंकि वास्तविक मूल्य डंकन ब्रादर्स और अन्य के भवन की परिसम्पत्ति से कहीं अधिक है। यह सुनिश्चित करने के लिए विचार नहीं किया गया कि औसत मूल्य अधिक आंकड़ों में नहीं आता।

तीसरे पहलू के सम्बन्ध में यही नीति अपनायी गई। यह संख्या लगभग 95 आदि का औसत मूल्य पड़ा है। यह आर्थिक कार्य विभाग के परामर्श से हुआ है और यह यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के परामर्श से भी हुआ है, औसत मूल्य पर विचार किया गया और यह लगभग 95 रुपये पड़ा। अत: यह कहना गलत है कि सभी स्तरों पर मूल्य 68 रुपये पड़ा (**व्यवधान**)।

श्री सी० एम० स्टीफन : नियम 349 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 39 के अधीन व्यवधान नहीं होने चाहिए। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम लागू किया जाये।

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपना भाषण यथाशीघ्र पूरा कर दें और व्यवधानों की ओर ध्यान न दें।

श्री एच० आर० गोखले : कीमतों का निर्धारण सम्बधित अवधि के संदर्भ में करना है जिसके दौरान शेयर लेने के लिए वार्ता होती रही है। वह अवधि 20 मई से 2 जून, 1972 है। उस समय बाजार कथित दर 94 रुपये थी। दूसरे इस तथ्य के कारण कि हमने जो शेयर ऐलेक्स लारी से लिए हैं वे बालमेर लारी के शेयर भी हैं। इन दोनों कीमतों की औसत एक जो एलेक्स लारी को दी गई और दूसरी जो डंकन ब्रादर्स को दी गई, 89.50 रुपये पड़ी।

शेयर के वास्तविक मूल्य निर्धारण के लिए सम्बन्धित सभी सिद्धान्तों पर विचार किया गया था तथा अनेक स्तरों पर उनकी जांच की गई। जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया सौदा उस समय का है जब इण्डो-बर्मा एक अंग्रेजी कम्पनी थी तथा हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं था।

1969 में 22.28 लाख रुपये तथा 1970 में 23.64 लाख रुपये का लाभ हुआ। 1971 में 4 सहायक कम्पनियों जैसे यात्रा एजेन्सी, चाय गोदाम तथा दो ग्रीस संयन्त्रों के अतिरिक्त बामर लारी की भी विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां थीं। इनमें से एक व्यावसायिक गतिविधि के संबंध में अर्थात चाय गोदाम के सम्बन्ध में बहुत घाटा हुआ तथा इसे बहुत पहले ही बन्द कर दिया गया था। उसी उपक्रम के कारण ही एक वर्ष में 37 लाख रुपये छंटनी मुआवजे के रूप में देना पड़ा। परिणामत: 20.61 लाख रुपये का घाटा हुआ। यदि ऐसा न हुआ होता तो 17 लाख रुपये लाभ होता। यदि

इस मामले को एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अर्थ-शास्त्री से जांच करवायी जाये तो हमने जो मूल्य दिया है, वह उसे उचित ठहरायेगा। अतः दिया गया मूल्य सर्वथा वाणिज्यिक तथा उचित है। अतः इस सम्बन्ध में कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 21 अगस्त, 1972/30 श्रावण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August, 21, 1972/Sravana 30, 1894 (Saka).

Tej Kumar Press (P) Ltd., Lucknow—10-10-72—490